विश्वविद्यालय

UNIVERSITY

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

Website : www.mlsu.ac.in

इस विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त १९६२ में मूलतः कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हुई। सन् १९६२ में इसके साथ कृषि के अलावा अन्य संकाय भी जोड़े गये और यह बहु संकायी विश्वविद्यालय बन गया तथा इसका नाम उदयपुर विश्वविद्यालय रखा गया। इस विश्वविद्यालय के विकास में आधुनिक राजस्थान के निर्माता दिवंगत श्री मोहनलाल सुखाड़िया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः इनकी स्मृति में सन् १९८२ में इसका नामकरण **"मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय"** किया गया। १९८२ से अपने नये स्वरूप में यह विश्वविद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस विश्वविद्यालय को २००२–०३ से **B**$^{++}$ की श्रेणी से प्रत्यायित किया गया है।

विश्वविद्यालय के संघटक (Constituent) महाविद्यालय निम्नलिखित हैं –

1 विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर

2. विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर

3. विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय, उदयपुर

4. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, उदयपुर

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

Tel.: 0294-2470166, 2470707, Fax : 0294-2471150
E-mail : registrar@mlsu.ac.in Website : www.mlsu.ac.in

कुलाधिपति
महामहिम श्री शिवराज पाटिल

Chancellor

H.E. Shri Shivraj Patil

कुलपति
श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, आई०ए०एस०

Vice-Chancellor

Shrimati Aparna Arora, I.A.S.

प्रशासनिक अधिकारी

कुल सचिव Registrar	श्री एच० एल० कुणावत Shri H.L. Kunawat
वित्त नियंत्रक Comptroller	श्रीमती मंजूबाला जैन Shrimati Manjubala Jain
परीक्षा नियंत्रक Controller of Examination	श्री एच०एल० कुणावत Shri H.L. Kunawat
उप–कुलसचिव (गोपनीय) Dy. Registrar (Secrecy)	डॉ० राजेश चन्द्र कुमावत Dr. Rajesh Chandra Kumawat
उप–कुलसचिव (परीक्षा) Dy. Registrar (Exam.)	श्री हरकेश मीणा Shri Harkesh Meena
वरिष्ठ लेखाधिकारी Sr. Accounts Officer	डॉ० जी०एल० वसीटा Dr. G.L. Vasita
वि० वि० अभियन्ता University Engineer	श्री ए० एस० खान Shri A.S. Khan

अधिष्ठाता, संकाय अध्यक्ष एवं सह–अधिष्ठाता

अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन Dean, Post-Graduate Studies	प्रो0 आई0वी0 त्रिवेदी Prof. I.V. Trivedi
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण एवं समन्वयक सांस्कृतिक गतिविधियाँ Dean, Students Welfare and Cultural Activities Coordinator	प्रो. विजयालक्ष्मी चौहान Prof. Vijaya Laxmi Chouhan
अधिष्ठाता व संकाय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय Dean, University College of Science & Chairman, Faculty of Science	प्रो. मधुसूदन शर्मा Prof. Madhusudan Sharma
अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय एवं अध्यक्ष, वाणिज्य संकाय Dean, University College of Commerce & Management Studies and Chairman, Faculty of Commerce	प्रो. डी. एस. चुण्डावत Prof. D.S. Chundawat
अध्यक्ष, विधि संकाय Chairman, Faculty of Law	प्रो. विजय श्रीमाली Prof. Vijay Shrimali
अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय Dean, University College of Law	प्रो. शरद श्रीवास्तव Prof. Sharad Srivastava
अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय एवं अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय Dean, University College of Social Sciences & Humanities and Chairman, Faculty of Social Sciences	प्रो. अन्जू कोहली Prof. Anju Kohli
निदेशक एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय Director and Chairman, Faculty of Management Studies	प्रो. करूणेश सक्सेना Prof. Karunesh Saxena
अध्यक्ष, मानविकी संकाय Chairman, Faculty of Humanities	प्रो. शरद श्रीवास्तव Prof. Sharad Srivastava
सह–अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय Assoc. Dean, University College of Commerce	– –
सह–अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय Assoc. Dean, University College of Science	प्रो. ए.के. गोस्वामी Prof. A.K. Goswami
सह–अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय Assoc. Dean, University College of Social Sciences & Humanities	प्रो. फरीदा शाह Prof. Farida Shah

प्राधिकारी सह–शैक्षणिक गतिविधियाँ

मुख्य वार्डन, छात्रवास Chief Warden, Hostels	प्रो. डी. एस. चुण्डावत Prof. D.S. Chundawat
प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय Officer Incharge, Central Library	प्रो. एम. भटनागर Prof. M. Bhatnagar
निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र Director, Computer Center	प्रो. के. वेणुगोपालन Prof. K. Venugopalan
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल Chairman, University Sports Board	प्रो. एस.आर. व्यास Prof. S.R. Vyas
निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र Director, Population Research Center	डॉ. मोनिका नागौरी Dr. Monika Nagori
निदेशक, यूश्जीश्सीश महिला अध्ययन केन्द्र Director, U.G.C. Centre for Women's Studies	प्रो. विजयालक्ष्मी चौहान Prof. Vijaya Laxmi Chouhan
निदेशक, विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र Director, University Employment & Advisory Bureau	डॉ. एन.एस. राठौड़ Dr. N.S. Rathore
समन्वयक, अनु. जाति/जनजाति प्रकोष्ठ Co-ordinator, SC/ST Cell	प्रो. एल.सी. खत्री Prof. L.C. Khatri
समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना Co-ordinator, N.S.S.	प्रो. फरीदा शाह Prof. Farida Shah
समन्वयक, इन्टरनेट केन्द्र Co-ordinator, Internet Center	प्रो. के. वेणुगोपालन Prof. K. Venugopalan
समन्वयक, मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र Co-ordinator, Centre for Human Rights Studies	प्रो. अंजू कोहली Prof. Anju Kohli
निदेशक, बौद्ध अध्ययन एवं अहिंसा केन्द्र Director, Centre for Buddhist Studies & Non-Violence	डॉ. एच.सी. जैन Dr. H.C. Jain

निदेशक, नेहरू अध्ययन केन्द्र एवं समन्वयक, प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र Director, Centre for Nehru Studies and Co-ordinator, Competitive Exam. Coaching Centre	डॉ. संजय लोढ़ा Dr. Sanjay Lodha
अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार International Student Advisor	डॉ. रेणु जटाना Dr. Renu Jatana
समन्वयक, अनु. जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र Co-ordinator, Competitive Exam. Coaching Centre for SC/ST/OBC and Minorities	डॉ. आई.एम. कायमखानी Dr. I.M. Kayamkhani
समन्वयक, विश्वविद्यालय योग केन्द्र Co-ordinator, University Yog Centre	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान Dr. D.S. Chauhan
समन्वयक, उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ Co-ordinator, Entrepreneurship Development Cell	प्रो. विनोद अग्रवाल Prof. Vinod Agarwal
प्रभारी, प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार केन्द्र Incharge, Centre for Adult Education & Extension	प्रो. अंजू कोहली Prof. Anju Kohli
प्रोजेक्ट अधिकारी Project Officer	डॉ. विजय पारीक Dr. Vijay Pareek
कार्यवाहक सचिव, वि.वि. क्रीड़ा मंडल Offtg. Secretary, University Sports Board	डॉ. दीपेन्द्रसिंह चौहान Dr. Deependra Singh Chouhan

सह–प्राधिकारी राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

1.	वायु सेना स्कन्ध Air Wing	फ्लाइंग ऑफिसर एस.आर. जाखड़ (विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय) Fg. Officer S.R. Jakhar (University College of Science)
2.	नौ सेना स्कन्ध Naval Wing	लेफ्टिनेंट कमाण्डर एस.एस. कटेवा (विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय) लेफ्टिनेंट कमाण्डर डी.एस. चुण्डावत (विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय) ग्रुप कमाण्डर नं. 1 (राज) नेवल युनिट, एन.सी.सी., उदयपुर Lt. Commander - S.S. Katewa (University Science College) Lt. Commander - D.S. Chundawat (University College of Commerce & Management Studies)
3.	थल सेना स्कन्ध Army Wing	लेफ्टिनेंट – जी.एस. राठौड़ (विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय) कम्पनी कमाण्डर, नं.10 (राज) बटालियन, एन.सी.सी. उदयपुर Lt. G.S. Rathore (University College of Science) Company Commander, No.10 Bn. N.C.C., Udaipur

2. प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया
(Admission Rules and Procedure)

(क) सामान्य सूचनाएँ (General Information)

1. ग्रीष्मकाल के पश्चात् विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य 1 जुलाई, 2010 से प्रारम्भ होगा।

2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण–पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण–पत्रों की सूची आवेदन–प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

3. विभिन्न कक्षाओं के लिये प्रवेश–सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि सहित संकाय/महाविद्यालयों/विभागीय सूचना पट्ट पर यथासमय लगा दिया जायेगा। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु संकाय/महाविद्यालय/विभागीय सूचना पट्ट देखते रहें। इस संबंध में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

   निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले और शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश के अधिकार से स्वतः ही वंचित हो जायेंगे तथा उनका नाम प्रवेश–सूची से हटा दिया जायेगा। एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जायेगा।

4. स्नातकोत्तर में प्रवेश की सभी प्रक्रियाएँ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष करेंगे। विद्यार्थी उनसे ही प्रवेश सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करें।

(ख) सामान्य नियम (General Rules)

1. विश्वविद्यालय की विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं तथा अन्य पाठ्यक्रम जिनके बारे में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी, को छोड़कर विभिन्न कक्षाओं में सभी नये प्रवेश योग्यता के आधार पर एवं सूचित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिये जायेंगे। विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं तथा अधिघोषित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु **प्रवेश परीक्षा** आयोजित की जायेगी। इन कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश क्षमता के अनुसार वरीयता क्रम में दिये जायेंगे तथा प्रवेश हेतु वरीयता प्रवेश 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक

(प्रायोगिक को छोड़कर) अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। विधि संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों में विभिन्न सह–शैक्षणिक गतिविधियों के अधिभार अंक जोड़कर निर्धारित की जावेगी।

2. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक नियमित पूर्णकालीन उपाधि डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो अंशकालीन डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम का पठन–पाठन विश्वविद्यालय में सामान्य पठन–पाठन समय से भिन्न समय पर हो तो विद्यार्थी उपाधि पाठ्यक्रम के साथ एक अंशकालीन डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम का एक साथ अध्ययन कर सकेगा।

3. एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को किसी भी एक उपाधि/पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है, के बारे में प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व व्यक्तिगत साक्षात्कार (Counselling) में निश्चित करना अनिवार्य होगा और दूसरे प्रवेश को रद्द करना होगा अन्यथा उसे कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।

4. राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु तभी योग्य समझा जायेगा जब अर्हक परीक्षा में उनके प्राप्तांकों का प्रतिशत 60ः (प्रथम श्रेणी) से कम न हो तथा उनकी उपाधि को इस विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष माना गया हो किन्तु जिन बाहर के विद्यार्थियों ने अर्हक परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उन पर एवं राजस्थान के मूल निवासी का सक्षम अधिकारी से प्रमाण–पत्र देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों पर प्रवेश योग्य माने जायेंगे यदि उनका नाम योग्यता क्रम में आता हो एवं प्रावधान के अनुसार उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

5. प्रथम वर्ष बी.कॉम./बी.ए. के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें द्वितीय वर्ष में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर, प्रवेश दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर प्रवेश के योग्य माने जायेंगे।

6. स्नातकोत्तर प्रीवीयस (कला और वाणिज्य) के वे स्वयंपाठी जिन्होंने 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, उन्हें स्नातकोत्तर फाइनल (कला और वाणिज्य) में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर प्रवेश मानकर कक्षा में बैठने की सुविधा दी जा सकेगी परन्तु उन्हें परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में ही देनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम पास अंक पर प्रवेश के योग्य माने जायेंगे।

टिप्पणियाँ

(i) राज्य के समस्त योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो ६०% से कम प्राप्तांकों वाले राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है, यदि वे न्यूनतम योग्यता मानदण्ड पूरा करते हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के अन्तर्गत भू–विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में २५% तक स्थानों पर राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देना अपेक्षित हैं। अतः यहाँ यह नियम लागू नहीं होगा।

(ii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उदयपुर बस जाने पर उनके बच्चों/आश्रितों को प्रवेश के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों के समकक्ष माना जायेगा। यह नियम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष तक ही लागू होगा।

(iii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के इस विश्वविद्यालय के अपूर्ण पाठ्यक्रम में भी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। द्वितीय वर्ष में प्रवेश उपलब्ध विषय ग्रुप/समूहों के अनुसार ही दिया जायेगा। इन विषय ग्रुप/समूहों में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की कोई भी अपूर्णता उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर पूर्ण करनी पड़ेगी।

(iv) यदि किसी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति 'कुटुम्ब–विहीन स्थान' (Non-Family Posting) पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो उसे राजस्थान में उपस्थित कर्मचारी के समकक्ष माना जायेगा।

(v) (a) ***किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में अथवा उसी विषय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।*** जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर छोड़ने पर अगले सत्र में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी लगातार दो वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है तो विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा का फार्म नहीं भरता है अथवा परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसी श्रेणी के छात्र आगामी सत्र में एक्स–छात्र (Ex-Candidate) के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल वे छात्र ही एक्स–छात्र के रूप में परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में उपर्युक्त कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो और उपरोक्त वर्णित किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाए हो।

(b) **स्नातक/स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि संकाय की किसी भी कक्षा में लगातार तीन अवसर प्रदान किये जायेंगे, जिनमें अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं ऐसे विद्यार्थी की उस पाठ्यक्रम की पात्रता समाप्त कर दी जायेगी। उसे पुनः उस पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की ही अनुमति दी जा सकेगी। तीन अवसर में विद्यार्थी के परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले वर्ष की भी गणना की जायेगी। जहाँ पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, वहाँ पुनः प्रवेश परीक्षा देकर ही प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा।**

(c) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम. में प्रवेश चाहते हैं किन्तु उन्होंने 2010 में आयोजित अर्हक परीक्षा पास करने के बजाय उससे पूर्व आयोजित परीक्षा पास की है तथा उनके अध्ययन की निरन्तरता में अंतराल (गेप) आ गया है, ऐसे प्रवेशार्थियों को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित हलफनामा (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।

(vi) स्नातक स्तरीय कक्षा में प्रवेश हेतु किसी विद्यार्थी को, जिसे इस विश्वविद्यालय/बोर्ड की पूरक परीक्षा देनी है, उस विषय में जिसमें पूरक परीक्षा देनी है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसकी योग्यता निर्धारित कर स्थान रिक्त होने पर अन्त में अस्थाई प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश की अन्य प्रक्रिया उसे पूरी करनी होगी।

(vii) जहाँ प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होते हैं, वहाँ विद्यार्थी को अपने प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी को जमा कराने होंगे अन्यथा उसका नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं होगा।

(viii) यदि किसी विद्यार्थी को तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में बैठना हो तो उसे सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं माना जायेगा तथापि यदि समस्त योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उसे केवल एम.ए./एम.कॉम. कक्षा में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस विषय में विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी है उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जोड़कर योग्यता निर्धारण किया जायेगा, यदि वह न्यूनतम प्रवेश योग्यता रखता हो। ***एम. एससी./एल.एल.बी. स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित विद्यार्थी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।***

(ix) वे छात्र जो बीएएस/बीएएससीएस स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जायेंगे।

(x) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रें के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रें को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जायेगा, जिन्होंने बीएएस/बीएएससीएस स्नातक उपाधि गणित एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।

(xi) जिन विभागों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम संचालित हैं, उनका विवरण संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

(xii) एमएफिलएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय में दो स्थान राजस्थान के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आवेदकों (T.R.F.) के लिए आरक्षित हैं।

(xiii) ***किसी भी विद्यार्थी को आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक भी अंक कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।***

(ग) आरक्षण (Reservation)

प्र विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्थानों का निम्नलिखित प्रकार से आरक्षण रहेगा –

(i)	अनुसूचित जातियाँ	16%
(ii)	अनुसूचित जनजातियाँ	12%
(iii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत छोड़कर)	21%
(iv)	अपंग एवं शारीरिक रूप से असक्षम वर्ग	3%
(v)	महिला वर्ग (केवल स्नातकोत्तर कक्षा में)	5%

(vi) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेवा में तीन वर्ष या उससे अधिक वर्ष स्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण रहेगा –

(a)	एमएएससीएस (पूर्वार्द्ध) में प्रवेश हेतु	तकनीकी/शैक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए (विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर)	१ स्थान
(b)	एमएएससीएस–पोलिमर विज्ञान	शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	१ स्थान

(c)	तैयार वस्त्र अध्ययन प्रशिक्षण प्रमाण–पत्रिय पाठ्यक्रम	शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	१ स्थान
(d)	पुस्तकालय विज्ञान स्नातक	संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत जेटीए के लिए (सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर)	जेटीए के लिए आरक्षित आठ स्थानों में से एक स्थान

(vii) सुरक्षा सेवा के निम्नांकित वर्ग के कर्मचारियों के विधवा/आश्रित बच्चे – ५%

(अ) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य
(ब) पूर्व सैनिक
(स) सामान्य आरक्षित इंजीनियर
(द) प्रतिरक्षा सेवा के पूर्व कर्मचारी
(य) शहीद

(viii) स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के अतिरिक्त बची हुई सीटों को ५० प्रतिशत सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रें के लिए होगी। अनुश्जाति/जजाश आरक्षित वर्गों की मेरिट अलग बनेगी। अनुश्जाति/जजा के लिए आरक्षित सीटों के ५० प्रतिशत स्थानों पर इस विश्वविद्यालय के अनुश्जाति/जजा छात्रें के लिए रखी जायेगी। उचित संख्या में इस विश्वविद्यालय के अनुश्जाति/जनजाति वर्ग के छात्र उपलब्ध न होने पर ये सीटें इन्हीं वर्गों के लिए (अनुश्जाति/जनजाति) छात्रें को दी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने पर एवं प्रवेश की स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक के बाद यदि सीटें खाली रह जाती है तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों से भरी जा सकेगी। आरक्षित वर्ग की एक सीट होने पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

(ix) (अ) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के लिए ही रहेगा। अन्य किसी प्रकार का आरक्षण इन पाठ्यक्रमों में नहीं रहेगा।

(ब) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों (स्ववित्त पोषित सहित) में अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा (ENTRANCE TEST) आवेदन पत्र की राशि ५० प्रतिशत ही ली जायेगी।

(x) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारी/उनके पुत्र या पुत्रि –

(अ) शैक्षणिक कर्मचारी 3%

(ब) गैर–शैक्षणिक कर्मचारी 3%

(उपरोक्त आरक्षण का लाभ पाठ्यक्रमों के सभी विषय ग्रुप में उपलब्ध होगा)।

नोट : इस आरक्षण के अन्तर्गत किसी शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह लाभ अशैक्षणिक कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को देय होगा। इसी तरह अशैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर यह आरक्षण का लाभ शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को भी मिलेगा।

निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा मनोनीत राज्य सरकार एवं उनसे अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षक (केवल विज्ञान स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय में) **१ स्थान**

(xi) **एमशफिलश कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण**

(अ) अनुसूचित जाति	16%
(ब) अनुसूचित जनजाति	12%
(स) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर)	21%
(द) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षक (T.R.F.) (प्रत्येक विभाग में अतिरिक्त स्थान)	२ स्थान

(xii) **कश्मीरी प्रवासी** 1%

भूटान क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यू.जी.सी. अथवा भारत सरकार के प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दस स्थान निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त आरक्षित होंगे। ऐसे प्रवेश विश्वविद्यालय की स्वीभति के बाद ही दिये जायेंगे।

टिप्पणियाँ :

(i) **यदि सामान्य रूप से ही किसी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पाने वाली छात्रओं की संख्या कक्षा की कुल क्षमता के ५% अथवा उससे अधिक हैं तो महिला वर्ग का आरक्षण वहां लागू नहीं होगा।**

(ii) **आरक्षण के लाभ हेतु कर्मचारियों के केवल पुत्र या पुत्रि ही उनके आश्रित समझे जायेंगे।**

(iii) **यदि जांच के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदक आरक्षित स्थान में किसी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के लाभ का हकदार नहीं है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।**

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु

(i) किसी भी कक्षा व पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के पास अंकों (बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ऑनर्स व अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु ग्य कक्षा के पास अंक व स्नातकोत्तर व समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु बी.ए./बी.एससी./बी. कॉम. इत्यादि परीक्षा के पास अंक) पर इन्हीं वर्गों की मेरिट के क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जायेगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी संकायों और विभागों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रें को आरक्षण दिया जायेगा।

(iv) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा तथा समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित अनुश्जाति/जनजाति के छात्रें के लिए प्रवेश हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक के बाद रिक्त आरक्षित स्थानों पर सामान्य वर्ग के प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों को प्रवेश की अन्य समस्त शर्तें पूरी करने पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(v) यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रें के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे के लिए पर्याप्त मात्र में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुनः नवीन आवेदन पत्र मांगने के लिए दैनिक समाचार पत्रें में विज्ञापन निकालकर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रें को सूचना दी जायेगी। जहां प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है वहां नवीन आवेदन पत्र प्रवेश परीक्षा के पूर्व मांगे जायेंगे। तथापि प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी।

(vi) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से किसी भी एक वर्ग के रिक्त स्थानों को (अनुसूचित जाति व जनजाति) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर भरा जाकर कुल आरक्षित स्थान भरे जा सकेंगे।

(vii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम व डिप्लोमा के लिए जहाँ प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) निर्धारित है वहां अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) के लिए पात्रता पिछली कक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (विधि स्नातक के लिए ४०%) (Pass Marks) के आधार पर होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जायेगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। बचे हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम निर्धारित अंक (Cutoff Point Marks) नहीं रखते हुए इन्हीं की वरीयता क्रम में निम्नागामी क्रम (Descending Order) में आरक्षण कोटे के पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जायेगा।

(viii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फायनल) स्तर पर वैकल्पिक विषयों व ग्रुप को उनकी वरीयता के विषय आरक्षण प्रतिशत के अनुसार दिये जायेंगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय व ग्रुप में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 16% जनजाति के लिए 12% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% नियमानुसार रखा जायेगा।

(ix) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश में २१% आरक्षण देय होगा।

(x) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्तपोषित सहित) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि ५० प्रतिशत ही ली जायेगी।

(घ) योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण
(Relaxation and Weightage in Determination of Merit)

(क) बीश्बीश्एमश, एमश्बीश्एश, विधि संकाय, पुस्तकालय विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान प्रवेश परीक्षा एवं सभी सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई रियायत एवं भारण देय नहीं हैं।

(ख) अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष गुण सम्पन्न विद्यार्थियों, जिनमें खिलाड़ी/एन.सी.सी. कैडेट बी एवं सी सर्टिफिकेट आदि सम्मिलित है उन्हें योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भरण प्रदान किये जा सकते हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट धारकों के लिये यह अवधि विगत चार वर्ष मानी जायेगी। निम्नांकित तालिकानुसार रियायत/भारण अंक उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रदान किये जायेंगे।

१२१ खेलकूद (Games and Sports)

उपलब्धि	लाभ
(अ) भारत सरकार के मानव संसाधन एवं समाज कल्याण मंत्रलय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रति स्पर्धा में प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ब) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।

(स) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(द) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण द्वारा अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ५% की वृद्धि।
(य) सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% की वृद्धि।
(र) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय क्रीड़ा परिषद् अथवा संस्भत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अर्न्तमहाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी को प्राप्तांक प्रतिशत में ३ की वृद्धि।
(ल) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा खण्ड/जिलास्तर आयोजित खेलकूद में स्कूल प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद या संस्भत शिक्षा निदेशालय द्वारा अर्न्तमहाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 की वृद्धि।
(व) केन्द्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित जोन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में २% की वृद्धि।
(श) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में जोन का प्रतिनिधित्व या राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ३% की वृद्धि।

(i) उपर्युक्त अंक : लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को नियमानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में उक्त लाभ देय नहीं होगा।

वर्ग जिनका प्रमाण पत्र मान्य होगा –

(1) **अ ब स** भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रलय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित संबंधित विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद् और राज्य क्रीड़ा परिषद् एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य सभी खेल।

(२) **द** विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्।

(3) **य** राज्य क्रीड़ा परिषद्।

(4) **र ल** उपनिदेशक स्तर अधिकारी/ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्/निदेशक संस□त शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त।

(5) **व, श** आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

(ii) उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे –
(1) एथेलेटिक्स, (2) जलीय (स्वीमिंग, डाइविंग एवं वाटर पोलो), (3) बेडमिन्टन (4) बास्केट बॉल, (5) शतरंज, (6) क्रिकेट, (7) साईकिल चलाना, (8) फुटबॉल (9) हॉकी (10) कबड्डी (11) खो–खो (12) टेबिल टेनिस (13) टेनिस (14) बॉलीबाल (15) हैण्डबॉल (16) कुश्ती (17) भारोतोलन, (18) जिम्नास्टिक (19) जूड़ो (20) मुक्केबाजी (21) तीरंदाजी (22) योगासन एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य सभी खेल।

1.2 एन.सी.सी.

उपलब्धि	**लाभ**
(अ) मानव संसाधन विकास मंत्रलय, रक्षा मंत्रलय या महानिदेशक, एनश्सीश्सीश द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ब) एनश्सीश्सीश की किसी शाखा में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(स) निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता में निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ३% की वृद्धि।

(i) गणतंत्र दिवस कैम्प

(ii) अखिल भारतीय एडवान्स लीडरशिप कैम्प

(iii) पैरा जम्पिंग कोर्स

(iv) आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (२०,००० फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग

(v) छात्र/छात्र विग में सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति

(vi) छात्र/छात्र विंग में सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के साथ प्राप्ति

(vii) स्नोस्कीइंग कोर्स

(viii) सीनियर अण्डर ऑफिसर रैक पर नियुक्त

टिप्पणी :

गणतंत्र दिवस की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले को, अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित शिविर में किसी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने पर, पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाइविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेंचर माउण्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेयरिंग कोर्स करने वाले को और सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड सहित उत्तीर्ण कैडेट को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् चार प्रतिशत का लाभ देय होगा।

(द) निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर — प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में २% की वृद्धि।

(i) ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग केम्प

(ii) छात्र/छात्र विंग का सर्टिफिकेट

(iii) छात्र/छात्र बी एवं सी ग्रेड के साथ

(iv) ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स

(v) कम से कम तीन सप्ताह के अटेचमेन्ट कोर्स

(vi) वाटर स्कीइंग कोर्स

(vii) जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट धारी

(viii) अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति

(ix) अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित वायुसेना कैम्प, नौ सेना कैम्प, थल सेना कैम्प।

1.3 पर्वतारोहण

उपलब्धि	**लाभ**
(अ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ब) शिक्षा मंत्रलय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रोग्राम तथा २०,००० फीट या अधिक की ऊंचाई पर पहुँच।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता एडवेंचर्स निर्धारण हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में ३% की वृद्धि।

(स) विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में २% की वृद्धि।
(द) सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में २ प्रतिशत की वृद्धि।

1.4 राष्ट्रीय सेवा योजना

उपलब्धि	**लाभ**
(अ) प्रवेश के पूर्ववर्ती 2 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/ राष्ट्रीय एन.एस.एस. पुरस्कार से पुरस्भत स्वयंसेवक।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ब) प्रवेश के पूर्ववर्ती २ वर्षों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड/ राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर में तथा २ विशेष शिविरों में सम्मिलित एवं २४० घण्टों का हो सेवा कार्य।	प्रवेश योग्यता सची में वरीयता हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में ४ प्रतिशत की वृद्धि।

1.5 रोवर स्काउट गाईड

उपलब्धि	**लाभ**
(अ) विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधत्व अथवा अखिल भारत स्काउट गाईड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में गत ५ वर्ष की सेवा अवधि में रोवर के नियमित सदस्य अथवा गत दो वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्राप्त।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ब) राज्य स्काउट गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधिकर्ता यदि गत २ वर्ष की अवधि में रोवर/रेंजर समागम में नियमित सदस्य हो।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ३% की वृद्धि।

(स) गत दो वर्ष में राज्य कमिश्नर से प्रथम श्रेणी प्रमाण–पत्र प्राप्त अथवा गत दो वर्ष में रोवर/रेंजर मीटर में तीन पताकाएँ प्राप्तकर्ता दल में सम्मिलित अथवा पर्वतारोपण का आधारभूत कोर्सकर्ता।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में २% की वृद्धि।

1.6 सह–शैक्षणिक गतिविधियाँ

उपलब्धि	**लाभ**
(अ) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रलय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीयता वीरता पुरस्कार से सम्मनित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश केवल एक बार।
(ब) भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आईश्सीश्सीश्आरश अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ५%
(स) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप–विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ३%

टिप्पणी :

उपर्युक्त (ब) व (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा। (उपरोक्त कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।)

(द) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्व–विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में २ प्रतिशत की की वृद्धि।

का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता/जिला अथवा सम्भाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त।

टिप्पणी :

(1) नियम १३१ से १३६ के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की न्यूनतम पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है।

(2) ***न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सीधे प्रवेश के लिए योग्य विद्यार्थियों के मूल प्रमाण–पत्रें के साथ एक शपथ–पत्र भी लगाना होगा जिसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना है। भारण समिति (Weightage Committee) के समक्ष उपस्थिति के समय उनकी पात्रता तय की जायेगी।***

(3) उपर्युक्त लाभ प्राप्त अभ्यार्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। प्रमाण–पत्र बाद में स्वीकार नहीं किये जायेंगे या ऐसे प्रमाण–पत्रें की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जायेगी। ***मूल प्रमाण पत्रें का सम्बन्धित संस्थान से प्रमाणीकरण के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होगा।***

(4) उपर्युक्त नियम १३१ से १३६ में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि (जो भी अधिकतम) का लाभ अभ्यर्थी को देय होगा, चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो।

(5) उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने परभी उन सबके लिए एक ही बार लाभ देय होगा।

नोट : सीधे प्रवेश योग्य (Out-Right) विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय/ग्रुप में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त स्थान दिया जा सकता है।

(ङ) ***प्रवेशार्थियों के रियायत/भारण अंक सम्बन्धी मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय समिति*** **(Central Committee for Verification of Cases for Concessions, Weightage etc.)**

(i) कुलपति द्वारा गठित समिति रियायत/बोनस अंक प्रापत करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के मामलों की जांच करेगी। रियायत/भारण चाहने वाले सभी विद्यार्थी अपने आवेदन–पत्र सभी प्रपत्रें

सहित इस समिति को प्रस्तुत करेंगे और इस समिति की संस्तुति के पश्चात् ही प्रवेश समिति द्वारा उनके प्रवेश निश्चित किये जायेंगे।

(2) सीधे प्रवेश योग्य (Outright) प्रत्याशियों की पात्रता, साक्षात्कार, मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ के प्रमाणीकरण के आधार पर तय होगी। ऐसे प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/जिलाधीश से अपना शपथ–पत्र/मूल प्रमाण–पत्र प्रमाणित करा प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी स्तर पर आयोज्य आमंत्र्ण प्रतियोगिता के प्रमाण–पत्र भार अंक हेतु विचार योग्य नही माने जायेंगें ।

(च) प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाऐं होगी –

१. (अ) **प्रवेश सम्बन्धी विज्ञप्ति (Admission Notification) –** प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व कुल सचिव/अधिष्ठाता प्रवेश सम्बन्धी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित करेंगे। अधिसूचना में विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रवेश स्थान, आवश्यक योग्यता, आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि एवं आवेदन पत्र किस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, आदि के सम्बन्ध में सूचना रहेगी। अधिसूचना की प्रतियां महाविद्यालयों/विभागों के सूचना पट्ट पर भी लगाई जायेगी।

(ब) आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mlsu.ac.in से प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र मय आवेदन फीस रु१२०/– बैंक ड्राफ्ट के रूप में अंतिम तिथि तक निर्धारित स्थान पर पहुँच जाने चाहिए।

२. **आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि (Last Date for submitting Application Form)** पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से प्रसारित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहने की स्थिति में आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। तथापि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

३. **प्रवेश अयोग्य विद्यार्थी (Candidates not eligible for Admission)** निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विभागों/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगे।

(i) वे आवेदक जिनके विरूद्ध विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संघटक महाविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी अथवा शिक्षक अथवा

उसके कारण कर्मचारी ने पुलिस में अधि□त रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो और उन्हें उसके कारण सजा हुई हो या किसी अन्य प्रकार दण्डित किया गया हो।

(ii) वे आवेदक, जो किसी फौजदारी मुकदमें में दोषी पाये गये हो अथवा जो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये गये हो या जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो।

(iii) वे आवेदक, जिन्होंने सम्बन्धित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उससे पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध दुर्व्यवहार किया हो तथा जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन आदि का प्रयोग किया हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित किया गया हो/या अन्य प्रकार से दण्डित किया गया हो।

(iv) वे आवेदक, जिन्होंने संतापन (Ragging) जैसी घृणित, जघन्य एवं अमानवीय गतिविधियों में भाग लिया हो तथा जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ ३/२१/शिक्षा ग्रुप१११/८३, दिनांक ३ जुलाई १९८४ के अनुसार दण्डित किया गया हो।

(v) यदि किसी आवेदक की शारीरिक अक्षमता किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई–लिखाई में बाधक हो सकती है तो उस विषय में उसे प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।

(vi) ***प्रथम वर्ष के सभी ऐच्छिक विषयों के प्रश्न–पत्रें को उत्तीर्ण न करने वाले विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष में प्रवेश देय नहीं होगा और न ही वे स्वयंपाठी के रूप में तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे चाहे, उन्होंने द्वितीय वर्ष के सभी विषय उत्तीर्ण कर लिये हो।***

४. आवेदकों को निर्देश (Instructions for Applicants)

१. सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिये तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिये। यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं हो तो 'लागू नहीं' लिखिये। प्रविष्टि खाली छोड़ने पर आवेदन–पत्र अपूर्णता के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।

२. सभी दृष्टियों से पूर्व आवेदन–पत्र उसमें बताये गये प्रमाण–पत्रें की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित महाविद्यालय/संकाय/कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक पहुंच जाना चाहिये।

३. ***नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि माध्यमिक शिक्षा प्रमाण–पत्र के अनुसार होनी चाहिए।***

4. रेल तथा बस के किराये की रियायत केवल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित लम्बे अवकाश के समय ही, आवेदक के स्थाई पते वाले स्थान, जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेखित है, के लिए दी जायेगी।

5. निवास का पता पूर्ण देना है। यदि पते में परिवर्तन हो तो कार्यालय को तुरन्त सूचित करना है।

6. परिचय पत्र प्रवेश की कार्यवाही पूरी होने पर दिया जायेगा।

7. प्रवेश सूची महाविद्यालय/संकाय/सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी। प्रवेश पाये हुए छात्रों को निर्धारित दिनांक तक शुल्क अवश्य जमा कराना होगा, अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

8. गलत घोषणा एवं प्रमाण पत्र देने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा उसे महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा।

9. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षा में जो आवेदक एक से अधिक विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त विषय में प्रवेश के लिए स्नातक कक्षाओं के तीनों वर्षों की सत्यापित अंकतालिकाओं सहित अलग आवेदन पत्र भरना होगा। प्रवेश होने पर विद्यार्थी उसी विषय में प्रवेश शुल्क जमा कराये जिसमें वह अंतिम रूप से प्रवेश लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसका अन्य विषयों में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

5. **आवेदक की घोषणा (Declaration by the Applicant)** प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी यह घोषित करेगा कि –

(i) **मुझे किसी फौजदारी मुकदमें में सजा नहीं हुई है अथवा किसी फौजदारी मुकदमें के सम्बन्ध में मुझे जमानत पर रिहा नहीं किया गया है।**

(ii) **किसी भी न्यायालय में मेरे विरूद्ध फौजदारी का अथवा नैतिक अधमता का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।**

(iii) **मेरे विरूद्ध विश्वविद्यालय ने अथवा संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता/आचार्य ने अथवा अन्य सक्षम अधिकारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं कराई है, और न उसके लिए मुझे कोई दण्ड दिया गया है।**

(iv) **गत सत्र में मैंने अनुशासनहीनता व परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग आदि का कोई कृत्य नहीं किया है।**

(v) उपर्युक्त सूचनाओं में से यदि कोई झूठी निकलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाये।

(vi) प्रवेश के पश्चात् भी यदि मैं (i) से (v) तक किसी प्रवृत्ति में लिप्त पाया गया तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जावे।

६. प्रवेशार्थ आवेदन–पत्रें का वितरण (Distribution of Application Forms)

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय में प्रवेशार्थ आवेदन–पत्र संकाय/संघटक महाविद्यालय के कार्यालय से निर्धारित शुल्क नकद अथवा मनीऑर्डर द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। विवरणिका की एक प्रति भी आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को दी जायेगी। आवेदन पत्र जमा कराने की घोषित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे।

७. आवेदन पत्र जमा कराना (Depositing of Application Forms)

उन सभी प्रवेशार्थियों को जो नवीन पाठ्यक्रम में अथवा उसी पाठ्यक्रम में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की कक्षा में प्रवेश चाहते हैं, अथवा पूरक परीक्षा में बैठ रहे हैं एवं अगली कक्षा में प्रवेश चाहते, अपना आवेदन–पत्र सभी दृष्टियों से पूरा कर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करा देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र यदि तिथि न बढ़ाई गई तो रद्द किये जा सकते हैं।

प्रवेशार्थ दिये गये आवेदन–पत्र एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। साथ ही प्रवेश के बाद एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। अलग–अलग आवेदन–पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभागों/महाविद्यालय में देने होंगे।

८. आवेदन–पत्र के साथ लाये जाने वाले प्रपत्र (Documents to be brought with Application Form)

प्रत्येक नवीन प्रवेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना श्वेत–श्याम फोटो एवं निम्नलिखित प्रपत्रें की सत्यापित प्रतियाँ साथ लानी होगी।

(1) अर्हक परीक्षा/परीक्षाओं की अंकमालिका/तालिकाऐं। एमएस/एमस्कॉमश पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ लगायें।

(2) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।

(3) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से चरित्र प्रमाण पत्र।

(4) उच्च विद्यालय/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण–पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो।

(5) यदि आवेदक शुल्क में रियायत का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

(6) यदि आवेदक आरक्षित स्थानों पर प्रवेश का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

(7) रियायत अथवा योग्यता निर्धारण हेतु दिये गये बोनस अंक का यदि आवेदक पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

(8) अंतिम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं आवेदन पत्र देने में एक अथवा उससे अधिक वर्षों का अंतर हो तो अंतर के सम्बन्ध में वांछित स्पष्टीकरण दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित हलफनामा देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं है।

(9) यदि आवेदक नौकरी में हो तो सम्बन्धित नियोजक का अनापत्ति एवं अच्छे व्यवहार व चरित्र का प्रमाण पत्र।

(10) आवेदक एवं उसके माता–पिता/अभिभावक द्वारा इस आशय की घोषणा कि आवेदक नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहेगा तथा ऐसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय ग्रहण नहीं करेगा जिसमें उसके नियमित अध्ययन में बाधा पड़े।

टिप्पणियाँ :

(i) यदि आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रें में से प्रवेश की आवश्यकतानुसार किसी प्रपत्र को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन–पत्र रद्द किया जायेगा। मूल प्रपत्र भी मांगे जा सकते हैं तथा उन्हें कुछ समय तक रोका जा सकता है।

(ii) आवेदन–पत्र के साथ नहीं दिया गया योग्यता एवं आरक्षण आदि को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा एवं आरक्षण/बोनस अंक/शुल्क में रियायत के लिए उस पर विचार नहीं किया जायेगा। ***आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी ने यदि आरक्षण, रियायत अथवा अतिरिक्त अंक भार नहीं चाहा तो उसे कोई आरक्षण रियायत एवं अंक भार नहीं दिया जायेगा।***

(iii) प्रवेश समिति के संयोजक आवेदन पत्र के साथ दिये गये प्रपत्र के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण करेंगे। शुल्क निर्धारण हेतु आवेदक माता–पिता/अभिभावक की आय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

६१ आवेदन–पत्रें का पंजीकरण (Registration of Application Forms)

महाविद्यालय/विभाग के अधिष्ठाता/अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेशार्थ दिये गये आवेदन–पत्रें की

सम्बन्धित सहायक लिपिक द्वारा प्रारम्भिक जांच के पश्चात् पंजीकरण किया जायेगा। तत्पश्चात् ये आवेदन–पत्र विभिन्न कक्षाओं/विभागों में प्रवेश हेतु गठित समितियों को अग्रेषित कर दिये जायेंगे।

१०१ प्रवेश समिति (Admission Committee)

किसी संकाय में प्रवेश हेतु **निर्धारित अंतिम तिथि** तक जमा किये गये आवेदन–पत्र प्रवेश समिति द्वारा एक साथ विचारार्थ लिये जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति का गठन संघटक महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सम्बन्धित संकाय समन्वयक/विभागों के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

१११ प्रवेश प्रक्रिया (Procedure of Admission)

(i) उन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, सभी प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे। प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक तथा नियमानुसार होने वाले भार अंक एवं समय–समय पर सूचित किये गये अन्य प्राप्त नियमों के आधार पर होगा।

(ii) विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षा में प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण ५० प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों एवं ५० प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक परीक्षा (प्रायोगिक को छोड़कर) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित स्थान के लिए अलग–अलग योग्यता सूचियां बनाई जायेगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों से पहले प्रवेश निश्चित किये जायेंगे एवं बचे हुए आवेदकों के नाम यदि कोई हो तो उन्हें सामान्य योग्यता सूची में योग्यता के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

(iv) *प्रवेश प्रक्रिया* के अन्तर्गत गठित किये गये समन्वयकों के कार्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी –

1. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (कला संकाय के सभी विषय) में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के आवेदन–पत्र स्वीकार करना। इसके लिए केन्द्र पर दो काउन्टर होंगे। एक काउन्टर पर रियायतें एवं भार चाहने वाले अन्य सभी आवेदन–पत्र जमा होंगे तथा दूसरे काउन्टर पर बिना रियायत एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन पत्र जमा होंगे।

2. रियायतें एवं भार चाहने वाले प्रत्याशी आवेदन पत्र कार्य दिवस में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ सम्बन्धित संकाय की वेटेज कमेटी के समक्ष उपस्थित होंगे। समिति के समक्ष अनुपस्थित रहने पर आवेदन–पत्र पर रियायत एवं भार देय नहीं होगा।

3. वेटेज समिति को मूल प्रमाण–पत्रों में प्रमाणीकरण और प्रत्याशी से व्यक्तिगत साक्षात्कार के उपरान्त देय रियायतें एवं भार उसके आवेदन–पत्र पर अंकित कर प्रतिदिन के आवेदन–पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति को भिजवाना है। ***सीधे उत्तीर्णांक पर प्रवेश लेने वालों के मूल प्रमाण–पत्र प्रमाणीकरण के लिए कार्यालय में जमा किये जायेंगे। इसके साथ इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणीभत शपथ–पत्र भी जमा कराना होगा।***

4. प्रवेश समिति, प्रतिदिन प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों को कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री अपने कार्यालय में करायेगी एवं प्रिण्ट आउटपुट का मूल आवेदन–पत्र की प्रविष्टियों से जांच करती रहेगी। डेटा एन्ट्री एवं जांच का कार्य आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के अगले दो दिन तक पूर्ण कर लेना होगा।

5. आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के आरक्षित स्थानों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जायेगा, जिसकी अंतिम तिथि पूर्व घोषित सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से तीन दिन बाद की होगी।

6. ऐसे विज्ञापन के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री व जांच कार्य सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि के चौथे दिन तक पूरा कर लिया जायेगा।

7. प्रत्येक केन्द्र पर योग्यता वरीयता क्रम के अनुसार तथा प्रथम विषय वरीयता क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की समस्त प्रत्याशी सूची आवेदन–पत्र जमा करने की सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से 4 दिन बाद सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी।

8. योग्यता वरीयता क्रम की प्रसारित सूची के अनुसार व्यक्तिगत प्रवेश प्रक्रिया का परामर्श कार्यक्रम सूचना पट्ट पर लगाया जायेगा, जिसमें प्रत्येक दिन को बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों का विवरण उल्लेखित होगा। उसी क्रम से प्रत्याशी अपने अपेक्षित मूल प्रमाण–पत्रों, सत्यापित प्रतिलिपियों एवं आवश्यक शुल्क आदि लेकर परामर्श के लिए प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित केन्द्र पर निश्चित दिन व समय पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले प्रत्याशियों का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त माना जाएगा।

9. समस्त परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त तथा निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात् यदि किसी श्रेणी में किसी केन्द्र पर स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें भरने के लिए योग्यता प्रवेश सूची में सम्मिलित किन्तु अवसर से वंचित प्रत्याशियों को परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित होने पर एक अन्तिम अवसर और दिया जा सकेगा। यह अवसर केवल उन प्रत्याशियों को दिया जायेगा जिनके ***पुर्नविचार के लिए लिखित में आवेदन–पत्र*** उनकी पूर्व में निर्धारित परामर्श तिथि के दो दिन के भीतर केन्द्र में प्राप्त हो चुके होंगे। आवंटित विषय परिवर्तन हेतु भी लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसी पुनः परामर्श प्रक्रिया में विचार किया जायेगा।

10. यह अन्तिम पुनः परामर्श प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में आरम्भ हुई परामर्श प्रक्रिया के दिन के आठ दिन बाद दो दिन में पूरी कर ली जायेगी और अन्तिम प्रवेश सूची का प्रसारण सभी महाविद्यालयों में करने के साथ ही विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के वह सूची प्रेषित कर दी जायेगी।

11. परामर्श प्रवेश प्रक्रिया के दिन प्रत्याशी को पूर्ण शुल्क का ड्राफ्ट/नकद केन्द्र पर ही जमा कराना होगा।

12. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् किसी कारणवश यदि कोई स्थान रिक्त रहता है तो उसके लिए आवेदन पत्रों के अभाव में पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा सकते हैं। किन्तु यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रवेश समिति द्वारा पूरी कर ली जायेगी।

(v) समस्त विधि सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया

१ विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश भारत विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India) के नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अधीन होंगे तथा रियायतों एवं भार (Concession & Weightage) से मुक्त होंगे।

2. विधि स्नातक (एलएल.बी. त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष के लिए प्रत्येक छात्र को प्रवेश परीक्षा देनी होगी तथा प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर वरीयता क्रम में कक्षा की क्षमता तक प्रवेश दिये जा सकेंगे। कक्षा की कुल क्षमता 120 (स्ववित्त पोषित 60) विद्यार्थी हैं। प्रवेश परीक्षा दिये बिना कोई भी विद्यार्थी प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

3. (i) प्रवेश परीक्षा देने के लिए वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, विज्ञान, औषधि, प्रौद्योगिक, भषि अथवा अन्य किसी विषय में स्नातक की उपाधि (10+2+3) **पद्धति से अथवा उपर्युक्त किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (10+2+3 पद्धति से स्नातक के बाद) में न्यूनतम ४५% अंक प्राप्त किये हैं।**

(ii) **राजस्थान के बाहर के प्रवेशार्थियों पर प्रवेश सामान्य नियम संख्या ४ लागू होगा।**

(iii) **इस बुलेटिन के अन्य कोई प्रावधान होते हुए भी किसी विद्यार्थी को विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि उसने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश की पात्रता अर्जित नहीं की है।**

४ यदि किसी अभ्यर्थी का उपर्युक्त विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है तब भी वह प्रवेश परीक्षा दे सकेगा किन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र तभी माना जायेगा जबकि वह प्रवेश के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेगा तथा उसका प्रवेश उपरोक्त नियम २ के अधीन होगा।

5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत प्राप्तांक केवल विधि प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन करने की योग्यता है, इससे प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा।

6. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित एवं पुनर्मूल्यांकन कराने वाले प्रवेशार्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।

7. (i) **किसी विद्यार्थी के आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांकों से एक भी अंक कम होने पर उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा। विधि स्नातक के लिए अजा, जजा, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता पिछली परीक्षा के पास अंक (40%) रहेगी। विवरणिका के पृष्ठ १०, ११ व १२ (ग)** I-i, ii, iii, viii, ix, xi **पृष्ठ १२, १३ व १४** i-x **के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।**

   (ii) **सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्त पोषित सहित) अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि ५० प्रतिशत ही ली जायेगी।**

8. ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी विभाग (सरकारी अथवा गैर–सरकारी) में कार्यरत हो उनको विधि संकाय में प्रवेश तब ही दिया जायेगा जबकि वे अपने नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें कि वे उदयपुर नगर की सीमा में कार्यरत हैं। उदयपुर नगर की सीमा के बाहर कार्यरत विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदयपुर नगर में कार्यरत विद्यार्थियों को बिना उपरोक्त प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

9. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र तथा प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र महाविद्यालय से निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित तिथि पर प्राप्त किये जा सकेंगे।

10. भारत की विधि परिषद् की अपेक्षा की पालना के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस विवरणिका में कोई बात इसके विपरित होते हुए भी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय विधि स्नातक की परीक्षा देने पर विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कराकर आगे की कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कर लें। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। परीक्षा में असफल घोषित होने पर उनको नियमानुसार शुल्क वापस किया जा सकेगा।

11. विधि स्नातक का पाठ्यक्रम जो तीन वर्ष का है यदि कोई विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं होता है और विश्वविद्यालय के प्रोन्नत (च्तवउवजमक) के नियमों के अनुसार द्वितीय वर्ष विधि में प्रवेश पा लेता है लेकिन विधि पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में उसे प्रवेश तभी दिया जायेगा जबकि वह पूर्ण रूप से प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो चुका हो।

12. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

13. विधि पाठ्यक्रम बार कौन्सिल के नियमों के अध्याधीन है। अतः 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी तथा उसे उपस्थिति की कमी के बारे में सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जायेगी। नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थिति के बारे में जानकारी रखने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(vi) एम.ए. के लिए योग्यता निर्धारण

एम.ए. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के निर्धारण हेतु जिस विषय में अभ्यर्थी प्रवेश चाह रहा है उस विषय में उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों को बी.ए. के प्राप्तांकों को जोड़कर योग्यता का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार प्रवेशार्थी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें। प्रवेश हेतु उन्हीं संकाय के स्नातक डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों की योग्यता वरीयता का निर्धारण 5% **अतिरिक्त अंक देकर दिया जायेगा। इसके लिए प्रवेशार्थ न्यूनतम योग्यता आवश्यक है।**

एम.कॉम. में प्रवेश बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.बी.एम. में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर ही देय होगा।

(vii) प्रपत्रें की मूल प्रति जमा कराना (Depositing of Original Documents)

विभिन्न कक्षाओं में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक प्रपत्रें की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के पश्चात् ही शुल्क/डीश्डीश जमा कराके उनके प्रवेश को निश्चित किया जायेगा।

12. वैकल्पिक विषय एवं लघु शोध प्रबन्ध (Optional Subjects & Dissertation)

जिन ऐच्छिक विषय/विषयों को विद्यार्थी लेना चाहता है उसका उल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। किसी कक्षा में ऐच्छिक विषयों को योग्यता के आधार पर उन आवेदकों को दिया जायेगा, जो उन विषयों को लेने के इच्छुक हैं। कक्षा में विषय की क्षमता तक ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में ऐच्छिक विषय व्यक्तिगत परामर्श के उपरान्त दिये जायेंगे, जिनमें सामान्यतया परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

एमश्एश/एमश्कॉमश/एमश्एससीश पूर्वार्द्ध परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी ने ५५ प्रतिशत अंक अर्जित किये हैं तो उत्तरार्द्ध परीक्षा के लिए सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रावधान के अनुसार

एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र के स्थान पर लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) को विभाग द्वारा वांछित सुविधा उपलब्ध होने पर ही अनुमति दी जा सकेगी। (अजा/जजा हेतु ५०% अंक माने जायेंगे।)

13. ***विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के जिन विद्यार्थियों का आरक्षण कोटे के भरने के बाद भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसे विद्यार्थी अगर उदयपुर के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके आवेदन पत्र स्थानीय महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किये जा सकेंगे।***

14. प्रवेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Admission)

अधोलिखित परिस्थितियों में आवेदकों का प्रवेश संस्थाध्यक्ष द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है –

(i) आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हो एवं गलत जानकारी/तथ्य दिये गये हों।

(ii) यदि आवेदन–पत्र पर माता या पिता अथवा अभिभावक आदि के जाली हस्ताक्षर किये गये हों।

(iii) यदि जाली प्रपत्र/प्रमाण–पत्र संलग्न किये गये हों।

(iv) यदि आवेदक पूरक परीक्षा या अन्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाये जिसके आधार पर उसे आगे की कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया हो।

(v) यदि आवेदक को संस्था/न्यायालय द्वारा किसी अनुशासनहीनता या अपराध के लिए दण्डित किया गया हो।

(vi) परिस्थितिजन्य अन्य कोई समुचित कारण/आदेश होने पर।

15. पाठ्यक्रम को स्थगित करना (Suspension of Course of Study)

यदि किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध न हो पाये तो विद्यार्थियों को प्रवेश दे देने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय द्वारा उस पाठ्यक्रम को स्थगित किया जा सकता है। यदि किसी **नवीन पाठ्यक्रम** में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या स्नातक पाठ्यक्रम में १०, ऑनर्स में ५ एवं स्नातकोत्तर में ३ न हो तो उस पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अन्य पाठ्यक्रम के पात्र हो तो उन्हें उसमें जाने की अनुमति अथवा प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस लेने की अनुमति दी जायेगी।

१६श उत्तर–पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन पर उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Candidates qualifying on Re-evaluation of Answer-Books)

किसी नियमित विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन के परिणामस्वरूप अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे आगे की कक्षा में तभी प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह पुर्नमूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से १० दिन के अन्दर आवेदन पत्र दें। ऐसे विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जायेगा यदि जिस कक्षा में वह प्रवेश का इच्छुक है उसमें स्थान रिक्त हो एवं उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत से कम न हो। प्रवेश से वंचित विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में नियमानुसार अपना अध्ययन कर सकेंगे।

17. पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Students Qualifying at Supplementary Examination)

पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक तभी प्रवेश ले सकेंगे, जब सभी योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त हो एवं नियम ७ के अधीन वे योग्यता सूची में आते हो। निर्धारित तिथि वही होगी जो पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं तथा यह सुविधा केवल स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए है।

18. राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों का प्रवेश (Admission of Students coming from other Universities of Rajasthan)

राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके माता–पिता के स्थानान्तरण के कारण यहाँ द्वितीय वर्ष में ३०श०६श२००६ तक प्रवेश दिया जा सकेगा। उन्हें दो वर्ष की उपाधि प्रदान की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की श्रेणी का निर्धारण उनके द्वारा विश्वविद्यालय में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। किन्तु तृतीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जायेगा।

19. अतिरिक्त विषय/समूह ग्रुप की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश (Admission of Students Appearing in Additional Subjects Group)

किसी विषय की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी विषय के किसी अतिरिक्त विषय समूह में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी को कक्षा में रिक्त स्थान होने पर नियमित प्रवेश देने पर

विचार किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल अतिरिक्त विषय/समूह की अंकतालिका ही दी जायेगी।

20. प्रवेश वर्जित

(i) अन्य महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश देय नहीं हैं।

21. प्रवेश सम्बन्धी सामान्य टिप्पणियाँ

(i) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आधिकारिक रूप से प्रवेश का हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होने पर भी किसी विद्यार्थी को बिना कारण बताये प्रवेश से वर्जित किया जा सकता है।

(ii) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश रद्द किया जा सकता है, यदि वह विश्वविद्यालय अधिनियम व उपनियमों की धाराओं का अथवा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन अथवा किसी अपराध के लिए दण्डित हुआ हो अथवा किसी आपराधिक भत्य में लिप्त हो अथवा यह पाया जाए कि उसने प्रवेश के लिए गलत जानकारी अथवा प्रपत्र दिये हैं।

(iii) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, विधि संकाय के पाठ्यक्रमों, विद्यावाचस्पति (चिण्क्) तथा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम जिनके लिए अलग नियम बनाये गये हैं, उनको भपया अलग से देखें।

(iv) अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नियम इस विवरणिका के पृष्ठ १०, ११ व १२ (ग) I-i, ii, iii, viii, ix, xi पृष्ठ १२, १३ व १४ i-x के अनुसार लागू रहेंगे।

२२श प्रवेश अधिकारी

स्नातक स्तर के सभी प्रवेश समन्वयक/अधिष्ठाता द्वारा किये जायेंगे तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश समन्वयक/विभागाध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे। विशेष पाठ्यक्रमों के प्रवेश अधि□त संचालक द्वारा किये जायेंगे। इस संबंध में निर्णय का इन्हें विश्वविद्यालय के नियमों तथा निर्णयों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार होगा।

२३१ Special Rules Regarding Foreign Students

A. ADMISSION

1. Candidates who have qualification from outside India and are now willing to join any course with the University must first apply to Association of Indian Universities (AIU) Delhi for equivalence certificate, having obtained such certificate, they should apply for eligibility letter for admission to the University. In order to obtain eligibility letter for admission to Ph.D. Programme, the candidate must also submit approved synopsis of Ph.D. by a recognised supervisor, along with the application.

2. In respect of those students who produce letter of admission eligibility form this University, the Indian mission abroad will issue Student Visa/ Research Visa.

3. The foreign students seeking admission to any course of the University including Ph.D. should apply through their embassy/high commission. Those who have passed their qualifying examination from a University, within India (other then MLSU) should also apply under intimation to their embassy/high commission. They also have to submit migration certificate within one month from the date of provisional admission.

4. A foreign national shall be eligible for admission to any course of this University provided he/she has btained minimum 60% marks in the qualifying examination. This rule, however, will not apply in case of those candidates who qualify their graduation from this University.

5. For admission to First Year of Three Year Degree Course in any faculty, only those candidates shall be eligible who had English as a subject in their qualifying examination.

6. For admission to First Year of the Three-Year Degree Course in science faculty, only those candidates shall be eligible who had General Science as a subject in their qualifying examination.

7. The Dean, P.G. Studies will decide the cases for Ph.D. enrollment of foreign students in consultation with the International Students Advisor.

8. The foreign students are required to submit a Medical Fitness Certificate from the specified authority by the Ministry of Home at the time of their admission. They will also submit an AIDS Test Report from S.M.S. Hospital, Jaipur /R.N.T. Medical College, Udaipur for ICMR AIDS SURVEILLANCE Centre.

9. Residential permit granted for studies and entry-visa for more than six months will be treated at par with student visa.

10. All foreign students seeking admission to this University shall be apprised that the medium of instruction in the University is generally Hindi at the Undergraduate level.

11. All foreign students will be admitted, if otherwise found eligible only as regular students in the college concerned. Foreign students are not eligible to appear as a Non-Collegiate (Private) candidate at any examination of this University.

12. Failure students shall be allowed to take regular admission in the same class only twice in the immediate successive session. He/she shall not be entitled to become Ex-students in any case. In case he/she does not pass any class within three years, he/she has to go back to his/her country.

13. The University shall not accept any admission on transfer and/or allow to change his/her admission from other educational institutes/from any other University into this University during packaged programme of study.

14. Foreign students is required to submit a copy of the registration with Criminal Investigation Department, Udaipur after he/she is admitted.

15. Foreign students are required to submit all original documents for verification to the Head of the Institution while seeking admission in the college concerned.

16. Students who fail to furnish the required documents at the time of admission, his/her admission shall remain provisional for a period not beyond 31st December every year. Thereafter provisional admission shall be cancelled by the University/Institution and the matter shall be reported to the Ministry and Embassy concerned.

B. FEES

1. Tuition Fees

(i)	Undergraduate Courses	
	First Year	Rs.340 per month
	Second Year and Third Year	Rs. 440 per month
(ii)	Post-Graduate Course	Rs. 540 per month
(iii)	M.Phil	Rs. 800 per month
(iv)	Ph.D.	Rs.9600 per year

2. University shall charge Rs.100 (One Hundred only) as Eligibility verification fee on admission.

3. Fees under all other heads charged from local students, shall be payable by foreign students at the same rates.

C. DISCIPLINE

Foreighn students are required to maintain good conduct during the course of studies in the University and are to act according to the advice of the Dean Students Welfare, International Students Advisor, Head of the Institution concerned and other University authorities. Otherwise disciplinary action shall be taken as per provisions existing in the Information Bulletin of the University/ Institute. They shall not participate into local politics and local franchise except students Union Election wherein they will be eligible to cast a vote only.

2. The student shall make payment of college fees and University dues punctually on the prescribed dates.

3. If the foreign students remains absent from the class from one month continuously, his/her admission will stand cancelled and he/she will be no more a student of the college.

D. MISCELLANEOUS

1. In case, a foreign student desires to leave for abroad during the course of study, he/she should obgain No Objection Certificate from the Head of Institution/ Department and Immediately on return. He/She should submit a certificate of medical fitness to the concerned Institution/Department.

2. So long, the student is not registered for any of the course, the University authorities will not issue a bonafide students certificate to him.

3. The Head of the Institution/Dean P.G. Studies will send the details of the foreign students immediately after their admission to the Registrar and the International Students Advisor.

4. All other rules and regulations for local students shall apply for foreign students also.

3. शुल्क (Fees)

शिक्षण शुल्क जुलाई से जून तक बारह महीनों के लिए अग्रिम किश्त में महाविद्यालय अधिष्ठाता को निर्धारित तिथि पर देय होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर शुल्क नहीं जमा करा पाता है तो उसे अधिष्ठाता को विलम्ब के कारणों को बताना होगा। यदि अधिष्ठाता कारणों के औचित्य से संतुष्ट होते हैं तो शुल्क जमा कराने की अनुमति दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रवेश के समय देय होंगे।

1. शिक्षण शुल्क (ज्नपजपवद थ्मम)

	कक्षा	आयकर न देने वाले के आश्रित	आयकर देने वाले के आश्रित
1.	**स्नातक कक्षाएँ त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम**		
	प्रथम वर्ष	रु. 70/– प्रतिमाह	रु. 100/– प्रतिमाह
	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	रु. 90/– प्रतिमाह	रु. 120/– प्रतिमाह
2.	**स्नातकोत्तर कक्षाएँ**		
	छात्र	रु. 120/– प्रतिमाह	रु. 150/– प्रतिमाह

टिप्पणियाँ

1. निम्न श्रेणी के सभी विद्यार्थियों से उचित प्रमाण–पत्र की उपलब्धि पर कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा –

   (i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर भारतीय छात्रएँ।

   (ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थी।

   (iii) पूर्व सैनिक जो स्थाई रूप से असमर्थ हो गये हो और राजस्थान में बस गये हों, वे स्वयं अथवा उनके आश्रित छात्र तथा भारतीय सीमाओं पर हुए युद्धों में मृतक सैनिकों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान में बस गए हों (अन्य सैनिकों को कोई शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगा)।

   (iv) सन् १९७१ के भारत पाक युद्ध में मारे गये अथवा स्थाई रूप से असमर्थ हो गए राजस्थान से सम्बन्धित सेना/सीमा सुरक्षा बल/सशस्त्र पुलिस के सदस्यों के बच्चे अथवा पत्नी। (इस श्रेणी के छात्रें से परिचय–पत्र शुल्क छोड़कर शेष स्थानीय शुल्क भी नहीं लिये जायेंगे।)

(v) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के आयकर नहीं देने वाले कर्मचारियों के संरक्षित। (कोई भी विद्यार्थी जिसके पिता जीवित है और अपंग नहीं है, के संरक्षक उसके पिता ही होंगे। पिता के अपंग होने अथवा मृत होने पर उसका सगा भाई/अविवाहित बहिन/माता उसके संरक्षक होंगे।)

(vi) सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं राजस्थान राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियमानुसार आगे पढ़ने की अनुमति मिली हुई है एवं आयकर नहीं देते हैं।

(vii) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित परिवारों के बच्चे (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)।

2. विद्यार्थी के अनुचित व्यवहार एवं अनुचित आचरण का दोषी पाये जाने पर उपर्युक्त रियायतें तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जायेगी।

3. विद्यार्थी शुल्क की रसीदों को सुरक्षित रखें। एन.सी.सी. का गणवेश, पुस्तकालय पाठक कार्ड आदि शुल्क की रसीद दिखाने पर ही दिया जायेगा।

4. विद्यार्थी को यह रियायत सेना के अभिलेख कार्यालय अथवा पुलिस अधिकारियों से 'एन्टाइटलमेन्ट पत्र' प्रस्तुत करने पर अनुज्ञेय होगी। रियायत स्थाई रूप से असमर्थ स्वयं सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं, को भी **उपलब्ध होगी।**

ऐसी शुल्क मुक्ति का पुनर्भरण महाविद्यालय शिक्षा निदेशक, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक एफ३४ (2)शिक्षा जी३आर३११/७२, दिनांक ४३४३७३ के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रज्ञा–चक्षु (अन्धे) छात्र निम्न शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगे –

(अ) शिक्षण	(ब) परीक्षा
(स) पुस्तकालय अवधान द्रव्य	(द) पुस्तकालय
(य) क्रीड़ा	(र) विद्यार्थी सहायता

2. अन्य शुल्क (व्जीमत थ्मम)

1. प्रवेश शुल्क — रु. 60/– (केवल नये विद्यार्थियों से)

2. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान एवं कला संकाय में प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए)'

स्नातक कक्षा तक	रु. 250/– प्रतिवर्ष
स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए	रु. 300/– प्रतिवर्ष

3.	नामांकन शुल्क''	रु. 200/– प्रतिवर्ष
4.	योग्यता शुल्क	
(1)	राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	रु. 150/– एक बार
(2)	राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अलावा अन्य सभी बोर्ड	रु. 350/– एक बार
5.	ऐलीमेन्ट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन (केवल द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों से)	रु. 450/– प्रतिवर्ष
6.	एम.ए. (उत्तरार्द्ध)/एम.लिब. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन ऐच्छिक प्रश्न–पत्र)	रु. 750/– प्रतिवर्ष

3. स्थानीय शुल्क (स्वबंस थ्मसे)

1.	क्रीड़ा शुल्क	रु. 75/– प्रतिवर्ष
2.	स्पोर्टस् बोर्ड शुल्क	रु. 40/– प्रतिवर्ष
3.	वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	रु. 50/– प्रतिवर्ष
4.	विषय/संकाय परिषद् शुल्क	रु. 40/– प्रतिवर्ष
5.	मनोरंजन शुल्क	रु. 20/– प्रतिवर्ष
6.	विकास शुल्क	रु. 150/– प्रतिवर्ष
7.	परिचय पत्र शुल्क	रु. 30/– प्रतिवर्ष
8.	छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 60/– प्रतिवर्ष
9.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 30/– प्रतिवर्ष
10.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 60/– प्रतिवर्ष
11.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 30/– प्रतिवर्ष
12.	मुक्त प्रणाली (वाचनालय)	रु. 40/– प्रतिवर्ष
13.	छात्र सहायता निधि शुल्क	रु. 30/– प्रतिवर्ष
14.	साइकिल स्टेण्ड शुल्क	रु. 45/– प्रतिवर्ष
15.	पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 40/– प्रतिवर्ष
16.	पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 20/– प्रतिवर्ष
17.	पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 150/– एक बार
18.	प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 150/– एक बार
19.	वाद–विवाद एवं सांस्भतिक गतिविधियां	रु. 50/– प्रतिवर्ष
20.	शैक्षणिक भ्रमण शुल्क	रु. 200/– प्रतिवर्ष जहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।

4. एम.फिल. शुल्क (डण्चीपसण थ्मसे)

1.	शिक्षण शुल्क	रु.200/– प्रतिमाह
2.	प्रवेश शुल्क	रु.150/– प्रतिवर्ष
3.	क्रीड़ा शुल्क	रु.100/– प्रतिवर्ष
4.	स्पोर्ट बोर्ड शुल्क	रु. 50/– प्रतिवर्ष
5.	वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	रु. 50/– प्रतिवर्ष
6.	मनोरंजन शुल्क	रु. 30/– प्रतिवर्ष
7.	विकास शुल्क	रु. 300/– प्रतिवर्ष
8.	पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	रु. 100/– प्रतिवर्ष
9.	परिचय–पत्र शुल्क	रु. 30/– प्रतिवर्ष
10.	छात्र सहायता निधि शुल्क	रु. 30/– प्रतिवर्ष
11.	साईकिल स्टेण्ड शुल्क	रु. 45/– प्रतिवर्ष
12.	विषय/संकाय परिषद् शुल्क	रु. 50/– प्रतिवर्ष
13.	पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 40/– प्रतिवर्ष
14.	पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 30/– प्रतिवर्ष
15.	पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 150/– एक बार
16.	छात्र–संघ शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 60/– प्रतिवर्ष
17.	छात्र–संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 30/– प्रतिवर्ष
18.	छात्र–संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 60/– प्रतिवर्ष
19.	छात्र–संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 30/– प्रतिवर्ष
20.	वाद–विवाद एवं सांस्भतिक गतिविधियाँ	रु. 50/– प्रतिवर्ष

' कला संकाय में संगीत, भूगोल, चित्रकला, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा भाषा प्रयोगशाला में प्रयोगशाला शुल्क लिया जायेगा।

'' उन विद्यार्थियों से जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन होना है।

5. विद्यावाचस्पति शुल्क

1.	पंजीकरण शुल्क (विश्वविद्यालय में)	रु. 2500/– एक बार
2.	शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों से) (महाविद्यालय में)	रु. 2400/– प्रतिवर्ष
3.	परीक्षण शुल्क (थीसिस प्रस्तुत करते समय) (विश्वविद्यालय में)	रु. 7500/– एक बार

शोध विद्यार्थी को पंजीयन आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय विवरणिका उपलब्ध करवायी जायेगी।

शोध छात्र द्वारा पंजीभत होने की तिथि से शुल्क देय होगा। प्रवेश के समय निम्नांकित स्थानीय शुल्क भी जमा करना होगा।

स्थानीय शुल्क

4.	प्रवेश शुल्क	रु.200/– एक बार
5.	वाचनालय शुल्क	रु.100/– प्रतिवर्ष
6.	छात्र सहायता निधि शुल्क	रु. 30/– प्रतिवर्ष
7.	परिचय–पत्र शुल्क ;त्थ्प्क्ध्ैउंतज ब्ंतकद्ध	रु.100/– प्रतिवर्ष
8.	साईकिल स्टेण्ड शुल्क	रु. 45/– प्रतिवर्ष
9.	प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान संकाय)	रु.200/– प्रतिमाह
10.	छात्र–संघ शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 60/– प्रतिवर्ष
11.	छात्र–संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 30/– प्रतिवर्ष
12.	छात्र–संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 60/– प्रतिवर्ष
13.	छात्र–संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 30/– प्रतिवष
14.	पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 50/– प्रतिवर्ष
15.	पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 30/– प्रतिवर्ष
16.	पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु.150/– एक बार
17.	प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (विज्ञान संकाय में)	रु. 200/– एक बार
18.	पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	रु. 100/– प्रतिवर्ष
19.	विकास शुल्क	रु. 300/– प्रतिवर्ष
20.	विषय/संकाय परिषद् शुल्क	रु. 50/– प्रतिवर्ष

टिप्पणियाँ :

1. विश्वविद्यालय के संघटन एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय कर्मचारी से, जो विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु पंजीभत होते हैं, शिक्षण तथा प्रयोगशाला शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें केवल प्रवेश एवं पंजीकरण शुल्क देना होगा।

2. आई.सी.ए.आर., यू.जी.आई.आई., आई.सी.एस.एस.आर. इत्यादि की शोध योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे शोध छात्रों को जो विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत हैं और यदि वे अधिष्ठाता की पूर्वानुमति से विभाग के शिक्षण कार्य में आवश्यक कालांश का शिक्षण कार्य करते हैं तो उन्हें शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।

3. अध्यापक शोधकर्ता (ज्मंबीमते त्मेमंतबी थ्मससवू) जो संकाय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करते हैं, के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

4. छात्राओं के लिए भी शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के शोधकर्ता के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

6. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आश्रितों को जो कि विद्यावाचस्पति के लिए पंजीभत है, शिक्षण शुल्क से मुक्ति या पुनर्भरण देय नहीं है।

7. अवधान द्रव्य जो देय है, की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर यदि छात्र द्वारा वापस नहीं ली गई तो अदेय होकर विश्वविद्यालय के लिए व्ययगत (स्चेम) हो जाएगी।

8. विवरणिका में इंगित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस देय नहीं होगा।

9. परिचय पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए रु. 100/– शुल्क देना होगा। स्मार्ट कार्ड की दूसरी प्रति के लिए शुल्क रू. 200/– देना होगा।

10. शोधार्थी प्रतिवर्ष सभी प्रकार के अपेक्षित शुल्क लिखित तिथि पर जमा कराएगा। अन्यथा प्रतिवर्ष रु. 500/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

11. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सैनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा।

6. शुल्क वापसी (त्मनिदक व ि थ्मसे)

(क) विद्यार्थी द्वारा जमा कराये गये समस्त शुल्क में से रु. 1000/– (एक हजार रुपये) प्रवेश प्रक्रिया का काटकर पुनः तभी लौटाया जा सकेगा जब प्रवेश की अंतिम तिथि तक उसको आवंटित की गई सीट भर ली गई हो।

(ख) प्रवेश शुल्क की वापसी किसी भी स्थिति में नहीं होगी।

(ग) जिस विद्यार्थी को किसी प्रलेख के प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्थाई प्रवेश दिया गया है और वह निर्धारित अवधि में उस प्रलेख को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रवेश रद्द होने पर उसका अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।

(घ) यदि किसी विद्यार्थी को पूरक परीक्षा अथवा अन्य किसी भी कारण से अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाता है परन्तु बाद में पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा अन्य कारण से अगली कक्षा में प्रवेश के अयोग्य घोषित होने के कारण उसका अगली कक्षा का प्रवेश निरस्त हो जाता है तो उसके द्वारा अगली कक्षा के लिए जमा कराया गया शुल्क, अवधान द्रव्य के अतिरिक्त वापस देय नहीं होगा।

(ङ) शुल्कों की वापसी के लिए सभी कार्यवाही प्रत्येक सत्र में अक्टूबर माह के पश्चात् ही होगी परन्तु विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अंत तक इस राशि की मांग नहीं करने पर वह राशि व्ययगत (Lapse) हो जायेगी।

७. विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क

1.	त्रि–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमशः	रु. 500, 500, 500
2.	स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध कक्षाओं के लिए क्रमशः	रु. 660, 660
3.	एम.एससी. इलेक्ट्रोनिक्स (सेमेस्टर ए एए एएए – एट)	रु. 1320 प्रति सेमेस्टर
4.	एम.फिल. कक्षाओं के लिए	रु. 1650
5.	विद्यावाचस्पति (चीण्क्ण) शोध प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शुल्क	रु. 7500
6.	विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष क्रमशः	रु. 660, 660, 660
7.	विधि निष्णात प्रथम, द्वितीय वर्ष क्रमशः	रु. 770, 770

नोट :

(1) विश्वविद्यालय के स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को प्रतिवर्ष 200/– विकास शुल्क परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

(2) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों के वार्ड – पुत्र/पुत्री व पत्नी के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।

अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम

8.	एम.टी.एम. (नियमित)	रु. 1320
9.	एम.बी.ए.	रु. 1100 प्रति सेमेस्टर

10.	एम.एफ.सी., एम.आई.बी., एम.एच.आर.एम., एम.आर.एम., एम.बी.आई.	रु. 1100 प्रति सेमेस्टर
11.	बी.पी.ई., एम.पी.ई., एम.सी.ए., एम. एस.सी. आई.टी., बी. फार्मा	रु. 1100 प्रति सेमेस्टर
12.	सभी पी.जी. डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	रु. 610/–
13.	डिप्लोमा फैशन डिजाईन/बी.पी.एड/बी.सी.ए/बी.वी.ए.	रू. 550/–
14.	बी.बी.एम.	रू 880/–
15.	बी.लिब. एवं एम.लिब	रू. 660/–

टिप्पणी

1. परीक्षा संबंधी शुल्क दरें विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बदली जा सकती है।
2. पूरक परीक्षा का शुल्क मुख्य परीक्षा की दर पर ही देय होगा।
3. कोई विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो निम्नलिखित अवस्थाओं के अतिरिक्त परीक्षा तक वापस देय नहीं होगा। **इस शुल्क को आगामी परीक्षा के लिए समायोजित भी नहीं किया जायेगा।**

   (i) यदि उसका परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है।
   (ii) विद्यार्थी का निधन हो जाता है।
   (iii) शुल्क प्राप्त होता है पर परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है।

8. विश्वविद्यालय के अन्य शुल्क

'1.	नामांकन	200 रुपये
2.	योग्यता शुल्क	
(प)	राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	रु. 150/– एक बार
(पप)	राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अलावा अन्य सभी बोर्ड	रु. 350/– एक बार
3.	माइग्रेशन प्रमाण पत्र	120 रुपये
4.	वरीयता प्रमाण पत्र	100 रुपये
5.	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	50 रुपये
6.	बाह्य विद्यार्थियों के परीक्षा फार्मो का अग्रेषण	20 रुपये
7.	चरित्र प्रमाण पत्र/नियमित छात्र प्रमाण पत्र	20 रुपये
8.	प्रोविजनल प्रमाण पत्र	10 रुपये
9.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क – स्नातक स्तर	250 रुपये प्रति पेपर
10.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क – स्नातकोत्तर स्तर	300 रुपये प्रति पेपर
11.	डुप्लिकेट अंकतालिका	150 रुपये
12.	डुप्लिकेट प्रोविजनल प्रमाण पत्र	100 रुपये
13.	डुप्लिकेट माइग्रेशन प्रमाण पत्र	250 रुपये
14.	डुप्लिकेट डिग्री	700 रुपये

' केवल उन्हीं से लिया जायेगा जो विश्वविद्यालय में पहले से नांमकित न हुए हो

9. परीक्षा आवेदन पत्र (Admission Card)

परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क तथा प्रलेखों के साथ प्राप्त होने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी जांच की जायेगी तथा उसके समुचित पाये जाने पर परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। प्रवेश पत्र खो जाने अथवा नष्ट होने के बारे में परीक्षा नियंत्रक/केन्द्राध्यक्ष के संतुष्ट होने पर १० रुपये के भुगतान पर दूसरी प्रति दे दी जायेगी।

10. छात्रावास शुल्क (Hostel Fees)

छात्रवास सम्बन्धी शुल्कों के लिए छात्रवास विवरण का अवलोकन करें।

11. विधि महाविद्यालय शुल्क विवरण

(क) शिक्षण शुल्क (जुलाई–जून)

–	स्नातक	
	आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	२५० रुपये प्रतिमाह
	आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	२०० रुपये प्रतिमाह
–	डिप्लोमा श्रम विधि	
	आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	३०० रुपये प्रतिमाह
	आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	२५० रुपये प्रतिमाह
–	निष्णात	३५० रुपये प्रतिमाह

टिप्पणी : विदेशी छात्र/छात्रओं के लिए शिक्षण शुल्क आयकर देने वालों की श्रेणी के शुल्क का पांच गुना होगा।

(ख) स्थानीय शुल्क

१.	वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	५० रुपये प्रतिवर्ष
२.	छात्र सहायता निधि शुल्क	३० रुपये प्रतिवर्ष
३.	पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	४० रुपये प्रतिवर्ष
४.	विकास शुल्क	१५० रुपये प्रतिवर्ष
५.	साईकिल स्टेण्ड नियमित विद्यार्थी	४५ रुपये प्रतिवर्ष
६.	परिचय पत्र शुल्क	३० रुपये प्रतिवर्ष
७.	मनोरंजन शुल्क	२० रुपये प्रतिवर्ष
८.	छात्र न्यायालय (मूटकोर्ट) शुल्क	१०० रुपये प्रतिवर्ष
९.	वाद–विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां शुल्क	५० रुपये प्रतिवर्ष
१०.	पुस्तकालय द्रव्य (वापस देय)	
अ–	स्नातक	३०० रुपये एक बार
ब–	निष्णात (एलएलएम./डिप्लोमा इन लेबर लॉ)	६०० रुपये एक बार
११.	क्रीड़ा शुल्क	७५ रुपये प्रतिवर्ष

12.	स्पोर्ट बोर्ड शुल्क	40 रुपये प्रतिवर्ष
13.	छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	60 रुपये प्रतिवर्ष
14.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	30 रुपये प्रतिवर्ष
15.	छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	60 रुपये प्रतिवर्ष
16.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	30 रुपये प्रतिवर्ष
17.	पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	40 रुपये प्रतिवर्ष
18.	पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	20 रुपये प्रतिवर्ष
19.	प्रेक्टिकल डायरी, टाई एवं लीगल कैम्प	200 रुपये प्रतिवर्ष
20.	तकनीकि जर्नल एवं साफ्टवेयर फीस	100 रूपये प्रतिवर्ष

(ग) अन्य शुल्क

प्रवेश शुल्क	100 रुपये (केवल नये विद्यार्थियों से)
नामांकन शुल्क'	150 रुपये प्रतिवर्ष
योग्यता शुल्क''	100 रुपये प्रतिवर्ष

' केवल उन्हीं से लिया जायेगा जो विश्वविद्यालय में पहले से नामांकित नहीं हुए हो।

'' राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क के अतिरिक्त।

नोट :

1. शुल्क विश्वविद्यालय के विवेकाधिकार पर समय–समय पर पुनरीक्षित अथवा उपान्तरित किये जा सकते हैं।
2. सभी शुल्क प्रवेश के समय लिये जायेंगे।
3. अवधान द्रव्य की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर विद्यार्थी द्वारा वापस नहीं ली गई तो विश्वविद्यालय को व्ययगत हो जाएगी और वापस देय नहीं होगी।
4. परिचय–पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जायेगा।
5. जुर्माना सहित बकाया (एरियर्स) पुनः प्रवेश शुल्क 5 रुपया के भुगतान पर काटे गए नाम को पुनः लिखना अधिष्ठाता के विवेकाधिकार में होगा।
6. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सैनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा।
7. उचित प्रमाण पत्र **प्रस्तुत करने पर निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।**

   (a) **स्नातक भारतीय छात्रऐं राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक १३(25)शिक्षा–१/७७, दिनांक २७१२१९८६, सुश्विश्विश पृश्क्रश १३/(37)/सामान्य/१६६४–१७०१, दिनांक ६१११६६० तथापि पूर्ववत् स्वपोषित व्यवसायिक एवं निस्तारित (Extended) पाठ्यक्रमों में अन्य शुल्कों के साथ–साथ शिक्षण शुल्क भी लिया जाता रहेगा।**

   (b) **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमिलेयर को छोड़कर) विद्यार्थियों से।**

4. छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता
(Scholarships and Financial Assistance)

1. सामान्य नियम (General Rules)

वित्तीय सहायता योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। किसी भी छात्रवृत्ति अथवा ृण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता के नियमित उपस्थिति/संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति एवं अच्छे आचरण के अभाव की दशा में निलम्बित अथवा स्थाई रूप से रद्द किया जा सकताहै। ऐसी निलम्बित छात्रवृत्तियाँ अथवा ृण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर पूर्व प्रभाव से पुनः दिया जा सकता है।

सामान्यतया सभी छात्रवृत्तियाँ एवं ृण सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि तक, जिसके लिए स्वीकृत की गई, नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा नियमित उपस्थिति, संतोषजनक प्रगति, अच्छे आचरण तथा महाविद्यालय के अनुशासन का उचित पालन किया जा सकता है।

2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति (Need-cum-Merit Scholarship)

(i) सभी विद्यार्थी जिसके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ४,२००/– रुपये तक है तथा जिन्होंने ६०% अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हो, आवेदन के योग्य होंगे। वांछनीय योग्यता वाले विद्यार्थियों में से अपेक्षाकृत कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने में वरीयता प्रदान की जावेगी।

(ii) छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन के अन्य नियम वही होंगे जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए लागू हैं।

3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)

भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा ६०% अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हों। इसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (UGC Junior Research Fellowship)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (जेश्आरश्एफश्) सीमित संख्या में, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है जो स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षा (NET) में सफलता प्राप्त की हो। इसके अन्तर्गत कनिष्ठ शोधकर्ता को १२,००० रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति

तथा नियमानुसार वार्षिक आकस्मिक अनुदान के लिए १२००० रुपये विज्ञान संकाय में तथा १०००० रुपये अन्य संकायों में प्राप्त होते हैं।

5. **सी.एस.आई.आर. एसं आई.सी.एस.एस.आर.** द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को शोधवृत्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है।

6. **विभागीय कनिष्ठ शोधवृत्ति (Departmental Fellowship)**

प्रत्येक विभाग में एक शोधवृत्ति। न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम ५५% अंक (अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु ५०% अंक)। प्राप्तकर्ताओं में से छात्रवृत्ति राशि ६०० रुपये प्रतिमाह। एक समय एक वर्ष अधिकतम दो वर्ष। दूसरे वर्ष के लिए ७०० रुपये प्रतिमाह।

7. **विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति (University Merit Scholarship)**

विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्तियाँ विश्वविद्यालय की निम्नलिखित परीक्षाओं में योग्यता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में नियमित अध्ययन करने पर दी जाती है –

	परीक्षा	**छात्रवृत्ति राशि प्रतिमाह**	**मान्य अवधि**
(क)	एक–एक छात्रवृत्ति त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रत्येक संकाय में	४५ रुपये	१ वर्ष
(ख)	एक–एक छात्रवृत्ति द्वितीय वर्ष के आधार पर प्रत्येक संकाय में	४५ रुपये	१ वर्ष
(ग)	एक–एक छात्रवृत्ति तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रत्येक संकाय में	७५ रुपये	१ वर्ष
(घ)	एक–एक छात्रवृत्ति प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रत्येक संकाय में	७५ रुपये	१ वर्ष
(ङ)	एक–एक छात्रवृत्ति प्रत्येक विभाग की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा के आधार पर	७५ रुपये	१ वर्ष

उपरोक्त छात्रवृत्ति निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी –

(i) योग्यता छात्रवृत्ति केवल ऐसे विद्यार्थियों को दी जायेगी जो एक ही प्रयास में प्रथम श्रेणी अथवा ६०% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

(ii) विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति स्वीकार करने के समय विद्यार्थी को अन्य कोई छात्रवृत्ति मिलती हो अथवा छात्रवृत्ति प्रदान करने के निर्णय की अवधि में ही विद्यार्थी को अन्य छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो अभ्यर्थी के विकल्प के अनुसार एक ही छात्रवृत्ति देय होगी।

(iii) एक से अधिक समान योग्यता वाले विद्यार्थियों के होने पर सभी को पूरी छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(iv) अभ्यर्थी को योग्यता छात्रवृत्ति तभी प्रदान की जायेगी जबकि उच्च अध्ययन के लिए वह विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करे। यदि वह प्रवेश प्राप्त नहीं करता है तो वह छात्रवृत्ति द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी जो इसकी शर्त पूरी करता हो, को प्रदान की जायेगी।

8. छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता के सामान्य नियम (General Rules Regarding Scholarship and Financial Assistance)

(i) छात्रवृत्ति विद्यार्थी के संस्था में प्रवेश के महीने से अगले वर्ष जून तक प्रदान की जाएगी, यदि उसने सम्बन्धित महीने की १५ तारीख तक प्रवेश प्राप्त किया हो अन्यथा छात्रवृत्ति अगले महीने से प्राप्त की जाएगी।

(ii) विद्यार्थी द्वारा सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने पर छात्रवित्त इसी माह में रद्द कर दी जायेगी, जिसमें वह संस्था छोड़ता है।

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृतियां

(i) अनुसूचित जाति/जजा तथा विमुक्त एवं घुमन्तू जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।

(ii) विकलांग छात्रवृत्ति (विकलांग/बधिर/मूक/नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए)

(iii) देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति नियम – २०१०

10. राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की क्रीड़ा छात्रवृत्ति

11. राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्रवृत्ति (NCC Scholarship)

12. अन्य छात्रवृत्तियाँ (Other Scholarships)

(i) राष्ट्रीय ृण छात्रवृत्ति

(ii) स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति

(iii) मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

(iv) अध्यापकों के बच्चों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(v) भारत–पाक एवं भारत–चीन युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिक के बच्चों एवं विधवाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।

(vi) भेरूलाल लीलावती सुखवाल फाउण्डेशन छात्रवृत्ति (भूगोल विभाग)

13. विद्यार्थी सहायता कोष (Student's Aid Fund)

विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा ३० रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक शुल्क से की जाती है।

(i) इस कोष का उद्देश्य निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षण अथवा परीक्षा शुल्क अथवा पुस्तकों पर व्यय अथवा अन्य ऐसे किसी व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना है।

(ii) कोष का प्रबन्ध इस हेतु गठित समिति के माध्यम से महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा किया जाता है।

(iii) विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त कोष में से ऐसे विद्यार्थियों को सहायता नहीं दी जाती है जिन्हें छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता मिल रही हो।

(iv) कोष में से सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर अधिष्ठाता द्वारा सूचित तिथि तक आवेदन किये जाने चाहिए।

(v) कोष में से अति निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को पूर्ण/अर्द्धशुल्क मुक्ति सहायता (Freeship/ Half Freeship) प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षण शुल्क देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के १०% तक विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी।

(vi) इस सहायता हेतु आवेदन के लिए आय प्रमाण–पत्र – तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।

14. प्राभत विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता (थ्पदंदबपंस ।पेजंदबम वित च्तांतपज ैजनकमदजे)

विश्वविद्यालय के जैन विद्या एवं प्राभत विभाग में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को स्वीभत नियमों के अनुसार प्रोत्साहन राशि की सीमित सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

15. स्वर्ण पदक (Gold Medals)

(i) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा कला, वाणिज्य, विधि एवं विज्ञान संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) एवं एमश्फिलश् परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को प्रथम स्थान पाने पर भी स्वर्ण पदक प्रदान नहीं किया जाता है। स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय के तत्कालीन नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ii) एमश्एससीश् मनोविज्ञान की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को ''डॉश् महेन्द्र कुमार सिंघवी गोल्ड मेडल'' प्रदान किया जाता है।

(iii) विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से एमश्एससीश्/एमश्एश् भूगोल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को ''भैरूलाल लीलावती सुखवाल फाउण्डेशन'' (यूश्एसश्एश्) द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया जायेगा।

(iv) प्रबन्ध अध्ययन संकाय में एमश्बीश्एश् नियमित दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को मेहता जगन्नाथ सिंह भौमकुमारी चेरीटेबल फाउण्डेशन की ओर से रुश् १००१/– का नकद पुरस्कार एवं रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) प्रदान किया जायेगा।

(v) एमश्एससीश् भू–विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ''प्रोश् आरश्केश् श्रीवास्तव'' रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) एवं रुश् १००१/– का नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(vi) एमश्एससीश् भू–विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ''विजयसिंह देवपुरा मेमोरियल'' रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) एवं रुश् ५०००/– नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(vii) एमश्एश् हिन्दी में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ''स्वश् प्रोफेसर ललित शंकर पुष्पा देवी शर्मा'' स्वर्ण पदक १० ग्राम (५ ग्राम शुद्ध सोना एवं ५ ग्राम चांदी) एवं रुश् २५०/– नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

5. उपस्थिति
(Attendance)

1. विश्वविद्यालय के समस्त नियमित पाठ्यक्रमों में प्रविष्ठ विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रतिवर्ष आयोजित कुल कालांशों (जिनमें ट्यूटोरियल्स तथा प्रायोगिक कालांश सम्मिलित है) की कम से कम 75: उपस्थिति अनिवार्य है।

2. प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय–समय पर किये गये रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।

3. ***प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के बारे में स्वयं सम्बन्धित प्राध्यापकों से जानकारी प्राप्त करेगा एवं अपने प्रत्येक विषय के प्रश्न–पत्र के अनुसार उपस्थिति का लेखा–जोखा रखेगा। यह जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।***

4. जो छात्र संस्थान/विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अनुमत सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों, जैसे खेल–कूद, गणतंत्र दिवस परेड, शैक्षणिक यात्रा आदि में प्रतिनिधित्व करने के लिए महाविद्यालय/जिला स्तर पर भेजे गये उन्हें उपरोक्त गतिविधियों के कारण अनुपस्थिति के समय में कक्षा में दिये गये व्याख्यान के बराबर उपस्थिति का लाभ दिया जायेगा, इसमें यात्रा के दिन भी सम्मिलित किये जायेंगे। पर यह सुविधा एक शैक्षणिक वर्ष की कुल अवधि में अधिकतम 15 अनुपस्थिति के दिनों के लिए ही दी जायेगी। उपस्थिति के संदर्भ में उपर्युक्त छूट के अतिरिक्त और कोई भी छूट नहीं दी जायेगी।

5. जो विद्यार्थी अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है उस विद्यार्थी का नाम सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा छात्रा एवं उसके माता/पिता को सूचित किया जायेगा । 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

6. जो परीक्षार्थी उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा ।

7. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अपेक्षित उपस्थिति की कमी के कारण उन पाठ्यक्रमों में **नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया है, जिनमें स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के बैठने का विधान है, उन विद्यार्थियों को उसी वर्ष, स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे इसके लिए लिखित आवेदन करें और अवशिष्ट आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दें।**

6. सामान्य अनुशासन नियम
(General Discipline Rules)

१. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम विश्वविद्यालय तथा इसके सभी संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ** : सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित हैं –

(क) उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएँ छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।

(ख) कक्षा–कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय और विश्वविद्यालय परिसर में अशांति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।

(ग) विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के नियमानुसार आदेशों, नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।

(घ) सभी प्रकार की जांच परीक्षाओं, परीक्षा–कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सह–पाठ्यक्रम सम्बन्धित कृत्यों, विद्यार्थी संघों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।

(ङ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान के शैक्षणिक, शैक्षणेत्तर कर्मचारियों अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के वैधानिक घटकों के किसी सदस्य अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।

(च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाऐं भी सम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरूपयोग करना।

(छ) भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना।

(ज) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक औषधि/सामग्री का उपयोग करना।

(झ) मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने से इंकार करना।

(ञ) अध्ययन काल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के आपराधिक/दण्डनीय भत्यों में संलग्न होना।

(त) उपर्युक्त मद 2 (ख) में उल्लेखित विश्वविद्यालय स्थानों में अपने पास अस्त्र–शस्त्र रखना।

(थ) किसी अवसर पर छद्म व्यक्तिता (प्त्चमतेवदंजपवद)

(द) उपर्युक्त भत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।

नोट : परीक्षाओं ता छात्रावासों से संबंधित अनुशासनहीनता के संबंध में अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियमों के साथ छात्रावासों/परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा अव्यवस्थित व्यवहार के मामले के लिये निर्धारित नियम लागू होंगे।

3. अनुशासन पर्यवेक्षण (Supervision of Discipline)

अनुशासन विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निम्नलिखित द्वारा सहभाजित किया जायेगा –

(अ) संस्थाध्यक्ष, अधिष्ठाता, प्राचार्य (आ) परीक्षा केन्द्राधीक्षक

(इ) प्रमुख प्रोक्टर (ई) केन्द्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष

(उ) महाविद्यालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/छात्र कल्याण के सहायक अधिष्ठाता/सहायक कुल सचिव/प्रॉक्टर

(ऊ) विभागों के अध्यक्ष (ए) छात्रवास वार्डन तथा प्रमुख वार्डन

(ऐ) शारीरिक शिक्षाधीक्षक, खेल शिक्षक एवं शैक्षणिक यात्र प्रशिक्षण प्रभारी।

टिप्पणियाँ

(i) संस्थाध्यक्ष से आशय विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के प्रमुख से है, जिनमें उस समय कार्यरत व्यक्ति सम्मिलित हैं।

(ii) परीक्षा केन्द्राधीक्षक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्र के अध्यक्ष के अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष तथा सह–केन्द्राध्यक्ष सम्मिलित हैं।

4. प्रॉक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board)

(क) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए कुलपति द्वारा एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जायेगा। विश्वविद्यालय एवं इसके शिक्षार्थियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर होने वाले अनुशासन सम्बन्धित सभी प्रकरण/मामले इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के क्षेत्रधिकार में निहित होंगे। विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रवास आदि सम्मिलित हैं।

(ख) प्रॉक्टोरियल बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित होगा –

1. प्रमुख प्रॉक्टर (अध्यक्ष)
2. सभी संघटक महाविद्यालय के प्रॉक्टर
3. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मनोनीत सदस्य

(ग) प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे –

1. विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अनुशासन प्रकरणों में कुलपति को परामर्श और सहायता देना।
2. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना।
3. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखना।
4. विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर कार्यवाही करना।
5. ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर रोक लगे।
6. अनुशासनहीनता के प्रकरणों में आपराधिक एवं अन्य पुलिस मामलों के अभियोजन के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों की सहायता करना है।

(घ) प्रमुख प्रॉक्टर तथा विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के प्रॉक्टरों की नियुक्ति कुलपति द्वारा एक समय में अधिक से अधिक तीन वर्ष के लिए की जा सकेगी तथापि उनका कार्यकाल समय–समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

5. प्रॉक्टोरियल प्राधिकारी और उनकी शक्तियाँ (Proctorial Authorities & their Powers)

(क) संस्थाध्यक्ष

संस्थाध्यक्ष को अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ होगी –

1. चेतावनी–आदेश जारी करना।
2. सद्व्यवहार तथा सदाचार के लिए विद्यार्थी को लिखित रूप में वचनबद्ध करना।
3. पुत्र–पुत्री संरक्षक के सदाचार तथा सदाचरण हेतु माता–पिता अभिभावक को लिखित रूप में अर्थदण्ड देना।
4. 200 रुपये तक अर्थदण्ड देना।

5. 15 दिन के लिए विद्यार्थी को कक्षाओं में उपस्थित होने से विवर्जित करना।

6. विद्यार्थी को उसके विरूद्ध विचाराधीन जांच चले तब तक के लिए निलम्बित करना।

7. विद्यार्थी को एक शैक्षणिक सत्र के लिए निष्कासित करना।

8. एक वर्ष तक के लिए विद्यार्थी को निष्कासित (त्नेजपबंजम) कर देना।

9. विद्यार्थी को पुस्तकालय सुविधाओं से वंचित करना।

10. विद्यार्थी को आगामी विश्वविद्यालय परीक्षा (जांच परीक्षा हेतु) में बैठने से अयोग्य घोषित करना।

(ख) प्रमुख प्रॉक्टर (Chief Proctor)

1. चेतावनी आदेश जारी करना।

2. 200 रुपये तक अर्थदण्ड लगाना।

3. संस्थाध्यक्ष को सूचित करते हुए विद्यार्थी को उसके विरूद्ध विचाराधीन जांच चले तब तक निलम्बित करना।

4. आपराधिक शिकायत के सम्बन्ध में नागरिक प्रशासन/पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यवाही किये जाने के लिए मामला दायर करने हेतु विश्वविद्यालय **अधिकारियों को परामर्श देना।**

(ग) विभागाध्यक्ष (Head of Department)

1. चेतावनी आदेश जारी करना।

2. 50/'– रुपये तक अर्थदण्ड देना।

3. विद्यार्थी को सम्बन्धित विषय/पेपर की कक्षाओं में उपस्थित होने से 7 दिन तक विवर्जित करना।

4. कड़ी सजा के योग्य मामलों के सम्बन्ध में **संस्थाध्यक्ष को प्रतिवेदन करना।**

(घ) केन्द्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष, महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (मानद् पुस्तकालयाध्यक्ष, सह एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित हैं) :

1. चेतावनी आदेश जारी करना।

2. 50/– रुपये तक अर्थदण्ड लगाना।

3. संस्थाध्यक्ष को सूचित करते हुए दो सप्ताह तक के लिए पुस्तकालय प्रयोग से विद्यार्थी को विवर्जित करना।

(ङ) छात्रवास वार्डन तथा मुख्य वार्डन (Hostel Warden & Chief Warden)

1. चेतावनी आदेश जारी करना।

2. 50/– रुपये तक अर्थदण्ड लगाना।

3. छात्रावास से विद्यार्थी को निकालना।

4. कड़ी सजा योग्य मामलों को उचित श्रृंखलाक्रम में संस्थाध्यक्ष को भेजना।

(च) शारीरिक शिक्षा अधीक्षक/खेल शिक्षक/शैक्षणिक भ्रमण प्रभारी/सहायक कुल सचिव/प्रोक्टर/ व्यवहारिक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक :

1. चेतावनी आदेश जारी करना।

2. 25/– रुपये तक जुर्माना लगाना।

3. विद्यार्थी को एक निश्चित समय के लिए महाविद्यालय/टीम/शैक्षणिक भ्रमण से हटाने हेतु संस्थाध्यक्ष को भेजना।

4. कड़ी सजा योग्य मामलों को संस्थाध्यक्ष को भेजना।

(छ) संकाय सदस्य (थ्बनसजल डमउइमते)

1. चेतावनी आदेश जारी करना।

2. 10/– रुपये तक अर्थदण्ड लगाना।

3. विद्यार्थी को 3 दिनों तक के लिए अपनी कक्षा में विवर्जित करना।

4. कड़ी सजा योग्य मामलों को पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष को तुरन्त प्रतिवेदित करना।

6. अधिकारों के प्रयोग हेतु क्रियाविधि **(Procedure for Exercise of Powers)**

(क) कुलपति एवं संस्थाध्यक्षों के अतिरिक्त समस्त प्राधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कुलपति एवं संस्थाध्यक्ष किसी भी मामले में अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग मामले पर संक्षिप्त विचार के बाद या आवश्यक समझें तो अनुशासन समिति की सहायता से कर सकते हैं।

(ख) अनुशासन समिति का गठन :

(i) **विश्वविद्यालय स्तर (University Level) :** कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय स्तरीय अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ)	अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्राध्यापक (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब)	छात्र–कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स)	विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई दो	(सदस्य)
(द)	प्रमुख प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

(ii) **संस्था/महाविद्यालय स्तर** (Institution/College Level) : अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ)	अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्राध्यापक (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब)	छात्र–कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स)	महाविद्यालय के दो प्राध्यापक	(सदस्य)
(द)	प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

७१ अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure to be followed by Discipline Committee)

(1) समिति अनुशासनहीनता के ऐसे प्रकरण की जांच करेगी जो कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।

(2) जब कोई विद्यार्थी गंभीर आपराधिक कार्य, गंभीर दुराचरण, कार्य की अनवरत् लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार का आरोपी/दोषी हो अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान के कार्यविधि एवं कर्तव्य पालन के समय में दुर्व्यवहार आदि के कारण किसी विद्यार्थी के विरूद्ध विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो तो उसे कुलपति/महाविद्यालय के अधिष्ठाता/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, जहां विद्यार्थी अध्ययनरत हो, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर देंगे। निलम्बन काल में विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधियों में (परीक्षा में बैठने सहित) भाग लेने तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अयोग्य होगा। जब विद्यार्थी छात्रवास से भी निलम्बित जांच काल में हो तो वार्डन अथवा प्रमुख वार्डन ऐसे विद्यार्थी को छात्रवास से भी निलम्बित कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा किसी न्यायालय में विद्यार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा।

(3) कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार निलम्बित किया गया हो अथवा जिसे निकाल दिया गया हो विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय/अन्य शिक्षण इकाई में, बिना उस अधिकारी की अनुमति के जिसने उसे निलम्बित किया/निकाला था, प्रवेश के लिए अयोग्य होगा।

(4) जांच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जायेगी तथा उसे अपने पक्ष को समिति के सामने प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) जांच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी की सभी सूचनाऐं महाविद्यालय के पते पर तथा उसके घर के पते अथवा प्रवेश आवेदन–पत्र में दिये पते पर भेजी जाएगी।

(6) यदि सम्बन्धित विद्यार्थी जांच कार्य में अनुपस्थित रहता है अथवा असहयोग करता है अथवा अवरोध प्रस्तुत करता है तो समुचित सूचना देने के बाद, जांच एक पक्षीय पूरी की जा सकती है।

(7) जांच के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार की तरफ से किसी अधिवक्ता को उपस्थित करने की अनुमति नहीं होगी।

(8) अनुशासन समिति अपनी बैठक करके उचित विचार–विमर्श के बाद समुचित दण्ड, जिसमें जुर्माना, निश्चित अवधि के लिए निष्कासन अथवा इन दोनों की अनुशंसा करेगी। दण्ड की कार्यान्वित निलम्बित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(9) अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उचित विचार के बाद वह इस पर जैसा उचित समझे वैसा आदेश प्रदान करेंगे। उस आदेश की एक प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी तथा उसकी अन्य प्रति महाविद्यालय के सूचना–पट्ट पर लगा दी जाएगी।

८श अपील का अधिकार (Right to Appeal)

(1) विद्यार्थी को संकाय सदस्य द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध पांच दिनों के अन्दर–अन्दर संस्थाध्यक्ष से अपील करने का अधिकार होगा।

(2) विद्यार्थी को संस्थाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध कुलपति से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामलों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान से अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील आदेश निर्गमन की तिथि के १५ दिन के अन्दर–अन्दर अवश्य कर देनी चाहिए।

टिप्पणियाँ :

(अ) किसी भी विद्यार्थी को जिसे निलम्बित या निष्कासित या अस्थाई रूप से निकाला गया है, किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण इकाई में बिना उस अधिकारी की, जिसने उसे निलम्बित निष्कासित या अस्थाई रूप से निकाला था, पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा और न ही कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे अस्थाई रूप से निकाला गया है,

इस निष्कासन अवधि में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा। दण्ड देने वाला अधिकारी ऐसे दण्ड आदेशों को अन्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सूचित तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित करेगा।

(आ) निष्कासन एवं रेस्टीकेशन के सभी मामले प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित किये जायेंगे।

(इ) ऐसा कोई भी मामला जो अनुशासन से संबंधित हो और उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो,उसे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, संस्थाध्यक्ष निपटाएगा। ऐसे मामलों पर लिए गए निर्णय कुलपति द्वारा पुनर्विचार योग्य होंगे।

(ई) संस्थाध्यक्ष दिए जाने वाले दण्ड का आलेख करेंगे और निष्कासन और रेस्टीकेशन या अन्य किसी कठोर दण्ड की दशा में विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण–पत्र में इसका समुचित उल्लेख करेंगे।

(उ) अनुशासनहीनता के लिए लगाया गया दण्ड बकाया शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। चूक होने पर उपस्थित पंजिका से विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।

६१ अपील का निपटारा (Disposal of Appeal)

(1) संस्थाध्यक्ष स्वयं या उपर्युक्त संख्या ६ के अन्तर्गत गठित समिति की सहायता से अपील को निपटा सकेंगे।

(2) कुलपति स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति की सहायता से अपील को निपटा सकेंगे।

(3) अपील पर विचार किया जाकर उसका समुचित समयावधि में निपटारा किया जाएगा। कुलपति या समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, अपीलकर्ता छात्र को चाहने पर उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जा सकेगा और कुलपति अपील पर विचार करने और यदि जांच समिति गठित की गई हो तो इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद मामले का पुनः निरीक्षण कर सकेंगे तथा उचित विचार के बाद दण्ड पर सहमति अथवा इसमें वृद्धि अथवा कमी कर सकेंगे अथवा विद्यार्थी को निर्दोष घोषित कर सकेंगे अथवा जैसा उचित समझे आदेश जारी करेंगे, जो अन्तिम होगा।

7. रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान (Anti-Ragging Rules and Provisions for Punishment)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रवास, प्रयोगशाला अथवा परिसरों में ''रैगिंग'' लेना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अथवा दोनों दण्ड के रूप में दिए जा सकते हैं।

रैगिंग का अर्थ :

किसी विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के समूह द्वारा पीड़न, उत्पीड़न या भयाक्रांत करना, मानसिक एवं शारीरिक वेदना पहुंचाना, निर्दयता का व्यवहार करना, मानवाधिकार के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार को क्षति पहुंचाना अथवा उनका हनन या उल्लंघन करना, कामुक–अश्लील हरकतें करने को बाध्य करना अथवा न करने पर शारीरिक–मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ऐसा कायिक एवं वाचिक व्यवहार करना जिसके कारण कोई असुरक्षित, असहाय, शोषित एवं पीड़ित अनुभव करे, संस्थान की सम्पत्ति एवं सुविधाओं को क्षति पहुंचाना, अभद्र भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी की महत्वाकांक्षा, लक्ष्य अथवा प्रशिक्षण में बाधा पहुंचाना अथवा ऐसा अवरोध पैदा करना कि इनकी पूर्ति में कठिनाईयाँ बढ़ जाय, संस्थान द्वारा स्वीभत अनुशासन के मापदण्ड़ों के विरूद्ध व्यवहार करना रैगिंग के अन्तर्गत माना गया है।

नोट : परिचय पार्टी में किये जाने वाले मनोविनोद अथवा हंसी मजाक ''रैगिंग'' में सम्मिलित नहीं है।

रैगिंग निरोधी प्रबन्धन

(1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग निरोधी दस्तों का गठन एवं उनके द्वारा परिसरों का निरीक्षण।

(2) रैगिंग विरोधी अधिकारियों के नाम, पद, दूरभाष नंश आदि का प्रकाशन जिनसे रैगिंग की स्थिति में पीड़ित छात्र/छात्रें द्वारा शीघ्र सम्पर्क किया जा सके।

(3) नव प्रवेशित विद्यार्थी को मित्र–समूह के साथ रहने की सलाह दी जावे। वे अनावश्यक धनराशि साथ न लावे।

(4) रैगिंग विरोधी पोस्टर, संदेश अथवा सूचना पत्रें को ध्यान से पढ़े एवं उनमें दिये गये सुझावों पर अमल करें।

(5) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा किसी परिचित वरिष्ठ साथी को नव–प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों का विवरण प्रतिदिन बताना चाहिए।

दण्ड के प्रावधान

रैगिंग की सूचना प्राप्त होने एवं प्रक्रिया द्वारा उसके सिद्ध/प्रमाणित होने पर निम्न दण्ड (रैगिंग की गंभीरता के अनुसार) दिये जा सकते हैं :–

(1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से देय सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों अथवा सुविधाओं पर प्रतिबंध। इसे दोषी छात्र के अभिभावकों को सूचित करना।

(2) विश्वविद्यालय में दिये गये प्रवेश को निरस्त करना।

(3) रैगिंग निरोधी समिति द्वारा विशेष अवधि तक कक्षा में प्रवेश को निषिद्ध करना।

(4) छात्रवास में दिये गये प्रवेश को निरस्त करना।

(5) रैगिंग की गंभीरता के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दिये जाने वाले प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।

(6) ''आपराधिक रैगिंग'' में पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाना।

(7) रैगिंग के दोषी विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण पत्र एवं डिग्री में इस तथ्य का उल्लेख करना कि 'अमुक डिग्रीधारी रैगिंग लेने का दोषी है।'

(8) रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी के नाम एवं पते के साथ दी गई सजा को समाचार पत्र में प्रकाशित करना।

(9) जिला एवं पुलिस प्रशासन को रैगिंग के दोषी विद्यार्थी की सूची देना एवं पुनरावृत्ति न करने को पाबन्द करवाना।

(10) रैगिंग में व्यक्ति विशेष के दोषी न होने पर रैगिंग लेने वाले पूरे समूह को उपर्युक्त किसी भी दण्ड का पात्र माना जाकर सभी को दण्डित किया जा सकता है।

(11) यदि किसी अखबार/समाचार पत्रिका में रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित होता है तो इसे भी ''रैगिंग योग्य केस'' मानकर उल्लेखित विद्यार्थी को दण्डित किया जा सकता है। पीड़ित विद्यार्थी द्वारा ''रैगिंग निरोधी दस्ते'' को लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।

(12) **रैगिंग की अधिकतम सजा छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों सजाएँ साथ–साथ दी जा सकती है।**

(13) रैगिंग लेना अथवा रैगिंग लेने को उकसाना समान रूप से दण्डनीय है।

(14) प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों में सक्षम अधिकारियों द्वारा रैगिंग योग्य संवेदनशील स्थानों की ऑडियो– विडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसमें ''रैगिंग समकक्ष व्यवहार'' प्रमाणित होने पर संबंधित छात्र के प्रति प्रकरण बनाकर उसे प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा।

रैगिंग सम्बन्धी मामलों की सुनवाई एवं निर्णय माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

सुझाव/मार्गदर्शन

(1) वरिष्ठ विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कनिष्ठ साथियों को संरक्षण, सुरक्षा एवं सुविधा देकर उनका प्रेम/आदर प्राप्त करें, न कि उन्हें पीड़ित एवं प्रताड़ित करके।

(2) इस तरह के हानिकारक, प्रतिष्ठा गिराने वाले, असामाजिक एवं अवांछनीय □त्य से स्वयं को एवं साथियों को बचाऐं। भविष्य को उज्ज्वल, सुखद एवं गौरवशाली बनाऐं।

8. परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन
(Discipline During Examination)

1. अनुशासनहीनता (Indiscipline)

परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन का अर्थ है परीक्षा के दौरान अच्छा आचरण। परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता में निम्न सम्मिलित होंगे –

(क) दुराचरण तथा दुर्व्यवहार, जैसे –

(i) बहिष्कार तथा बहिर्गमन,

(ii) दूसरों को बहिष्कार तथा बहिर्गमन के लिए उकसाना,

(iii) दत्तर–पुस्तिका अथवा प्रश्न–पत्र फाड़ना, सभी परीक्षार्थियों से उत्तर–पुस्तिकाऐं अथवा प्रश्न–पत्र छीनना तथा हटाना,

(iv) परिवीक्षक–वर्ग को अथवा सह–परीक्षार्थियों को गाली देना, छेड़ना तथा डराना और रोकना,

(v) परीक्षार्थियों के निर्धारित निर्देशों का उल्लंघटन करना/पालन नहीं करना, प्रवेश पत्र/परिचय पत्र देने से इंकार करना, शक्ति का प्रदर्शन अथवा प्रयोग करना, हथियार व चोट करने वाले पदार्थ साथ में रखना ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे विश्वविद्यालय परीक्षा–कार्य के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न हो।

उपर्युक्त किसी एक अथवा अधिक कार्यों को बढ़ावा देना या स्वयं करना।

(ख) अनुचित साधनों का प्रयोग जैसे –

(i) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अथवा उनके कार्यालय के किसी व्यक्ति अथवा परीक्षा अधीक्षक अथवा परीक्षा संचालन से सम्बद्ध किसी व्यक्ति अथवा प्रश्न–पत्र बनाने वाले परीक्षक तथा अन्य परीक्षक के नाम पूछने के लिए अथवा प्रश्न–पत्र में आने वाले प्रश्न जानने के लिए, अंक देने के लिए, परीक्षक पर प्रभाव डालने के लिए और इस प्रकार परीक्षा कार्य में परीक्षक को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए सम्पर्क करना और ऐसा प्रयत्न करना।

(ii) प्रश्न–पत्र हल करने में किसी परीक्षार्थी/परीक्षा भवन के अथवा बाहर के किसी व्यक्ति से सहायता लेना तथा हल करने में किसी को सहायता देना।

(iii) (अ) परीक्षा के समय प्रश्न–पत्र से सम्बद्ध कोई कागज, पुस्तक अथवा टिप्पणी आदि अपने पास में रखना।

(आ) दवात के डिब्बे पर, पैमाने पर अथवा ड्राइंग बॉक्स पर अथवा टेबिल जिस पर छात्र बैठा है पर प्रश्न पत्र से सम्बन्धित कुछ लिखित सामग्री प्राप्त होना।

(इ) शरीर के अंग, कपड़ों पर, उत्तर–पुस्तिका के अतिरिक्त कुछ भी प्रश्न–पत्र पर लिखा हुआ होना।

(iv) परीक्षा काल में परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी अन्य अनुचित साधन जैसे – इशारे करना, हाव–भाव करना, बात करना, फुसफुसाना आदि का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयत्न करना।

(v) उत्तर–पुस्तिका की परीक्षा भवन से तस्करी अथवा किसी भी विद्यार्थी के स्थान पर अन्य के द्वारा परीक्षा दिया जाना या सहायता करना।

(vi) परीक्षा में अन्य किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करना।

2. अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure for dealing with indiscipline)

परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त अनुचित साधनों के मामलों, अनुचित साधनों के प्रयोग की शंका के मामलों में व्यवहार–प्रक्रियाऐं निम्नलिखित होगी –

(i) उपर्युक्त अनुशासनहीनता की परिभाषा के अनुसार जब किसी परीक्षार्थी पर अनुचित साधन प्रयोग की शंका की जाती है तथा उसे इसमें लिप्त पाया जाता है तो वीक्षक/उडनदस्ता अथवा केन्द्र अधीक्षक या तो स्वयं उसकी तलाश ले सकेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति से तलाशी का कार्य करा सकेगा। यदि तलाशी के परिणामस्वरूप विद्यार्थी के पास से लिखित सामग्री मिलती है तो परीक्षार्थी के साथ इन नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

(ii) ज्यों ही किसी परीक्षार्थी पर शंका होती है, वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है या उसके अनुचित साधनों के प्रयोग पर आमादा होने का प्रतिवेदन मिलता है, तो उसकी उत्तर–पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित सामग्री ले ली जायेगी और प्रश्न–पत्र के शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उसे नई उत्तर–पुस्तिका दी जायेगी, परन्तु उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत 'अनुचित' आचरण अथवा दुर्व्यवहार के लिए परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा दण्डित किये जाने की दशा में नई उत्तर–पुस्तिका नहीं दी जायेगी। दोनों उत्तर–पुस्तिकाऐं (जिन पर । व ।। अंकित होगा) और परीक्षार्थी से प्राप्त सामग्री जहां तक सम्भव हो सके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाकर और परीक्षा कक्ष–वीक्षक या उड़नदस्ता व केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को व्यक्तिगत नाम से भेजी जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने की दशा में इस तथ्य का प्रतिवेदन में उल्लेख किया जायेगा।

(iii) वीक्षक/उडनदस्ता अपना लिखित प्रतिवेदन देंगे। वीक्षक/उडनदस्ता के प्रतिवेदन की जानकारी तत्काल परीक्षार्थी को दी जायेगी और उसी स्थान पर उसे अपना लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा।

(iv) यदि परीक्षार्थी तत्काल अपना मंतव्य लिखने से इंकार करता है या केन्द्र से भाग जाता है तो उसका मामला वीक्षक/उडनदस्ता और केन्द्र अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जायेगा।

(v) केन्द्र–अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उस प्रश्न पत्र के परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा।

(vi) (अ) परीक्षक का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सम्बन्धित सामग्री के साथ एक समुपयुक्त समिति द्वारा जांच की जायेगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण से अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो वे निर्धारित प्रतिमानों के अन्तर्गत इसके लिए अस्थाई दण्ड निर्धारित करेंगे।

(आ) सम्बन्धित परीक्षार्थी को पंजीयन डाक द्वारा उनके परीक्षा आवेदन–पत्र पर दिये गये पते पर सूचना भेजी जायेगी, जिसमें सूचना प्राप्त होने की तिथि से १५ दिन की अवधि में यह कारण बताने का अवसर दिया जायेगा कि उसे अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी क्यों नहीं माना जाये तथा उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं दिया जाये।

(इ) **अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee)** द्वारा परीक्षार्थी के उत्तर पर गौर किया जायेगा। यदि वह निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तथा तत्पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिये जाने वाले अन्तिम दण्ड का कुलपति की स्वीभति पश्चात् आदेश प्रसारित किया जायेगा।

(ई) **अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee)** द्वारा सम्पूर्ण मामले की जांच पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिये गये अन्तिम दण्ड के आदेश को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(उ) जहां कारण बताओ सूचना का परीक्षार्थी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Committee) द्वारा परीक्षार्थी को दिये जाने वाले दण्ड का प्रस्ताव किया जायेगा।

(vii) किसी भी स्थिति में परीक्षर्थी को अपनी तरफ से विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली जांच में किसी वकील को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

3. दण्ड के प्रतिमान

1. Norms of Punishment

1.1 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any material relevant to the syllabus of the Examination paper concerned but has not copied from or used it :

(a)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present Examination shall be cancelled, provided that if the material found in possession of the candidate is or insignificant nature, the punishment may be relaxed to the extent of cancellation of the examination of the particular paper (theory or practical) as the case may be and he/she will be treated as having obtained "Zero" mark in that paper with all the consequences to follow. However, if the candidate so desires, he/she will be given the option of appearing in the subsequent whole examination by canceling the present examination as a whole. If the material found in possession of the candidate is of significant nature then present examination of all papers shall be cancelled.
(b)	If the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory	Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.2 Where a candidate is found to have copied from or used the material caught :

(a)	If the behaviour of candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he shall be further debarred for one subsequent examination. If the examination is held once a year or two subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester exam.), provided that if the material found in possession of the candidate and/or the extent of copying done by the candidate is of insignificant nature the punishment may be relaxed to the extent of canceling the present examination only by Unfairmeans Committee.
(b)	If the bahaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory	Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred from appearing at two subsequent examination, if the examination is held once a year or debarred from four subsequent examination, if the

examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.3 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any restricted electronic equipment, mobile, pager, computer diary etc.

(a)	If the candidate has not made any use of such electronic equipment behaviour of candidate on being caught is satisfactory.	Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and candidate shall be exonerated by issuing warning for the & future.
(b)	If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory.	Candidate mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and only present theory examination shall be cancelled and if the examination is held once a year or two subsequent theory examination if the examination is held twice a year. (i.e. Semester Exam.).
(c)	If the candidate have made use of such electronic equipment & behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory.	Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year.
1.4	**If the candidate is involved in sacrilege of University Examination system or involved in any other serious matter related with sacredness of the examination process.**	**Candidate shall be disqualified from appearing or passing in any University Examination for one to three years including the present year of examination depending upon the nature and gravity of the offence.**

Note :

(1) If the candidate uses resistance or violence against the invigilator or any person on examination duty or consistently refuses to obey the instructions of the superintendent, the above punishment may be enhanced according to the gravity of the offence.

(2) The present examination is cancelled in 1.1 (a & b), 1.2 (a & b), 1.3 (b & c) and 1.4 refers to cancellation of only theory papers. However, if a candidate has offered dissertation/ viva/voce/field work in lieu of any paper and the sessional work (marks)/internal assessment worki (marks) / practical work (marks) will not be cancelled in case the whole examination is cancelled. However, if unfairmeans case is reported during practical examination 1.1 (a) would refer to that particular practical examination only. In case of 1.2 a and b and c & 1.4 theory as well as practical examinations both shall be cancelled.

(3) After completion of punishment period, if the candidate is reappearing in the subsequent examination, he/she shall have to appear according to the existing scheme as well as syllabus of the class/course. In case scheme of subject/course paper etc. changed, the candidate exempted to appear in sessional examination and obtained theory paper marks will be proportionate out of the maximum marks of that paper (theory + sessional).

1.5 Where a candidate is appearing simultaneously in two examinations, the examination in which he/she has been found using unfairmeans will be cancelled, and he/she shall not be allowed to appear in any examination of the University during the period for which he/she is debarred.

1.6 The cases of employee candidates, indulging in unfairmeans and resorting to violence and misbehaviour, will be reported to the officers of the department concerned besides the punishment provided under the rules. All such cases of misconduct will be reported to the University forth with for action by the Centre Superintendent on the prescribed from for departmental action.

1.7 Notwithstanding the provisions regarding punishment provided in clause (3) above, the Superintendent of the Centre is empowered to expel a candidate from the examination hall in case of misconduct or misbehaviour as defined above.

1.8 Cases not covered under any of the above categories will be decided by the appropriate commiteee on their merit.

2. Norms related with tempering in University document & etc.

२(अ) परीक्षा तथा महाविद्यालयों में प्रवेश से सम्बन्धित अनुशासन में निम्नलिखित कार्यों को भी अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा –

१ आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत करके या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना अथवा परीक्षा में प्रवेश पाना।

२ अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी तत्सम संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्ट में हेर–फेर अथवा रद्दोबदल करना।

३ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र/अंकतालिका इत्यादि की फोटो प्रति/प्रतिलिपि/फोटोस्टेट प्रति में की गई प्रविष्टि में हेर–फेर अथवा रद्दोबदल करना।

2(ब)कार्यवाही की प्रक्रिया :

1. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अनुचित साधनों के मामलों में व्यवहार प्रक्रियाऐं विश्वविद्यालय विवरणिका में पृष्ठ संख्या 67 या 69 – ''2–अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया'' के अनुसार होगी।

2. महाविद्यालय स्तर पर पाये जाने वाले मामलों की अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक द्वारा एक समुपयुक्त समिति द्वारा जांच करवाये तथा यदि उनके दृष्टिकोण में उपर्युक्त अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ मामलों को परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

2(स) दण्ड के मानक / प्रतिमान : अनुचित साधन परीक्षण समिति द्वारा दण्ड प्रधान करने के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जाते हैं –

1. यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश पाने का दोषी पाया जावे तो उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय की उस वर्ष की किसी भी परीक्षा और आगामी दो वर्षों तक के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जावे।

2. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में प्रवेश पाने का दोषी पाया जावे तो उसकी उस वर्ष की परीक्षा निरस्त कर उस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसे आगामी दो वर्षों तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जावे।

3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उपर्युक्त (अ) 1, 2 अथवा 3 की कार्यवाही किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है या लाभ प्राप्त कर लिया हो या लाभ प्रापत करने के लिये प्रयास किया गया हो तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जावे। साथ ही यदि छात्र/छात्रा द्वारा उसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाऐं भी उत्तीर्ण कर ली गई हो तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जावे।

4. कोई भी अभ्यर्थी अपनी अंक तालिका में नाम आदि के भाग को किसी अन्य छात्र/छात्रा की अंक तालिका में प्राप्तांक वाले भाग में चिपकाने पर अथवा इस प्रकार की प्रमाण पत्र/अंक तालिका की फोटो प्रति/फोटो स्टेट/प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाये। साथ ही यदि उस छात्र ने इसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाऐं भी उत्तीर्ण कर ली गई है तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी दो वर्षों के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जावे।

5. अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पाने की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है तब उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जायेगा, जिसे परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को दिखाने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु इसी दौरान यह पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ झूले प्रलेख अथवा अंक तालिका इत्यादि प्रस्तुत कर गलत तरीके से परीक्षा में बैठने का प्रयास किया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिकाऐं विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग अथवा महाविद्यालय अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो रहा है अथवा बहानेबाजी कर रहा है, तो उसे बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण अनुचित साधन परीक्षण समिति में रखकर वांछित निर्णय किया जायेगा।

6. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण घोषित छात्रों में से किसी के सम्बन्ध में यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कभी भी यह जानकारी प्रापत हो कि छात्र ने उक्त परीक्षा में प्रवेश असत्य विवरण देकर, तथ्य छिपाकर या प्रविष्टियों में परिवर्तन कर प्राप्त किया था या वह किसी आधार पर उक्त परीक्षा के योग्य नहीं था तो उसकी परीक्षा अथवा परीक्षाऐं निरस्त करने और/या उस मामले के गुण दोषों के आधार पर अन्य दण्ड देने पर भी विचार किया जा सकेगा।

7. उपरोक्त से सम्बन्धित गम्भीर प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से समिति द्वारा वंचित किया जा सकेगा।

8. उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी आने वाले मामलों को अनुचित साधन परीक्षण समिति ;न्दपितउमंदे ग्मांउपदंजपवद ब्वउउपजजममद्ध द्वारा उनके गुण–दोषों के आधार पर निर्णय लेकर निपटाया जायेगा या सम्बन्धित प्राधिकारियों को सौंपा जायेगा तथा गम्भीर मामलों में पुलिस कार्यवाही हेतु भी सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जा सकेगा। साथ ही यदि प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस कार्यवाही की जानी है तो वह विश्वविद्यालय कुलसचिव/महाविद्यालय अधिष्ठाता स्तर से की जा सकेगी।

Additional Provision for Dealing with the cases of Using Unfairmeans during the Examination

In addition to the provisions laid down from Page No. 61 to 68 to deal with cases of unfairmeans during the examination by the University, such candidates will also be dealt with additionally in pursuance of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 which is reproduced below.

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION

(PREVENTION OF UNFAIRMEANS) ACT, 1992

(Received the assent of The Governor on the 8th day of November, 1992)

An

Act

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans of Public Examinations and to provide for matter connected there with the incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :

1. Short title, extent and commencement :

(1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions - In the Act -

(a) "examination centre" means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto.

(b) "public examination" means any examination specified in the schedule.

(c) "unfairmeans" in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephone, wireless or electronic or other instrument or gadget; and

(d) the words and expression used herein and not defined in the Indian Penal Code (45 of 1960) have the meaning, respectively assigned to then in that code.

3. **Prohibition to use of Unfairmeans :** No person shall use unfairmeans at any public examination.

4. **Unauthorised possession or disclosure of question paper :** No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination.

(a) procedure or attempt to procure of possess, such question paper or any portion or copy thereof; or

(b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have a beating upon such question paper.

5. **Prevention of Leakage by person entrusted with examination work :** No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

6. **Penalty :** Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years of with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

7. **Penalty for offence with preparation to cause hurt :** Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.

8. **Power to amend Schedule :** The Statement Government may be notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respecft of which it considers necessary to apply the provision of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have amended accordingly.

The Schedule

(Section 2)

1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education of Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, (Act No.42 of 1957).

2. Any examination conducted by any University established by law in India.

3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commissions or Union Public Service Commission.

J.P. Bansal

Secretary to the Government

६श छात्रवास
(Hostels)

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु आवास की व्यवस्था संकाय के अनुसार की गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत छः छात्रवास संचालित है। उनमें व्यवस्था निम्नानुसार है :–

क्रश्संश	छात्रवास का नाम	संबंधित संकाय एवं आवास क्षमता	वार्डन
१श	महाराणा भूपाल छात्रवास विश्वविद्यालय खेल परिसर	सभी संकाय के लिए – ६६	डॉश घनश्याम सिंह राठौड़
२श	रामानुजन छात्रवास विश्वविद्यालय परिसर	MBA, MCA, Pharma MTM, MIB, MHRM - 40	डॉश अनिल कोठारी
३श	डॉश डीश्एसश कोठारी शोध छात्रवास, विश्वविद्यालय खेल परिसर	शोध छात्रें के लिए – १८	डॉश दीपेन्द्र सिंह चौहान
४श	गार्गी कन्या छात्रवास विज्ञान महाविद्यालय परिसर	केवल छात्रओं के लिए – १४७	डॉश मंजू बाघमार
५श	कमला नेहरू कन्या छात्रवास सेक्टर–३ हिरणमगरी	केवल छात्रओं के लिए – ७६	डॉश मौसुमीकर पिल्लई
६श	महर्षि दयानन्द सरस्वती कन्या छात्रवास, विश्वविद्यालय परिसर	केवल जनजाति छात्रओं के लिए – ४८	डॉश जीश्एसश कुम्पावत

नोट :

(१) क्रश्संश १ से ५ तक अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 16%, 12%, 21% आरक्षण रहेगा।

(2) छात्रवास में प्रवेश एवं विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित छात्रवास अथवा चीफ वार्डन कार्यालय (कॉमर्स कॉलेज परिसर) में सम्पर्क करें।

१०१ पुस्तकालय सुविधाएँ
(Library Facilities)

विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों में समृद्ध आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय हैं। विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र को भरकर एवं आज्ञा प्राप्त कर संबंधित पुस्तकालयों के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य विद्यार्थी को संबंधित पुस्तकालय के समय–समय पर प्रचलित नियमों का पालन करना होगा। किसी कठिनाई के समाधान के लिए संबंधित पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पुस्तकालयों से सम्बन्धित संक्षिप्त सूचना दी जा रही है।

(क) केन्द्रीय पुस्तकालय (Central LIbrary)

यह पुस्तकालय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित है। इस पुस्तकालय में सभी विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ, संदर्भ सामग्री आदि उपलब्ध है। इसमें आदान–प्रदान, शोध प्रतिवेदन, छायाप्रति, लिपिकरण तथा सन्दर्भ एवं शोध पत्रिकाओं के स्वतंत्र विभाग है। पुस्तकालय में 'ई' पुस्तकालय सुविधा भी उपलब्ध है। ई–पुस्तकालय का उपयोग प्राध्यापक एवं शोध–छात्रें के लिए निर्धारित है। जर्नल्स के फूल टेक्स्ट शैक्षिक लेख ऑन लाईन उपलब्ध है। केन्द्रीय पुस्तकालय का लाभ सभी पाठक सदस्य तो ले सकते हैं, परन्तु पुस्तकालय से लेन–देन की सुविधा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी, शोध–छात्र, एमशफिल एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही प्राप्त है।

(ख) शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क संसाधन सुविधा
(Educational and Research Resources Facility)

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (INFLIBNET) एवं विकासमान पुस्तकालय नेटवर्क (DELNET) द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रोनिक पाठ्य सामग्री को प्राप्त करने की सुविधा, केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। यह सुविधा प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं स्नातकोत्तर छात्रें को शैक्षणिक सामग्री की खोज एवं अनुसंधान की दृष्टि से सूचनाऐं एकत्रित करने में अत्यधिक सहायक है।

इस सुविधा के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी उप–पुस्तकालयाध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

महाविद्यालय पुस्तकालय (College Libraries)

विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर स्वतंत्र रूप से निम्नांकित समृद्ध पुस्तकालय है –

1. विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पुस्तकालय
2. विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय पुस्तकालय
3. विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय पुस्तकालय
4. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय पुस्तकालय
5. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर भू–विज्ञान पुस्तकालय
6. विश्वविद्यालय एम.बी.ए. पुस्तकालय (प्रबन्ध अध्ययन संकाय भवन में स्थित)

(क) सामान्य नियम (General Rules)

विद्यार्थियों को सम्बन्धित पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करने हेतु नामांकन पत्र भरकर सम्बन्धित अधिष्ठाता द्वारा प्रमाणित कराकर उसे प्रस्तुत करना होगा। पुस्तकालय से पाठकों को पुस्तकों के निर्गमन के संबंध में निम्न तथ्य ज्ञातव्य है –

पुस्तकों का निर्गमन

१. प्रत्येक विद्यार्थी एक पाठक टिकिट से एक पुस्तक उधार ले सकता है । पाठक को उनकी पात्रता अनुरूप पाठक टिकिट दिये जाते हैं। पुस्तकों के निर्गमन हेतु टिकट को काउन्टर पर प्रस्तुत करना होगा।

2. पुस्तकें सामान्यतः पन्द्रह दिन की अवधि के लिए निर्गमित की जाती है परन्तु आवश्यकता होने पर इससे पूर्व भी वापस मंगवायी जा सकती है। शोध पत्रिकाऐं (पुस्तकाकार अथवा खुली जगह), संदर्भ पुस्तकें, क्षतिग्रस्त पुस्तकें तथा इस हेतु अन्य प्रतिबन्धित पुस्तकें उधार पर निर्गमित नहीं की जाती है। पुस्तक निर्गमित करवाने के पश्चात् काउन्टर छोड़ने के पूर्व विद्यार्थी को इस बारे में संतुष्ट होना चाहिए कि पुस्तक अच्छी दशा में है। यदि कोई विभति (Mutilation) ज्ञात हो तो उसे काउन्टर लिपिक को तुरन्त ही इसकी सूचना देनी चाहिए तथा यथास्थान उनके हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। यदि पुस्तक लौटाते समय इस प्रकार की विभति का पता चलता है, तो इसका उत्तरदायित्व पुस्तक उधार लेने वाले विद्यार्थी का होगा।

3. यदि पुस्तक निर्धारित तिथि के पश्चात् लौटाई जाती है तो पुस्तक लौटाने की निर्धारित तिथि के पश्चात् से निर्धारित विलम्ब शुल्क वसूल किया जाएगा।

4. यदि उधार ली गई पुस्तक/पुस्तकें, पाठक टिकट अथवा सदस्यता कार्ड खो जाए तो इसकी सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। खोई हुई पुस्तक के मूल्य का दो गुना तथा ऐसी पुस्तक के मूल्य का 6 प्रतिशत प्रक्रिया शुल्क अथवा खोई हुई पुस्तक की नवीनतम प्रतिलिपी प्रस्तुत की जा सकती है। पाठक टिकट अथवा सदस्यता–पत्र गुम हो जाने की स्थिति में उसकी प्रतिलिपि इस सम्बन्ध में लिखित सूचना देने के पन्द्रह दिन की अवधि में निर्गमित की जा सकती है। इसके **लिए विद्यार्थी को क्षतिपूर्ति पत्र्क** (Indemnity Bond) **भरना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। गुम हुए टिकट अथवा पत्र के संभावित दुरूपयोग से पुस्तकालय को होने वाली किसी भी**

हानि के लिए संबंधित विद्यार्थी ही उत्तरदायी रहेगा।

५॰ पाठक टिकिट का सदस्यता पत्र अहस्तांतरणीय है। पुस्तकालय से उधार ली हुई पुस्तकों को किसी अन्य व्यक्ति को तुरन्त पुनः उधार देना पूर्णतः वर्जित है।

६॰ सम्बन्धित परीक्षा प्रारम्भ होने के सात दिन पूर्व विद्यार्थी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फलतः सभी पाठक टिकिट भी अमान्य हो जाएंगे। विद्यार्थी इन पाठक–टिकिटों को पुस्तकालय को वापस करके ''अदेय प्रमाण पत्र'' (No Dues Certificate) प्राप्त कर लें। यह प्रमाण पत्र अधिष्ठाता महोदय के कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही 'परीक्षा प्रवेश पत्र' दिया जाएगा।

विशिष्ट सुविधाएँ (Special Facilities)

१॰ **पुस्तकों का आरक्षण :** कोई भी निर्गमित की गई पुस्तक अन्य पाठकों द्वारा उधार लेने हेतु आरक्षित करवाई जा सकती है। इसके लिए स्वयं का पता लिखा आरक्षण कार्ड भरकर पांच रुपया का डाक टिकट लगाकर काउन्टर पर देना होगा। पुस्तक उपलब्ध होते ही पाठक को आरक्षण कार्ड भेजकर सूचित कर दिया जाएगा तथा अधिकतम तीन दिन तक उस पाठक के लिए पुस्तक को अलग रखा जाएगा। इस अवधि में पाठक टिकट व आरक्षण कार्ड प्रस्तुत करके आरक्षण कराने वाले पाठक द्वारा पुस्तक उधार ली जा सकती है।

२॰ **अन्तर पुस्तकालय उधार :** पुस्तकें एवं अन्य प्रकाशन, जो पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है, पाठक की सुविधा के लिए अन्य पुस्तकालयों से उधार मंगवाई जा सकती है। ऐसी पाठ्य सामग्री का उपयोग पुस्तकालय भवन में ही करना होता है। इस संबंध में लगने वाला सामग्री मंगवाने एवं भेजने का डाक व्यय संबंधित पाठक को ही वहन करना होगा। इस हेतु पाठक को एक सौ रुपये अग्रिम जमा कराने होंगे।

३॰ **फोटो प्रतिलिपि :** पुस्तकालय में उपलब्ध फोटो मशीन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सशुल्क फोटो प्रतिलिपि कराने की सुविधा है।

पुस्तकालय उपयोग संबंधी नियम

१॰ पुस्तकालय में प्रवेश करने से पूर्व पाठक द्वारा साथ लाई गई पुस्तकें, थैला, छाता आदि सामान पुस्तकालय द्वार Counter पर जमा कराकर टोकन प्राप्त कर लेना चाहिए।

२॰ पाठक को स्वयं किसी भी पुस्तक को शेल्फ में नहीं रखना चाहिए, वरन् अध्ययन के पश्चात् उसे पुस्तकालय सहायक को सौंप देना चाहिए अथवा उसकी अनुपस्थिति में मेज पर ही छोड़ देना

चाहिए।

३. बातचीत करना, थूकना, भोजन करना, सोना, धूम्रपान करना अथवा ऐसा कोई भी कार्य पुस्तकालय में पूर्णतया प्रतिबन्धित है जिससे अन्य पाठकों को अध्ययन में बाधा पहुंचे या अनुशासन भंग हो। छोटे बच्चों तथा किसी जानवर को पाठक अपने साथ पुस्तकालय में न लाऐं।

४. पुस्तकालयाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना पाठ्यक्रम सामग्री से ट्रेसिंग अथवा अन्य किसी मशीनी प्रक्रिया से प्रतिलिपि निषिद्ध है।

५. पुस्तकालय में किसी पाठ्य सामग्री या वस्तुओं पर लिखना, निशान लगाना या अन्य किसी प्रकार से उन्हें क्षति पहुंचाना मना है।

६. पुस्तकालय में शांति बनाये रखना अच्छे पाठक की निशानी है।

विभागीय पुस्तकालय :

विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विभागों में स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रें के उपयोग हेतु विभागीय पुस्तकालय है। कला एवं वाणिज्य संकाय में भी कुछ विभागीय पुस्तकालय है। इन विभागीय पुस्तकालयों में पुस्तकों का लेन–देन बाहर ले जाने के लिए नहीं किया जाता है। इनका उपयोग संदर्भ कक्ष के रूप में विभागीय स्तर पर होता है।

पुस्तक बैंक :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में पुस्तक बैंक की सुविधा सुलभ है। पुस्तक बैंक एवं उसकी नियमावली सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित महाविद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है। वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय में पुस्तक बैंक की सुविधा सभी श्रेणी के छात्रें के लिए उपलब्ध है।

11. यात्रा रियायतें
(Travel Concession)

भारतीय रेल, नागरिक उड्डयन व राज्य पथ परिवहन निगम सेवाओं द्वारा प्रदत्त रियायती किराये की सुविधाऐं विश्वविद्यालय के नियमित छात्रें को इन संस्थाओं के नियमानुसार दी जायेगी। ***यात्र के लिए विद्यार्थी को स्वयं सप्रमाण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही यात्र रियायत दी जायेगी।*** घर की परिभाषा में वह जगह आयेगी जहां कि विद्यार्थी के माता–पिता स्थायी रूप से रहते हैं। एक शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश आवेदन पत्र में दिया गया घर का पता अपरिवर्तनीय रहेगा। राजकीय सेवारत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर छात्र के अभिभावक का पता महाविद्यालय के अधिष्ठाता/निदेशक के स्वनिर्णय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। ***किराये में रियायत के लिए विद्यार्थी को प्रस्थान की तिथि से ८ दिन पूर्व महाविद्यालय के अधिष्ठाता को आवेदन करना चाहिए।*** रियायत सुविधा का उपयोग निम्न उद्देश्य से यात्र के लिए भी किया जा सकता है –

१. शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित या मान्यता प्राप्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए।

2. शिक्षाप्रद कार्यक्रमों, शिविरों व संगोष्ठियों में भाग लेने तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए, साक्षात्कार एवं प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए।

3. सामुदायिक योजनाओं में सेवा कार्य में भाग लेने हेतु।

4. शिक्षा, संस्भति एवं सामाजिक महत्व के अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलनों एवं अन्य सम्मेलनों में भाग लेने के लिए।

टिप्पणियाँ

(i) महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को ही घर पर जाने व वापसी के लिए किराये में रियायत की सुविधा दी जाती है।

(ii) रियायत के आदेश एक बार प्रसारित किये जाने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी को यात्र के दौरान अपना परिचय पत्र साथ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि परिवहन अधिकारी किसी भी समय उसकी जांच कर सकते हैं।

विद्यार्थी को उसके चयन के अनुसार एक समय में एक ही प्रकार के किराये में रियायत की सुविधा दी जायेगी। यह ध्यान में रहे कि परिवहन अधिकारियों को धोखा देने का प्रयास करने तथा गलत सूचना प्रदान करने की दिशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसका जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा।

(iii) लगातार एक महीने अनुपस्थित रहने वाला विद्यार्थी इस यात्र रियायत सुविधा के योग्य नहीं होगा।

12. वाहन स्थल
(Vehicle Stand)

प्रत्येक विद्यार्थी को ४५/– रुपये वार्षिक वाहन स्थल शुल्क देना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को अपना वाहन, वाहन स्थल पर ही रखना चाहिए। वाहन स्टेण्ड अनुबन्धक द्वारा साईकिल/वाहन महाविद्यालय परिसर में अन्यत्र पाये जाने पर दण्ड १/– रुपया अतिरिक्त शुल्क साईकिल/वाहन के स्वामी/धारक से लिया जाएगा।

13. विश्वविद्यालय स्तरीय सह–पाठ्यक्रम गतिविधियाँ
(University Level Co-curricular Activities)

1. विश्वविद्यालय स्तर की साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ :

विश्वविद्यालय द्वारा साहित्यिक एवं सांस्भतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं आयोजन हेतु अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को अधिभत किया गया है। इस कार्यालय के अन्तर्गत निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संचालित होती है –

(i) सभी संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये साहित्यिक, सांस□तिक गतिविधियों के लिये कार्यक्रम की सारणी बनाकर उनके आयोजन हेतु अधिष्ठाता–परिषद से अनुमोदन प्राप्त करना।

(ii) अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के तत्वावधान में पश्चिम क्षेत्रेय अन्तर विश्वविद्यालय के ''युवा समारोह'' में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये टीम का चयन करना।

(iii) स्वश श्री मोहनलाल सुखाड़िया की जन्मतिथि के अवसर पर ''मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान'' का विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजन करना। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, विचारक, अर्थशास्त्री अथवा राजनयिक को आमंत्रि करना। विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी के साथ ही उदयपुर शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करना।

(iv) विश्वविद्यालय के सभी संकायों के विद्यार्थियों के लिये ''कैरियर गाइडेन्स व्याख्यान'' का आयोजन करना एवं इस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रि करना।

(v) दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर ''गांधी जयन्ती व्याख्यान'' का आयोजन करना। राष्ट्रीय स्तर के गांधीवादी चिन्तक अथवा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में गांधी विचार के विश्लेषक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ अथवा दार्शनिक को आमंत्रि करना।

(vi) उदयपुर संभाग में कार्यरत आईश्एश्एसश एवं आईश्पीश्एसश अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का ''सिविल सेवा परीक्षा परिसंवाद'' आयोजित करना।

(vii) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों से चयनित विभिन्न साहित्यिक एवं सांस□तिक प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय स्तरीय युवा समारोह ''समवेत'' आयोजित करना एवं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित करना।

(viii) देश के विभिन्न भागों से प्राप्त शैक्षणिक, सांस□तिक एवं साहित्यिक अथवा अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं के निमंत्र्णों के आधार पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने योग्य प्रतिभागी का चयन/मनोनयन करना।

(ix) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ''पूर्व छात्र परिषद'' (एल्यूमनी एसोसियेशन) का विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार सत्रें का आयोजन एवं संचालन करना।

(x) छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय की पत्रिका ''शिखर'' का सम्पादन, प्रकाशन एवं वितरण करना।

(xi) राज्य सरकार/राजभवन के आदेशानुसार एवं कुलपति के मार्गदर्शनानुसार महाविद्यालय एवं केन्द्रिय स्तर पर छात्रसंघ के चुनाव करवाना एवं पदाधिकारियों को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करना।

इनके अतिरिक्त माननीय कुलपति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों की क्रियान्विति करना।

2. विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र (University Employment & Guidance Bureau)

इस विश्वविद्यालय में छात्रें एवं बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए एक विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र, कला महाविद्यालय नया परिसर में कार्यरत है। यह केन्द्र जरूरतमंद आशार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रवेश सूचनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति, स्वरोजगार, भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन की सेवाऐं व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्र द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में व्यावसायिक वार्ताओं एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा स्वनियोजन साहित्य का सृजन, रोजगार के भावी अवसरों/ प्रवृत्ति से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं अध्ययन केन्द्र के अन्य कार्य किये जाते हैं।

इस केन्द्र में एक व्यावसायिक सूचना कक्ष स्थापित है, जिसमें नवीनतम तथा छात्रें के लिए उपयोगी सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। एक मासिक पत्रिका 'शैक्षणिक एवं रोजगार पत्रिका' भी विश्वविद्यालय के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित की जाती है, जिसमें उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रवेश सूचनाओं, छात्रवृत्ति/अध्येवृति, नियुक्ति सम्बन्धित, प्रतियोगी परीक्षाओं, स्व–रोजगार तथा छात्रें एवं बेरोजगार युवकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध

कराई जाती है। छात्रें को परामर्श दिया जाता है कि इस केन्द्र में उपलब्ध समस्त सुविधाओं का पूरा–पूरा लाभ उठाये। यह केन्द्र सभी कार्य दिवसों में प्रातः १० से सायं ५ बजे तक खुला रहता है तथा केन्द्र के अधिकारी विद्यार्थियों एवं बेरोजगार युवाओं को साक्षात्कार विधि, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार से सम्बन्धित निजी मार्गदर्शन देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह केन्द्र डाक द्वारा भी अपनी सेवाऐं प्रदान करता है। इस केन्द्र से आईश्सीश्एसश परीक्षा के आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। विदेशों में रोजगार हेतु आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क देकर इस केन्द्र से प्राप्त किये जा सकते हैं। इस केन्द्र में मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि की सुविधाऐं भी उपलब्ध है।

3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ (SC/ST Cell)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से इस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ गठित है। प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु नियमानुसार उनके आरक्षित स्थानों में प्रवेश के लिए सहयोग एवं समुचित कार्यवाही की व्यवस्था की जाती है। यदि उन्हें प्रवेश के सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो वे लिखित में सम्पूर्ण विवरण सहित अपनी समस्याऐं उचित माध्यम से इस प्रकोष्ठ को अवगत करा सकते हैं।

4. प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार केन्द्र (Centre for Adult Education & Extension)

यह केन्द्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सन् १९८० से कार्यरत है। वर्तमान में यह सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में कार्य कर रहा है। देशव्यापी निरक्षरता उन्मूलन हेतु सुखाड़िया विश्वविद्यालय के योगदान के रूप में यह केन्द्र कार्य कर रहा है। इसके अन्तर्गत साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश की जनसंख्या नीतियों तथा योजनाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करने तथा छोटे परिवार के मानक की आवश्यकता का भाव विकसित करने हेतु जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का संचालन भी किया जाता है। इन कार्यक्रमों में रूचि लेने वाले विद्यार्थियों को सत्रारम्भ में ही इस केन्द्र से सम्पर्क करना चाहिए।

5. जनसंख्या शोध केन्द्र (Population Research Centre)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में यह जनसंख्या शोध केन्द्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलय भारत सरकार के सहयोग से १९८१ से संचालित हैं। इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य हैं –

१. जनसंख्या विज्ञान में विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य करना एवं शोधार्थियों को प्रोत्साहन करना।

2. राजस्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन करना।

3. विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या सम्बन्धी शोध कार्यों का सूक्ष्म अध्ययन करना।

अब तक इस केन्द्र ने 65 शोध परियोजनाऐं (प्रोजेक्ट्स) सम्पन्न की है एवं इस सम्बन्ध में कई शोध पत्र प्रकाशित किये हैं।

6. महिला अध्ययन केन्द्र (Centre for Women Study)

राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में महिलाओं की अहम् भूमिका रही है। वर्तमान में महिलाओं के सामाजिक दायित्व बढ़ गये हैं। आज महिलाऐं ना केवल सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था का आधार स्तम्भ है अपितु वे राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रें में भी त्वरित गति से अग्रसर हो रही है। लेकिन दक्षिण राजस्थान जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से सरोबार है अभी भी इन सभी गतिविधियों से वंचित है फिर ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। अतएव ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की है। केन्द्र के महिला उत्थान हेतु बहुआयामी उद्देश्य हैं। जो उन्हें उनके स्वाभिमान को जाग्रत करते हुए लिंग–समानता एवं सामाजिक न्याय प्रदान कर अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति चेतना जाग्रत करने का एक सफल प्रयास है। केन्द्र का उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराने का श्रम करना है। केन्द्र, विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही घर की अर्थव्यवस्था, समाज एवं राज्य में महिलाओं की उत्पादक भूमिका को मान्यता प्रदान कराने तथा विभिन्न प्रकार के संसाधनों एवं विकास के परिमापों तक सबकी समान पहुँच एवं नियंत्रण हो सके, के लिए भी केन्द्र सतत् प्रयासरत है।

केन्द्र न केवल महिलाओं को वरन् बालिकाओं एवं किशोरियों को भी शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक स्तर पर सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है। इसी दिशा में केन्द्र द्वारा समय–समय पर विस्तार व्याख्यान, वार्ताऐं, संगोष्ठी प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। अध्ययन–अध्यापन हेतु ''महिला अध्ययन'' सामाजिक संकाय के एक विषय के रूप में संस्थापित हैं। केन्द्र शोध प्रायोजनाओं द्वारा उन अनछुए पहलुओं को मुखरित करने का प्रयास करता है, जो महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित होगा। संदर्भ केन्द्र के रूप में महिला से संबंधित विभिन्न पुस्तक–पुस्तिकाओं, शोध पत्रें और सरकारी योजनाओं का संग्रहण एवं संकलन दिशातीत है। केन्द्र आर्थिक स्वावलम्बन को अग्रसर करने हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है।

7. मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र (Centre for Human Rights Studies)

राजस्थान राज्य में मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र की स्थापना सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय में हुई है। यह केन्द्र विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में मानवाधिकारों की स्थिति, समस्याओं और उनके समुचित समाधानों के सम्बन्ध में शोध/शिक्षण आदि में संलग्न होगा।

8. बौद्ध अध्ययन एवं अहिंसा केन्द्र (Centre for Buddhist Studies and Non-Violence)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय में राजस्थान राज्य में यह प्रथम केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र जैनविद्या एवं प्राभत विभाग के आचार्य के निर्देशन में संचालित है। इस केन्द्र द्वारा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और अहिंसा का, समता, समानता, अस्पृश्यता और वैचारिक उदारता आदि मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रचार–प्रसार किया जायेगा। केन्द्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी संचालित है।

9. प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (Competitive Examination Coaching Centre)

यह केन्द्र सामाजिक एवं मानविकी महाविद्यालय के परिसर में संचालित है। केन्द्र द्वारा सुयोग्य अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा RAS, ICS, UGC-NET आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों का शिक्षण विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क लेकर प्रदान किया जाता है। कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि सभी संकायों के प्रत्याशी इसका लाभ ले सकते हैं।

10. रेमेडियल कोचिंग केन्द्र (Remedial Coaching Centre)

विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय के अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रें के लिए अध्ययन कर रहे विषयों की कोचिंग कक्षाओं की सुविधाऐं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के सौजन्य से उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत उपरोक्त वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें भी प्रदान की जाती है। इसके लिए विद्यार्थियों को पंजीयन कराना होगा। इन कक्षाओं का समय महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं से अलग होगा।

11. अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार (International Students Advisor)

विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा अध्ययन संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार की नियुक्ति की गई है।

12. भाषा प्रयोगशाला (Language Laboratory)

इस भाषा प्रयोगशाला में सभी भाषाओं के उच्चारण सम्बन्धी शुद्ध ज्ञान व भाषिक समस्याओं के लिए प्रायोगिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में अंग्रेजी व हिन्दी भाषा की प्रायोगिक सामग्री व सुविधा उपलब्ध है। अन्य भाषाओं की सुविधाएँ क्रमशः प्रदान की जा सकेगी।

13. छात्र न्यायालय (मूट कोर्ट)

विधि महाविद्यालय द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद् के तत्वावधान में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले छात्र न्यायालय (मूट कोर्ट) में भाग लेने हेतु छात्रें को प्रोत्साहित किया जाता है।

१४. निःशुल्क विधि सहायता क्लिनिक

विधि महाविद्यालय में निर्धनों, अशिक्षितों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनके दैनिक विधिक कठिनाईयों एवं मुकदमेबाजी के कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी वकीलों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाता है।

15. प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र – अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. व अल्पसंख्यक वर्ग हेतु

भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के सौजन्य से विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में यह केन्द्र प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग प्रदान कर रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जाती है। भारत सरकार के मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार यह केन्द्र कार्य कर रहा है।

16. परिषद समितियाँ, संगोष्ठियाँ एवं स्नातकोत्तर अध्ययन समूह

विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को विभिन्न अध्ययन परिषदों के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि विद्यार्थी संकाय स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर अपनी प्रतिभा को एक छोटे समूह में विकसित कर सके। इन शैक्षणिक इकाईयों द्वारा सदस्यों के ज्ञानवर्धन एवं बौद्धिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, अध्ययन–समूह आदि का आयोजन किया जाता है। इनके समुचित संचालन हेतु विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता द्वारा प्राध्यापकों को सलाहकार के रूप में मनोनीत किया जाता है, जो विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सभी नियमित विद्यार्थी इन शैक्षणिक इकाईयों के सदस्य होंगे। विभिन्न गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

17. विशिष्ट आयोजन (Special Programme)

(क) साहित्यिक एवं सांस□तिक प्रायोजन (Literacy & Cultural Programmes) विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/विभागों द्वारा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस□तिक गतिविधियों के अन्तर्गत यथा वाद–विवाद प्रतियोगिता, सामान्य–ज्ञान प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है तथा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। विभिन्न राज्य स्तरीय, अंतर–विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day) : भारत के सपूत दृष्टा एवं सन्त स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस १२ जनवरी को समस्त देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day) : २८ जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही बहुमुखी प्रगति के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

उपर्युक्त गतिविधियां विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व की बहुमुखी समृद्धि कर जीवन के लिए पाथेय संचित करते हुए नागरिकता के प्रशिक्षण का सुअवसर प्रदान करती है।

18. विश्वविद्यालय योग केन्द्र (University Yog Center)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के सहयोग से विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल परिसर में विश्वविद्यालय के सभी नियमित छात्र–छात्रओं एवं कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था अनुभवी विशेषज्ञों की उपस्थिति में उपलब्ध है। केन्द्र द्वारा योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी संचालित किया जा रहा है। जिसकी प्रवेश क्षमता ३०+१० है तथा इसमें १० पेमेन्ट सीट है। जिसकी प्रवेश आयु सीमा ४५ वर्ष है। इसके अतिरिक्त ६ सप्ताह का योग प्रशिक्षण में प्रमाण पत्रेय पाठ्यक्रम का संचालन भी केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

14. राष्ट्रीय सेवाएँ
(National Services)

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवाओं के अन्तर्गत निम्न चार विकल्प उपलब्ध हैं –

(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.)
(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)
(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)
(घ) रोवरिंग (Rovering)

विद्यार्थी इन चारों में से कोई एक विकल्प चुनकर उसमें सम्मिलित हो सकता है। इन चारों राष्ट्रीय सेवाओं के संचालन के लिए विभिन्न प्रभारी है, जिनसे विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.) : इसके अन्तर्गत निम्नलिखित खेल वर्ग हैं –

1. क्रिकेट 2. फुटबॉल 3. दौड़–कूद 4. हॉकी
5. वॉलीबाल 6. बास्केटबॉल 7. हैण्डबॉल

इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को इन सात वर्गों में से एक को चुनना होगा। अपनी रूचि के खेल की व्यावहारिक परीक्षा देनी होगी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही इस संगठन में नामांकन होगा। इसमें ७५ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) : इसमें सैनिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्रीष्मकालीन शिविर पर्वतारोहण के अवसर प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों से अनुशासन एवं सेवा की भावना के साथ–साथ शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इस योजना के अन्तर्गत थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में से एक को चुना जा सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती होने वाले छात्र के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वास्थ्य चाहिए।

राष्ट्रीय कैडेट कोर की इच्छित शाखा में प्रवेश के आवेदकों में से चयन किया जाएगा। चयन तिथि एवं समय की सूचना केडेट कोर अधिकारियों द्वारा यथासमय घोषित की जायेगी। जो छात्र एनश सीश्सीश की इच्छित शाखा में चयनित नहीं होते हैं उन्हें अन्य निद्रिष्ट शाखा में प्रवेश लेने का विकल्प होगा।

उपस्थिति (Attendance)

एन.सी.सी. कैडेटों के लिए 75 प्रतिशत परेड़ों में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निर्दिष्ट शिविरों में भी उन्हें भाग लेना होगा। यूनिट द्वारा निर्धारित तिथि पर गणवेश एवं अन्य सामान दिया व लिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी बिना गणवेश एवं सामान लौटाये सत्र के मध्य में महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो उसका नाम आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस को प्रेषित कर दिया जायेगा।

शाखाओं (Wings) में अन्तर–परिवर्तन की अनुमति नहीं है। एनश्सीश्सीश के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण कुछ चयनित छात्रें को ही दिया जायेगा।

प्रमाण पत्र परीक्षाएँ (Certificate Examinations)

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में वे प्रशिक्षणार्थी 'बी' प्रमाण पत्र के पात्र होंगे जिन्होंने एक शिविर में भाग लिया हो तथा प्रत्येक सत्र में जिनकी उपस्थिति ७५ प्रतिशत हो।

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में 'सी' प्रमाण परीक्षा के लिये वे ही केडेट पात्र होंगे जिन्होंने 'बी' प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया हो, दो शिविरों में भाग लिया हो तथा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में ७५ प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की हो।

एन.सी.सी. के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में कमीशन

सशस्त्र सेनाओं में कमीशन के लिए आवेदन–पत्र, केडेट अपने एन.सी.सी. यूनिट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीभत होने पर जिस सेवा के लिए उन्होंने आवेदन किया है उसकी चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। कमीशन के प्रत्याशियों की योग्यता का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –

थल सेना

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (थल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

जल सेना

1. भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय का स्नातक अथवा अभियांत्रिक उपाधि धारक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (जल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

वायु सेना (सामान्य सेवाएँ)

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक

2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (वायु शाखा) छोड़ने के एक वर्ष भीतर प्रस्तुत हो।

निस्सारण (Discharge)

छात्रों को एन.सी.सी. छोड़ने के एक वर्ष भीतर अपने युनिट कमाण्डर से निस्सारण प्रमाण–पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने एन.सी.सी. अफसर के माध्यम से आवेदन भेजना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) : इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय के युवा वर्ग की शक्ति को राष्ट्रीय सेवा प्रयोजनाओं में लगाना है। सामान्यतया इसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों का विकास करना एवं श्रम की गरिमा के मान का पोषण करना है। कल्याणकारी गतिविधियों के तीन क्षेत्रें, यथा ग्रामीण, नगरीय एवं संस्थागत की उन्नति के लिए यह योजना सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण देती है।

इसके अतिरिक्त एनश्एसश्एसश द्वारा ग्रामीण विकास के लिए एक वर्ष में दो अनिवार्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों में भी भेजे जाते हैं। इस योजना में सम्मिलित होने वाले छात्रें को प्रतिवर्ष ६५ प्रतिशत उपस्थिति पूरी करनी होगी।

(घ) रोवरिंग (Rovering) : विश्वविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की गतिविधियों का संचालन रोवर्स के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक छात्र, जिसने विद्यालय स्तर पर स्काउटिंग का अपेक्षित अनुभव ग्रहण किया है, विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर के रूप में पंजीभत हो सकता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोवर कार्यक्रमों में योग्यतानुसार भाग ले सकता है। निम्न कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किये जाते हैं –

1. साक्षरता अभियान, सामाजिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा
2. औषधालय सेवा
3. गन्दी बस्तियों की सफाई
4. ग्रामीण विकास
5. जरूरतमंदों की सहायता
6. राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम
7. परिसर विकास, तथा
8. प्रकल्प निदेशकों द्वारा निर्धारित अन्य कार्य ।

15. खेल–कूद
(Games & Sports)

विश्वविद्यालय में खेलों के विकास हेतु एक क्रीड़ा मण्डल की स्थापना की गई है जिसका नाम **मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल** रखा गया है। क्रीड़ा मण्डल का कार्यकाल दो वर्ष का होता है तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है।

विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है। विश्वविद्यालय की टीमें अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती है। प्रत्येक महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रेष्ठ दल के खिलाड़ियों की गणवेश (Uniform) के लिए महाविद्यालय क्रीड़ा समिति द्वारा आंशिक आर्थिक सहयोग (Subsidy) रुश ३५०/– प्रति किट दिया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल (University Sports Board)

अध्यक्ष	–	प्रो. एस.आर. व्यास
कार्यवाहक सचिव	–	डॉश दीपेन्द्र सिंह चौहान (मुक्केबाजी प्रशिक्षक)

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के लक्ष्य और उद्देश्य शारीरिक शिक्षा व खेलों के द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करना है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल प्रतिवर्ष अन्तर महाविद्यालय खेल–कूद प्रतियोगिताएँ अन्तर महाविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा प्रदत्त नियमों तथा निर्देशों के आधार पर आयोजित करता है। अन्तर विश्वविद्यालय खेल–कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल अपना दल भेजता है। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर इन प्रतियोगिताओं में कई बार विजय व उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। बास्केटबॉल, टेबल–टेनिस, बेडमिण्टन, खो–खो, जिमनास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, हैण्डबॉल, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बेस्ट फिजिक, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज, कुश्ती, तैराकी, बॉक्सिंग, जूडो, तीरंदाजी एवं योगासनादि खेल–कूदों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी क्रीड़ा मण्डल द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल योग केन्द्र के तत्वावधान में योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय पूर्णकालीन) पाठ्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रवेश क्षमता ३०+१० है। १० पेमेन्ट सीट है। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा योग प्रशिक्षण में ६ सप्ताह का प्रमाण पत्रिय पाठ्यक्रम भी संचालित किया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के तत्वावधान में शारीरिक शिक्षा M.P.Ed में २ वर्षीय पाठ्यक्रम जिसकी प्रवेश क्षमता ३० सीट होगी का संचालन खेल परिसर में इस सत्र से किया जा रहा है

16. विभिन्न संकाय एवं पाठ्यक्रम
(Various Faculties and Courses of Study)

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर
University College of Science, Udaipur

प्राधिकारी

अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष	प्रो. मधुसूदन शर्मा
सह–अधिष्ठाता	प्रो. ए.के. गोस्वामी
सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	डॉ. आर.एस. चौहान
प्रॉक्टर	डॉ. एम. एस. शेखावत
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	–
कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	1. डॉ. एम. राय 2. डॉ. बी. एम. व्यास
खेल प्रभारी	–

संकाय सदस्य

वनस्पति विज्ञान विभाग (Department of Botany)

आचार्य	बी.एल. चौधरी	पीएच.डी.
आचार्य	एन.सी. ऐरी	पीएच.डी.
आचार्य	के.जी. रामावत	पीएच.डी.
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	एस.एस. कटेवा	पीएच.डी.
आचार्य	एस.डी. पुरोहित	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	संध्या त्यागी	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	कनिका शर्मा	पीएच.डी.

जैव तकनीकी पाठ्यक्रम (Bio-Technology Course)

पाठ्यक्रम निदेशक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	एस.डी. पुरोहित	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	हर्षदा जोशी	पीएच.डी.

भौतिक विज्ञान विभाग (Department of Physics)

आचार्य	के. वेनुगोपालन	पीएच.डी.
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	राजेश पाण्डेय	पीएच.डी.
आचार्य	बी.एल. आहुजा	पीएच.डी.
सह आचार्य	एस.एन.ए. जाफरी	पीएच.डी.
सह आचार्य	एन. लक्ष्मी	पीएच.डी.
सह आचार्य	एम. राय	पीएच.डी.
सह आचार्य	बी.एम. व्यास	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	के.बी. जोशी	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	सुधीश कुमार	पीएच.डी.

कम्प्यूटर केन्द्र (Computer Centre)

निदेशक	के. वेनुगोपालन	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	एम.के. जैन	पीएच.डी.
सिस्टम मैनेजर	संजीव अग्रवाल	एम. टेक
प्रोग्रामर	एन.के. पारीख	पीएच.डी.

प्राणी विज्ञान विभाग (Department of Zoology)

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	मधुसूदन शर्मा	पीएच.डी.
आचार्य	महीप भटनागर	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	एल.एस. रत्नू	एम.एससी.
सहायक आचार्य	श्रीमती आरती प्रसाद	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती छाया भटनागर	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती रागिनी शर्मा	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती प्रीति सिंह	पीएच.डी.

पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम (Environmental Sciences Course)

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	निधि राय	पीएच.डी.
सह आचार्य	बी.आर. बामनिया	पीएच.डी.

गणित एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Mathematics and Statistics)

सह आचार्य	वी.एल. मण्डोवरा	पीएच.डी.
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, प्रभारी, सांख्यिकी	एम.एस. दुलावत	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	जी.एस. राठौड़	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	अतुल त्यागी	पीएच.डी.

रसायन शास्त्र विभाग (Department of Chemistry)

आचार्य एंव विभागाध्यक्ष	बी.एल. हिरन	पीएच.डी.
आचार्य	ए.के. गोस्वामी	पीएच.डी.

सह आचार्य	आर.एस. चौहान	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती पिंकी बाला पंजाबी	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	विनोद कुमार शर्मा	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती रेखा दशोरा	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती अनिता मेहता	पीएच.डी.

पोलीमर विज्ञान (Polymer Science)

सहायक आचार्य एवं प्रभारी	ज्योति चौधरी	पीएच.डी.

औद्योगिक रसायन शास्त्र (Industrial Chemistry)

पाठ्यक्रम निदेशक (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	ए.के. गोस्वामी	पीएच.डी.

फार्मेसी विभाग (Department of Pharmacy)

सह आचार्य	पी.के. चौधरी	पीएच.डी.
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	सी.पी. जैन	पीएच.डी.

भू–विज्ञान विभाग (Department of Geology)

आचार्य	पी. कटारिया	पीएच.डी.
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	पी.सी. औदिच्य	पीएच.डी.
आचार्य	विनोद अग्रवाल	पीएच.डी.
आचार्य	आर.एल. जोधावत	पीएच.डी.
आचार्य	एन.के. चौहान	पीएच.डी.
सह आचार्य	डी. के. नागौरी	पीएच.डी.
सह आचार्य	टी.के. पण्ड्या	पीएच.डी.
सह आचार्य	हर्ष भू	पीएच.डी.
सह आचार्य	एम.एस. शेखावत	पीएच.डी.
सह आचार्य	एम.एल. नागौरी	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	सूरजाराम जाखड़	पीएच.डी.

इलेक्ट्रोनिक्स पाठ्यक्रम (Electronics Course)

पाठ्यक्रम निदेशक — राजेश पाण्डेय — पीएच.डी.
एम.एससी. इलेक्ट्रोनिक्स

सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम (Information Technology Course)

पाठ्यक्रम निदेशक — के. वेणुगोपालन — पीएच.डी.
एम.एससी. (आई.टी.), बी.सी.ए. एवं
पाठ्यक्रम निदेशक, कम्प्यूटर साइन्स

अध्ययन विषय एवं योग्यता (Courses of Study and Eligibility)

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता, अध्ययन की अवधि एवं कक्षा की प्रवेश क्षमता आदि निम्नानुसार होगी –

मुख्य पाठ्यक्रम

	1. पाठ्यक्रम	2. प्रवेश पात्रता	3´ न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक प्रतिशत	4. पाठ्यक्रम की अवधि	5. कक्षा की प्रवेश क्षमता	6´´ स्ववित्त पोषित सीट
1.	विज्ञान स्नातक (ठण्ैबण्)	पूर्व स्नातक विज्ञान / 10+2 / इन्टर विज्ञान	50:	तीन वर्ष	400	20 (कम्प्यूटर साइंस) 20 (बायो ग्रुप)
2.	विज्ञान स्नातक भैषजिक विज्ञान (ठण् चींतउंबल)	10+2 / इन्टर विज्ञान (पी.पी.टी. द्वारा निर्धारित)	पी.पी.टी. द्वारा निर्धारित	चार वर्ष	40	–

	1	2	3*	4	5	6**
3.	विज्ञान स्नातक (भू–विज्ञान अतिरिक्त) (B.Sc. Additional Geology)	विज्ञान स्नातक (केवल सुखाड़िया **विश्वविद्यालय छात्रें हेतु)**	50%	एक वर्ष	20	–
4.	विज्ञान निष्णात (M.Sc.) Botany **वनस्पति विज्ञान**	विज्ञान स्नातक (१०+२+३)	50% **(ऐच्छिक विषय)**	दो वर्ष	25	10
5.	विज्ञान निष्णात (M.Sc.) Chemistry **रसायन विज्ञान**	विज्ञान स्नातक (१०+२+३)	50% **(ऐच्छिक विषय)**	दो वर्ष	30	10
6.	विज्ञान निष्णात (M.Sc.) Physics **भौतिक विज्ञान**	विज्ञान स्नातक (१०+२+३)	50% **(ऐच्छिक विषय)**	दो वर्ष (सेमेस्टर प्रणाली)	25	10
7.	विज्ञान निष्णात (M.Sc.) Electronics **इलेक्ट्रोनिक्स**	विज्ञान स्नातक (१०+२+३) **अभियांत्रिकी स्नातक**	50% **(ऐच्छिक विषय)**	दो वर्ष	20	–
8.	विज्ञान निष्णात (M.Sc.) Zoology **प्राणी विज्ञान**	विज्ञान स्नातक (१०+२+३)	50% **(ऐच्छिक विषय)**	दो वर्ष	25	10
9.	विज्ञान निष्णात (M.Sc.) Geology **भू–विज्ञान**	विज्ञान स्नातक (१०+२+३)	50% **(ऐच्छिक विषय)**	दो वर्ष (सेमेस्टर प्रणाली)	25	–
10.	कला / विज्ञान **निष्णात गणित** (M.A./M.Sc.Maths)	कला / विज्ञान **स्नातक** (१०+२+३)	50% **(ऐच्छिक विषय)**	दो वर्ष	50	5
11.	कला / विज्ञान **निष्णात सांख्यिकी** (M.A./M.Sc. Statistics)	कला / विज्ञान **स्नातक** (१०+२+३)	50% **(ऐच्छिक विषय)**	दो वर्ष	25	5

1	2	3*	4	5	6**
12. विज्ञान निष्णात प्रौद्योगिकी–प्रायोगिक भू–विज्ञान (M.Sc.Tech. Applied Geology)	भू–विज्ञान स्नातकोत्तर (१०+२+३+२)	50% (भू–विज्ञान)	एक वर्ष	१५	–
13. विज्ञान निष्णात पर्यावरण विज्ञान (M.Sc. Environmental Sciences)	B. Sc. in any discipline (Except in Agriculture)	50% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	१०	१०
14. विज्ञान निष्णात जैव तकनीकी (M.Sc. Biotechnology)	विज्ञान स्नातक (१०+२+३) (निम्न में से कोई दो विषय) १श रसायन विज्ञान २श प्राणी विज्ञान ३श वनस्पति विज्ञान ४श पर्यावरण विज्ञान/ पर्यावरण जैविकी ५श सूक्ष्म जीव विज्ञान ६श जैव विज्ञान ७श जैव तकनीक अथवा जैव तकनीकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान आनुवांशिकी/जैव रसायन के स्नातक	50%	दो वर्ष	०८	१२
15. विज्ञान निष्णात पोलीमर विज्ञान M.Sc.(Polymer Sc.)	विज्ञान स्नातक	50%	दो वर्ष	१०	१०
16. एमश्सीश्एश M.C.A.	स्नातक (१०+२+३) MCA राज्य स्तरीय परीक्षा द्वारा निर्धारित	50%	तीन वर्ष	३०	३०

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

	1. पाठ्यक्रम	2. प्रवेश पात्रता	3′ न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक प्रतिशत	4. पाठ्यक्रम की अवधि	5. कक्षा की प्रवेश क्षमता	6 शुल्क रु.
1.	विज्ञान स्नातक (B.Sc.) (जैव तकनीकी) (Biotechnology)	पूर्व स्नातक विज्ञान / १०+२/इन्टर विज्ञान (बायो ग्रुप) (iii)	50:	तीन वर्ष	60	Rs.25000 p.a.+ Local Fund Fees
2.	बीश्सीश्एश (B.C.A.)	१०+२ इन्टरविज्ञान	50%	तीन वर्ष	६०	२२०००/– + Local Fund
3.	एमश्एससीश (टेक) M.Sc. (Tech.) Nano Science and Nano Technology	एमश्एससीश फीजिकल साइंस एवं बायलोजिकल साइंस	50%	1½ वर्ष	२०	
4.	एमश्एससीश (सूचना प्रौद्योगिकी) M.Sc. (Information Technology)	B.Sc. with Maths/BCA	50%	दो वर्ष	२०	Rs.20000/- per Semester + Local Fund
5.	M.Sc. (Computer Science)	B.Sc. with Computer Science	50%	दो वर्ष	२०	Rs.18000 per Semester
6.	एमश्फार्मा M. Pharma	स्नातक (१०+२+३)	50%**	दो वर्ष	१५	
7.	विज्ञान निष्णात औद्योगिक रसायन शास्त्र M.Sc. (Industrial Chemistry)	विज्ञान स्नातक (१०+२+३) (रसायन शास्त्र सहित)	50%	दो वर्ष	२०	Rs.25000/– +college fee (PA)
8.	विज्ञान निष्णात भू सूचनातंत्र एवं सुदूर संवेदन विज्ञान (M.Sc.) Geo-Informatics &Remote Sensing	विज्ञान स्नातक (१०+२+३)	50% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	२० (Self-finance) 5 (Sponsored)	Rs.15000 per Semester Rs.20000 per Sem

9.	विज्ञान निष्णात M.Sc. Microbiology सूक्ष्म जीव विज्ञान	विज्ञान स्नातक (१०+२+३) (प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान, जैव तकनीक, सूक्ष्म जीव विज्ञान)	50% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष (सेमेस्टर प्रणाली)	२०	२५०००/– per semester + Local Fund
10.	P.G. Dip. in Computer Application (PGDCA)	Graduate with Computer Science		1 Year	30	Rs.18000 per Semester
11.	P.G. Dip. in Business Computing (PGDBC)	Graduate with Computer Science		1 Year	30	-do-
12.	PG Diploma in Environmental Mgt. in Mining and Industries (1 Year)			Rs.9,000 Rs.10,000 for Sponsored Candidate		
13.	Diploma Course in Computer Hardware			Rs.6,000 p.a.		
14.	P.G. Diploma in Disaster Management			Rs.9,000 p.a.		
15.	इलेक्ट्रोनिकी यंत्रीकरण में डिप्लोमा (P.G. Diploma in Electronic Instrumentation)					
16.	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रमाण–पत्रिय पाठ्यक्रम (Certificate Course in Computer Programming)					

टिप्पणी :

(i) 10+2 भषि संकाय (विषयों) से उत्तीर्ण छात्रों को प्रथम वर्ष विज्ञान में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जावेगा।

(ii) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) विज्ञान संकाय में सभी प्रवेश, प्रवेश टेस्ट परीक्षा के उपरान्त ५० प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं ५० प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक परीक्षा (प्रायोगिक को छोड़कर) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

(iii) १०+२ एग्रीकल्चर/होर्टीकल्चर/बायोटेक्नोलोजी के साथ रसायन शास्त्र विषय का अध्ययन किया विद्यार्थी बीएससीश बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश के पात्र होंगे।

(iv) विज्ञान निष्णात भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान में सेमेस्टर प्रणाली संघटक महाविद्यालय में लागू की गई है।

* अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम में प्रवेश।

** कॉलम संख्या (6) में दी गई प्रवेश क्षमता की संख्या स्ववित्तपोषित सीट है।

ADD - ON COURSES

Students admitted to various UG and PG courses of the University can offer one add-on Diploma/Certificate courses in a session to acquire additional professional competency in specified areas of their interest. Course content of Add-on Diploma will be approximately equivalent to that of One Paper in UG/PG (80 hrs - 120 hrs). Depending upon the basic qualifications and courses to which they have been admitted, students can choose from following courses.

INFORMATION TECHNOLOGY & COMPUTER APPLICATIONS

Course	* Eligibility	Duration	Seats	Normal Fee
DIPLOMA COURSES (Part Time)				
Visual Basic Net	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
Microsoft Net Framework	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
Web Data Base Development	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
Web Site Design	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
Data Mining	Graduate in Science	1 Year	30	Rs.3000/-
Computational Methods in Bioinformatics	Regular Students of Life Sciences, Biotechnology	1 Year	30	Rs.2500/-
Modern Education Technologies	Graduate with B.Ed. or Post Graduate with 50%	1 Year	30	Rs.2500/-
Network Design and Installation	Graduaste in Science with 50% or Students of UG or PG Courses in Computer / Engineering	1 Year	30	Rs.3500/-
Linux Operating Computer Network Administration and Management	Graduate in Science with 50% or Students of UG or PG Courses in Computer/Engineering	1 Year	30	Rs.3500/-

CERTIFICATE COURSES (OPEN TO ALL) (PART TIME)

Office Automation & E-Governance	10+2	1 Year	30	Rs.3000/-
ICT & Research Methodologies (for Ph.D. Students)	Post Graduate with 55%	1 Year	30	Rs.3000/-

Add-On Diploma Courses will be offered only if number of students admitted is at least 50% of the seats. Regular students from constituent colleges will be given a fee concession of Rs.500/-. Candidates who are interested to Add-One Course may contact office of the University Computer Centre, Vigyan Bhawan / www.mlsu.ac.in for admission forms & details.

ADD-ON COURSES (Offered by Department of Physics)

1. Diploma Course in Nanotechnology (1 Year)
2. Diploma Course in Biophysical Instrumentation and Measurement Techniques (1 Year).
3. Diploma Course in Astronomy. (1 Year)

ADD-ON COURSE (Offered by Department of Zoology)

Advance Diploma in Clinical Laboratory Techniques (ADCLT) is offered as an Add-on Course for regular students admitted to I Year B.Sc. Course of M.L. Sukhadia University. Candidate who have passed 10+2 Examination with Physics, Chemistry and Biology from Board of Rajasthan/CBSE or equivalent. Total Number of seats will be 20. Admission will be made purely on the basis of merit. Reservations for SC/ST and OBC will be made as per University Rules.

* अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

नोट : पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों के साथ प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

विभिन्न पाठ्यक्रम

१श विज्ञान स्नातक (B.Sc.) – (त्रि–वर्षीय उपाधि नवीन पाठ्यक्रम)

१श प्रथम वर्ष

अनिवार्य विषय – (i) सामान्य हिन्दी (ii) पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय – विद्यार्थी निम्नलिखित में से कोई एक अथवा दो वर्ग (10+2) सीनियर हायर सैकण्डरी के आधार पर वरीयता क्रम में चुन सकता है।

१. गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान
2. वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान एवं रसायन विज्ञान
3. वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भू–विज्ञान
4. गणित, भौतिक विज्ञान एवं भू–विज्ञान
5. गणित, सांख्यिकी एवं भौतिक विज्ञान
6. गणित, सांख्यिकी एवं भू–विज्ञान
7. गणित, सांख्यिकी एवं रसायन विज्ञान
8. सांख्यिकी, गणित एवं कम्प्यूटर विज्ञान
9. सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान
10. भौतिक विज्ञान, गणित एवं कम्प्यूटर विज्ञान
11. पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान अथवा
    पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान
12. भू–विज्ञान, रसायन विज्ञान व प्राणी विज्ञान
13. भू–विज्ञान, रसायन विज्ञान व पर्यावरण विज्ञान
14. भू–विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित।

टिप्पणियाँ

(i) प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रें में से सर्वप्रथम योग्यता वरीयता क्रम से ४०० प्रत्याशियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा, फिर उन्हें विज्ञान के उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों में प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) वे छात्र जिन्होंने (10+2) सीनियर हायर सैकण्डरी की परीक्षा जीव विज्ञान विषय में उत्तीर्ण की है। वे प्रथम वर्ष में वर्ग संख्या २, ३, ११, १२ व १३ में से कोई एक चुन सकते हैं।

(iii) पर्यावरण विज्ञान में २०, कम्प्यूटर विज्ञान में २० (बायोग्रुप में २०, कम्प्यूटर विज्ञान में २० सीटें स्ववित्त पोषित), भू–विज्ञान में ४० एवं सांख्यिकी में अधिकतम प्रवेश क्षमता ६० होगी।

(iv) विज्ञान वर्ग में न्यूनतम प्रवेश योग्यता सभी विषयों में मिलाकर ५० प्रतिशत अंक है किन्तु योग्यता वरीयता क्रम का निर्धारण केवल विज्ञान के विषयों में प्राप्त अंकों के जोड़ के आधार पर होगा।

२. द्वितीय वर्ष

अनिवार्य विषय – (i) सामान्य अंग्रेजी (ii) एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन

द्वितीय वर्ष में वे ही वर्ग चालू रहेंगे जिनका नियमित अध्यापन वर्ष २००६–२०१० के प्रथम वर्ष में किया गया हो।

टिप्पणी :

द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय छात्र चाहे तो एक वैकल्पिक विषय का परिवर्तन कर सकता है। यदि उसके द्वारा चुने गये वर्ग का उस महाविद्यालय में नियमित अध्यापन किया जा रहा है। परन्तु प्रथम वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी ही विषय परिवर्तन के लिए योग्य समझे जायेंगे। परिवर्तित विषय में प्रथम वर्ष के नियमित अध्यापन की सुविधा छात्र को प्रदान नहीं की जा सकेगी। इस परिवर्तित विषय में प्रथम वर्ष की आगामी नियमित परीक्षा के साथ उत्तीर्ण करना छात्र की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं करने पर छात्र के तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

उपरोक्त नियम सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर ही लागू होगा। प्रवेश वरीयता क्रम से होगा तथा उस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत से कम अंक न हो।

3. तृतीय वर्ष

तृतीय वर्ष में वे ही वर्ग चालू रहेंगे जिनका नियमित अध्यापन वर्ष २००६–२०१० के द्वितीय वर्ष में किया गया हो।

3. स्नातकोत्तर उपाधि (M.Sc.) – (द्वि–वर्षीय पाठ्यक्रम)

(क) विज्ञान स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध की निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण उपलब्ध है –

1. वनस्पति विज्ञान	2. रसायन विज्ञान	3. गणित	4. भौतिक विज्ञान
5. प्राणी विज्ञान	6. भू–विज्ञान	7. सांख्यिकी	8. पर्यावरण विज्ञान
9. जैव तकनीकी	10. इलेक्ट्रोनिक्स (विस्तृत सूचना भौतिक विज्ञान विभाग से प्राप्त करें)		
11. कम्प्यूटर विज्ञान	12. पोलिमर विज्ञान	13. सूचना प्रौद्योगिकी	
14. जियोइन्फोरमेटिक्स एण्ड रिमोट सेन्सिंग		15. औद्योगिक रसायन शास्त्र	
16. भैषजिक (फार्मा) विज्ञान			

(ख) एमश्एससीश टेक अनुप्रयुक्त भू–विज्ञान (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

(ग) M.Sc. (Tech.) Nanoscience and Nano-technology

(घ) स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) कक्षा के विशिष्ट प्रश्न–पत्र निम्न विषयों में से चुनने होंगे।

वनस्पति विज्ञान (Botany)

समूह (क) आवृतबीजियों की प्रगत वर्गिकी	समूह (ख) प्रगत पादक ऊतक संवर्धन
समूह (ग) पर्यावरण जीव विज्ञान	समूह (घ) प्रगत पौध वि□ति विज्ञान
समूह (ङ) प्रगत ब्रायोफॉयटा विज्ञान	समूह (च) प्रगत शैवाल विज्ञान

जैव तकनीकी (Biotechnology)

Applied Plant Biotechnology

रसायन विज्ञान (Chemistry)

(अ) अकार्बनिक	(1) कार्बसंक्रमण तत्व, जैव अकार्बनिक एवं अतिअणु रसायन
	(2) प्रकाश अकार्बनिक एवं अकार्बनिक बहुलक
(ब) कार्बनिक	(1) कार्बनिक रसायन विज्ञान की नवीनतम छवि
	(2) विषम चक्रीय एवं प्राकृतिक उत्पादों की रसायन

(स) भौतिक (1) भौतिक कार्बनिक एवं पृष्ठ रसायन
(2) प्रकाश रसायन एवं अति आण्विक तथा वृद्धचक्रीय योगिकों की रसायन

(द) वैश्लेषिक (1) विद्युत वैश्लेषिक एवं पृथक्करण विधियाँ
(2) वैश्लेषिक रसायन एवं स्पेक्ट्रमी विधियाँ

गणित (Mathematics)

1. गणितीय सांख्यिकी
2. अनुकूलतम तकनीकियाँ
3. सापेक्षता सिद्धान्त
4. वलय सिद्धान्त
5. श्यान द्रव गतिकी
6. संपीडिय द्रव एवं चुम्बकीय द्रव गतिकी
7. प्रगत टोपालॉजी
8. मॉड्यूल सिद्धान्त
9. फलन सिद्धान्त
10. संख्या सिद्धान्त
11. फोरियर रूपान्तरण एवं बंटन सिद्धान्त
12. डिस्क्रीट गणित
13. अभिकलन प्रोग्रामन
14. सतत् यांत्रिकी
15. खगोलीय विज्ञान

सांख्यिकी (Statistics)

1. अप्राचलिक अनुमिति एवं अनुक्रमिक विश्लेषण
2. अग्रगत सांख्यिकीय अनुमिति एवं विश्वसनीयता
3. गणितीय अर्थशास्त्र एवं अर्थमिति
4. आर्थिक सांख्यिकी एवं जन सांख्यिकी
5. प्रासंभाव्य प्रक्रम एवं सूचना सिद्धान्त
6. अग्रगत प्रतिचयन सिद्धान्त एवं अग्रगत प्रयोगों की अभिकल्पना
7. कम्प्यूटर–गहन सांख्यिकीय विधियाँ – क– ज्ञान खोज एवं आंकड़ों का खनन
8. कम्प्यूटन–गहन सांख्यिकीय विधियाँ – ख– सांख्यिकीय प्रतिरूप अभिज्ञान
9. उत्तरजीविता विश्लेषण एवं सांख्यिकीय एवं परिस्थिति विज्ञान
10. परियोजना कार्य, शोध – निबन्ध एवं साक्षात्कार

M.Sc. (P) Physics (Semester based two years course) 2010-11

M. Sc. (Semester-I)

Theory Papers

i. Mathematical Methods in Physics
ii. Classical Mechanics
iii. Quantum Mechanics-I
iv. Electronics

Practical

v. General Physics Laboratory
vi. Electronics Laboratory

M. Sc. (Semester-II)

Theroy Papers

i. Computational Methods in Physics
ii. Quantum Mechanics-II
iii. Statistical Mechanics
iv Electrodynamics

Practical

v. Laboratory Project
vi. Computational Physics Laboratory

M. Sc. (Semester-III)

Theory Papers

i. Atomic and Molecular Physics
ii. Solid State Physic
iii. Nuclear and Particle Physics

Practical

v. Modern Physics Laboratory
vi. Elective Laboratory

Elective Subject (Select one paper out of IVA-C)

IVA Plasma Physics
IVB Theoretical Methods in Condensed Matter Physics
IVC Radiation Physics

M. Sc. (Semester-I V)

Theory Papers

i. Experimental Techniques in Physics

Special paper-1 (select one out of IIA-C)

IIA Atmospheric Physics
IIB Condensed Matter Physics -I
IIC Microwave Electronics

Special paper-II (select one out of IIIA-D)

IIIA Ionospheric Physics
IIIB Astronomy and Astrophysics
IIIC Condensed Matter Physics- II
IIID Materials Science
IV Project

Practical

v. Specialization Lab -I
vi. Specialization Lab - II

भौतिक विज्ञान (Physics) वार्षिक प्रणाली

1. संचार इलेक्ट्रोनिकी एवं वायविकी
2. एडवान्स डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स
3. एक्स–किरण एवं नाभिकीय स्पेक्ट्रमी
4. समूह सिद्धान्त एवं अग्रगत ठोस अवस्था भौतिक विज्ञान
5. सापेक्षवाद एवं ब्रह्माण्ड विज्ञान
6. क्षेत्र सिद्धान्त

प्राणी विज्ञान (Zoology)

1. कोशिका जीव विज्ञान — दो प्रश्न पत्र
2. जलीय जीव एवं मत्स्य विज्ञान — दो प्रश्न पत्र

पर्यावरण विज्ञान (Environmental Sciences) – (पाठ्यक्रम के अनुसार)

विज्ञान निष्णात (बहुलक विज्ञान) M.Sc. (Polymer Science)

टिप्पणी : किसी स्नातकोत्तर प्रश्न–पत्र के अध्ययन को चालू रखने के लिए कम से कम ३ छात्र होने चाहिए।

Note : (i) Master of Computer Application : इस पाठ्यक्रम में आरक्षण का प्रावधान विश्वविद्यालय के नियमानुसार है।

(ii) M.Sc. (Polymer Science) : It is a technical course with wide scope in polymer industries, particularly rubber industries. Course to be covered included various papers on polymer production, characterisation, processing, application and management science. Besides, students are required to undergo an industrial training for 60 days in Rubber or Polymer Industry.

Candidate seeking admission to polymer science course should be a science graduate (with Chemistry as a subject) with atleast 50% aggregate marks in B.Sc. Admissions are made through an entrance test.

Note : Reservation for SC/ST/OBC are given on Page No. १०, ११ व १२ (ग) I-i, ii, iii, viii, ix, xi पृष्ठ १२, १३, व १४ i-x of the Information Bulletin.

(iii) Bachelor Course in Pharmacy (B.Pharm.)

A Four Year Degree Programme

1. No. of Seats : 40
2. Eligibility, Reservation, Admission Procedure, etc.

A candidate in order to be eligible for the Entrance Test (P.P.T.) must have the qualification laid down by the centralised Admissions Committee of Rajasthan State. Procedure for admission, reservation, Entrance Test are as per the rules framed by the same committee. Notification for admission, are published in local dailies comething in March-April of the respective session.

The session for this course usually begins once the admission procedure is completed. Enrolment forms are to be filled in within one month after the commencement of the classes. Identity cards & library cards will remain valid for one year from the date of

commencement of the classes. Caution money is refundable and can be claimed within one year after the declaration of result of B. Pharma Part-IV. In case of discontinuation of the course (subject to written request), the caution money is refundable within one year from the date of discontinuation. In absence of any clear rules, rules in the information bulletin will be followed.

(iv) M.Sc. in Electronics

For Details contact Department of Physics.

(v) M.Sc. Geoinformatics & Remote Sensing

Separate Information Bulletin can be obtained from the Department of Geology.

(vi) M.Sc. (Industrial Chemistry) is a two year Self-financing Scheme Course particularly designed for R & D requirements of chemical and pharmaceutical industries. 20 students are admitted every year through an entrance examination. For this course contact Course Director - Prof. A.K. Goswami

(vii). M.Sc. Microbiology

Department of Zoology, Mohanlal Sukhadia University will run M.Sc. Microbiology course for the session 2010-2012. This course will have four semesters of six months duration. The course will be run under Self-financing Scheme (SFS) Total seats for admission will be 20. Admissions will be made through an Entrance Test.

Microbiology is applied technical course with wide application in industries. The course covers basic and applied microbiology including food, medical, environmental and industrial microbiology. Besides students are required to carry out a project work and to undergo industrial training

Students who have passed B.Sc. in Zoology, Botany, Life Sciences, Bioscience, Biotechnology and Microbiology without / with honours with 50% aggregate marks (Pass Marks for SC/ST/OBC) in B.Sc. or equivalent are eligible to apply.

Application forms along with information booklet containing details can be obtained from the office of the Department of Zoology, University College of Science, Udaipur

4. विद्यावाचस्पति (Ph.D.)

विद्यावाचस्पति की उपाधि के लिए शोध–कार्य हेतु विद्यार्थियों को निम्न विभागों में सुविधाएँ उपलब्ध है–

1. वनस्पति विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. गणित
4. सांख्यिकी
5. भौतिक विज्ञान
6. प्राणी विज्ञान
7. भू–विज्ञान
8. फार्मास्युटिकल साइंसेज
9. पर्यावरण विज्ञान
10. जैव तकनीकी
11. पोलीमर साइंस

वनस्पति विज्ञान (Botany)

विभिन्न विभागों के शोध कार्य के क्षेत्र निम्नानुसार है –

१. भू–वनस्पति विज्ञान एवं जीव भू–रसायन विज्ञान
2. सरोवर विज्ञान
3. प्रदूषण
4. पारिस्थिति विज्ञान
5. ब्रायोफायटा
6. शैवाल विज्ञान
7. वर्गीकरण विज्ञान
8. शरीर क्रिया विज्ञान
9. पौध व्याधि विज्ञान
10. जैव तकनीकी
11. जैव अणु तकनीकी

रसायन विज्ञान (Chemistry)

1. रसायनिक वलगतिकी एवं अभिक्रिया क्रियाविधि

(अ) इलेक्ट्रॉन स्थानान्तरण अभिक्रिया – कार्बनिक एवं अकार्बनिक (ब) मिसेली प्रभाव

2. समन्वयी रसायन विज्ञान
3. विश्लेषिक रसायन विज्ञान
4. सांश्लेषिक कार्बनिक रसायन विज्ञान
5. एकक ऑक्सीजन की अभिक्रिया
6. सौर ऊर्जा संरक्षण
7. माइक्रोवेव द्वारा अभिक्रिया त्वरण
8. ध्वनि रसायन
9. कार्बनिक अर्द्धचालक
10. प्रकाश द्वारा प्रदूषण नियंत्रण

गणित (Mathematics)

1. सापेक्षता
2. विशिष्ट फलन
3. समाकलन ट्रांसफोर्म
4. वलय सिद्धान्त

भौतिक विज्ञान (Physics)

१. आयन मण्डली भौतिक विज्ञान एवं वायविकी
2. सैद्धान्तिक ठोस अवस्था भौतिक विज्ञान
3. मास बायर प्रभाव
4. नाभिकीय भौतिक विज्ञान
5. अतिसूक्ष्म अन्योन्य क्रिया अध्ययन 6.
6. कार्बनिक अर्द्धचालक गुणधर्म
7. नेनो टेक्नोलॉजी
8. काम्पटन प्रभाव के ठोस अवस्था विज्ञान में अनुप्रयोग
9. Non-Linear Physics
10. Experimental Solid State Physics
11. ब्रह्माण्ड विज्ञान

इलेक्ट्रोनिक्स (Electronics)

1. Computer Communication Networks
2. Telecommunication Networks
3. Satellite Communication and Image Analysis

सांख्यिकी (Statistics)

1. सांख्यिकी अनुमिति
2. संक्रिया विज्ञान
3. प्रतिदर्श सर्वेक्षण
4. जैव सांख्यिकी
5. अनुप्रयुक्त सांख्यिकी
6. आंकड़ों का खनन

प्राणी विज्ञान (Zoology)

1. उत्तम रसायन विज्ञान (कशेरू तंत्रिका एवं संवेग अंग)
2. परजीवी विज्ञान
3. जननात्मक जीव विज्ञान
4. जलीय जीव विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान
5. प्रदूषण का जीव पर प्रभाव

भू–विज्ञान (Geology)

1. अग्नये एवं विरिपति शैल विज्ञान (इगनियस एवं मेटामोर्फिक पेट्रोलोजी)
2. आर्थिक भू–विज्ञान (इकोनोमिक जिओलोजी)
3. रासायनिक भू–विज्ञान (जिओकेमिस्ट्री)
4. संरचनात्मक भू–विज्ञान एवं टेक्नोनिक्स (स्ट्रक्चरल जिओलोजी एवं टेक्नोनिक्स)
5. प्राग्जीव शास्त्र (सूक्ष्म प्राग्जीव शास्त्र सहित) पेलेइओन्टोलोजी (माइक्रो सहित)
6. खनिज शास्त्र एवं क्रिस्टल विज्ञान (मिनरोलोजी एवं क्रिस्टोलोग्राफी)
7. अवसादीय भू–विज्ञान / अवसादीय शैल विज्ञान (सेडीमेन्टोलोजी / सेडीमेन्टेरी पेट्रोलोजी)
8. खनन–भू विज्ञान एवं खनिज अन्वेषण (माइनिंग जिओलोजी एवं मिनरल एक्सप्लोरेशन)9. पर्यावरण–भू विज्ञान (इनवायरमेंटल जिओलोजी)

फार्मास्युटिकल साइंसेज (Pharmaceutical Sciences)

1. Pharmaceutics
2. Pharmaceutical Chemistry

पर्यावरण विज्ञान (Environmental Sciences)

1. Environmental Monitoring and Assessment
2. Ecosystem Analysis
3. Environmental Toxicology and Carcinogens
4. Vermiculture

पॉलीमर विज्ञान (Polymer Science)

1. Recycling of Polymers
2. Synthesis of Conducting Polymers

जैव तकनीकी (Biotechnology)

1. Plant Tissue Culture and Molecular Biology
2. Microbiology
3. Animal Biotechnology.

विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय, उदयपुर

University College of Commerce & Management Studies, Udaipur

प्राधिकारी

अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष	प्रो. डी. एस. चुण्डावत
सह–अधिष्ठाता	–
सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	डॉ. पी.के. सिंह
प्रॉक्टर	डॉ. अशोक नागर
पुस्तकालय प्रभारी	डॉ. रामकेश मीणा
कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	1. डॉ. मन्जू बाघमार 2. डॉ. ओ.पी. जैन
खेल प्रभारी	–

संकाय सदस्य

लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Accountancy and Statistics)

आचार्य	आर.एल. तम्बोली	पीएच.डी.
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	जी. सोरल	पीएच.डी.
सह आचार्य	बी.एल. हेड़ा	एम.कॉम.
सह आचार्य	सी.एम. जैन	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	ओ.पी. जैन	पीएच.डी.

व्यवसाय प्रशासन विभाग (Department of Business Administration)

आचार्य	कैलाश सोडाणी	पीएच.डी.
आचार्य	डी.एस. चुण्डावत	पीएच.डी.
आचार्य	विजय श्रीमाली	पीएच.डी.
सह आचार्य एंव विभागाध्यक्ष	श्रीमती राजेश्वरी नरेन्द्रन	पीएच.डी.
सह आचार्य	शिशुपाल सिंह भादू	पीएच.डी. (प्रतिनियुक्ति पर)
सहायक आचार्य	श्रीमती मंजू बाघमार	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	**बाबूलाल वर्मा**	**पीएचश्डीश**

बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग
(Department of Banking and Business Economics)

आचार्य	आई.वी. त्रिवेदी	पीएच.डी.
सह आचार्य	श्रीमती रेणु जटाना	पीएच.डी.
सह आचार्य	पी.के. सिंह	पीएच.डी.
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	मुकेश माथुर	पीएच.डी.
सह आचार्य	अशोक नागर	पीएच.डी.

मुख्य पाठ्यक्रम

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता
1.	बी.कॉम. (B.Com.)	पूर्व स्नातक / 10+2 / इन्टरमीडियेट / कला/विज्ञान/वाणिज्य	48%	तीन वर्ष	120
2.	एम.कॉम. (लेखा एवं सांख्यिकी) M.Com. (Accountancy & Statistics)	बी.कॉम. / बी.बी.एम. / (10+2+3)	48%	दो वर्ष	50
3.	एम.कॉम. (व्यवसाय प्रशासन) M.Com. (Business Administration)	किसी भी संकाय में स्नातक (10+2+3)	48%	दो वर्ष	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	एम.कॉम. **(बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र)** M.Com. (Banking & Business Economics)	किसी भी संकाय में स्नातक / (१०+२+३)	४८%	**दो वर्ष**	५०
5.	एम.फिल. **(लेखा एवं सांख्यिकी)** M.Phil. (Accountancy & Statistics)	एम.कॉम. **(लेखा एवं सांख्यिकी)**	५५%**	**एक वर्ष**	५+२
6.	एम.फिल. **(व्यवसाय प्रशासन)** M.Phil. (Business Administration)	एम.कॉम. **(व्यवसाय प्रशासन)**	५५%**	**एक वर्ष**	५+२
7.	एम.फिल. **(बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र)** M.Phil. (Banking & Business Economics)	एम.कॉम. **(बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र)**	५५%**	**एक वर्ष**	५+२
8.	विद्यावाचस्पति (Ph.D.)	**एमश्कॉमश**	५५%**	**न्यूनतम दो वर्ष**	**शोध निर्देशकों की उपलब्धता के आधार पर**

नोट :– एम.कॉम. लेखा सांख्यिकी, व्यवसाय प्रशासन, बैकिंग एवंम व्यावसायिक अर्थशास्त्र, विषयों में सेमेस्टर प्रणाली संघटक महाविद्यालय में ही लागू रहेगी ।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	पाठ्यक्रम शुल्क (रु.)
स्नातक उपाधि						
1.	बी.कॉम. (B.Com.)	पूर्व स्नातक / 10+2 / इन्टरमीडियेट/कला/ विज्ञान/वाणिज्य	४८%	तीन वर्ष	१२०	७००० + Local Fund
2.	बी.बी.एम. (B.B.M.)	किसी भी संकाय में १०+२ (प्रवेश परीक्षा द्वारा)	५०%	तीन वर्ष	५०+१०	15000
					पेमेट सीट	30000
				NRI सीट (प्रवेश परीक्षा से छूट)		४५०००
3.	बी.टी.एम. (B.T.M.)	किसी भी संकाय में १०+२ (प्रवेश परीक्षा द्वारा)	५०%	तीन वर्ष	४०+१०	15000
					पेमेट सीट	30000
				NRI सीट (प्रवेश परीक्षा से छूट)		४५०००
स्नातकोत्तर उपाधि						
4.	मास्टर ऑफ फाइनेन्स एण्ड कन्ट्रोल (Master of Finance & Control)	किसी भी संकाय में स्नातक (प्रवेश परीक्षा द्वारा)	४८%	दो वर्ष	३०+५	15000
५श	मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेन्ट (Master of Human Resource Management)	किसी भी संकाय में स्नातक (प्रवेश परीक्षा द्वारा)	४८%	दो वर्ष NRI सीट	३०+१०	15000
					Part - I	60000
					Part - II	15000
6.	मास्टर ऑफ रीटेल मैनेजमेन्ट (Master of Retail Management)	किसी भी संकाय में स्नातक (प्रवेश परीक्षा द्वारा)	४८%	दो वर्ष	३०+५	15000

7.	मास्टर ऑफ बैंकिंग एण्ड इंश्योरेन्स (Master of Banking & Insurance)	किसी भी संकाय में स्नातक (प्रवेश परीक्षा द्वारा)	४८%	दो वर्ष	३०+५	15000
8.	मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस (Master of International Business)	किसी भी संकाय में स्नातक (प्रवेश परीक्षा द्वारा)	४८%	दो वर्ष	३०+३०	15000

अंशकालीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा

9.	पी.जी. डिप्लोमा इन कॉस्ट एण्ड मैनेजमेंट अकाउन्टिंग (P.G. Dip. in Cost and Management Accounting)	किसी भी संकाय में स्नातक	४८%	एक वर्ष	३०+५	9000
10.	पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सेशन (P.G. Dip. in Taxation)	किसी भी संकाय में स्नातक	४८%	एक वर्ष	३०+५	9000
11.	पी.जी. डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस (P.G. Dip. in International Business)	किसी भी संकाय में स्नातक	४८%	एक वर्ष	३०+५	9000
12.	पी.जी. डिप्लोमा उद्यमशीलता विकास (P.G. Dip. in Entreneurship Development)	किसी भी संकाय में स्नातक	५८%	एक वर्ष	३०+५ (०५–स्ववित्व पोषित सीट)	Rs. 9000/– Rs. 15000/–
13.	पी.जी. डिप्लोमा इन ई–बैकिंग (P.G. Dip. in E-Banking	किसी भी संकाय में स्नातक	४५%	एक वर्ष	३०+५ (०५–स्ववित्व पोषित सीट)	Rs. 9000/- Rs. 16000/–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	पाठ्यक्रम शुल्क (रु.)
एड–ऑन पाठ्यक्रम (Add-On Course)						
12.	प्रेक्टिकल फाइनेन्शियल अकाउन्टिंग (Practical Financial/Accounting)	ऐच्छिक (नियमित विद्यार्थी हेतु अतिरिक्त विषय के रूप में)				1000

* अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीय क्रम से प्रवेश।

** अजा व जजा हेतु ५० प्रतिशत अंक पर (एमशफिलश व विद्यावाचस्पति हेतु)।

नोट : पाठ्यक्रम शुल्क स्थानीय शुल्क एवं विश्वविद्यालय के अन्य शुल्कों के अतिरिक्त है। पेमेन्ट सीट का शुल्क यहां नहीं दर्शाया गया है।

विभिन्न स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अधिकारी

क्रश्संश	पाठ्यक्रम	अधिकारी
1.	बी. कॉम	अधिष्ठाता
1.	बी.बी.एम.	अधिष्ठाता
2.	बी.टी.एम.	अधिष्ठाता
3.	मास्टर ऑफ फाइनेन्स एण्ड कंट्रोल (M.F.C.)	प्रो. जी. सोरल
4.	मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मेनेजमेन्ट (M.H.R.M.)	प्रो. डी.एस. चुण्डावत
5.	मास्टर ऑफ रीटेल मैनेजमेन्ट (M.R.M.)	प्रो. कैलाश सोडाणी
6.	मास्टर ऑफ बैंकिंग एण्ड इंश्योरेन्स (M.B.I.)	डॉ. पी.के. सिंह
7.	मास्टर ऑफ इन्टरनेशनल बिजनेस (M.I.B.)	प्रो. आई.वी. त्रिवेदी
8.	पी.जी. डिप्लोमा इन कॉस्ट एण्ड मैनेजमेन्ट अकाउन्टिंग (P.G.D.C.M.A.)	प्रो. आर.एल. तम्बोली
9.	पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सेशन (P.G.D.T.)	डॉ. सी.एम. जैन
10.	पी.जी. डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस (P.G.D.I.B.)	डॉ. रेणु जटाना
11.	पी.जी. डिप्लोमा इन उद्यमशीलता विकास	राजेश्वरी नरेन्द्रन
12.	एड–ऑन पाठ्यक्रम : प्रेक्टिकल फाइनेन्शियल अकाउन्टिंग	श्री बी.एल. हेड़ा

इन पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रबन्ध अध्ययन संकाय

(Faculty of Management Studies)

प्राधिकारी

निदेशक एवं संकायाध्यक्ष	प्रो. करूणेश सक्सेना	पीएच.डी.
कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	डॉ. हनुमान प्रसाद	पीएच.डी.

संकाय सदस्य (Faculty Members)

आचार्य	पी.के. जैन	पीएच.डी.
आचार्य	करूणेश सक्सेना	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	अनिल कुमार कोठारी	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	हनुमान प्रसाद	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती मीरा माथुर	पीएच.डी.
सहायक आचार्य (होटल प्रबन्ध)	अशोक सिंह राठौड़	पीएच.डी.(प्रतिनियुक्ति पर)

मुख्य पाठ्यक्रम

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	पाठ्यक्रम शुल्क (रु.)
1.	व्यवसाय प्रबन्ध निष्णात (M.B.A.)	किसी भी संकाय में स्नातक (१०+२+३)	५०%	दो वर्ष	६०	

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

2.	एम.बी.ए. फाइनेंसियल सर्विसेज मैनेजमेन्ट M.B.A. Financial Services Management	किसी भी संकाय में स्नातक (१०+२+३)	५०%**	दो वर्ष	६०	(५१ सीट) ७५००० प्रश्वश (६ सीट) US$ 4500 अथवा भारतीय मुद्रा के समतुल्य

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	पाठ्यक्रम शुल्क (रु.)
3.	पर्यटन प्रबन्ध निष्णात (M.T.M.)	किसी भी संकाय में स्नातक (१०+२+३)	४८%***	दो वर्ष	३३	(३० सीट) १५००० प्रश्वश (३ सीट) US$ 1100 अथवा भारतीय मुद्रा के समतुल्य
4.	विद्यावाचस्पति एम.बी.ए. (Ph.D.)	एवं संबंधित विषय	५५%	न्यूनतम दो वर्ष		शोध निर्देशकों की उपलब्धता के आधार पर

* आरमेट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण नीति के अनुसार।

** विश्वविद्यालय की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु अर्हता न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होंगे।

*** विश्वविद्यालय की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु अर्हता न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होंगे। साथ ही संकाय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में भी इन वर्गों के लिए विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के आधार पर वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

पाठ्यक्रम समन्वयक

एम.बी.ए. फाइनेन्सियल सर्विसेज मैनेजमेन्ट – डॉ. अनिल कोठारी

विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर

University College of Social Sciences and Humanities, Udaipur

प्राधिकारी

अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान	प्रो. अंजू कोहली
संकायाध्यक्ष – मानविकी	प्रो. शरद श्रीवास्तव
सह–अधिष्ठाता	प्रो. फरीदा शाह
सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	डॉ. दिग्विजय भटनागर
प्रॉक्टर	डॉ. एम. एस. राठौड़
खेल प्रभारी	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान
कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	1. डॉ. मीनाक्षी जैन 2. डॉ. आई.एम. कायमखानी

संकाय सदस्य

अंग्रेजी विभाग (Department of English)

आचार्य	शरद श्रीवास्तव	पीएच.डी.
सह आचार्य	श्रीमती नफीसा हातमी	पीएच.डी.
सह आचार्य	आशुतोष मोहन	पीएच.डी. (अवकाश पर)
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	श्रीमती सीमा मलिक	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती मीनाक्षी जैन	पीएच.डी.

हिन्दी विभाग (Department of Hindi)

सहायक आचार्य एवं प्रभारी	नीतू परिहार	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	नवीन कुमार नंदवाना	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	आशीष सिसोदिया	पीएच.डी.

राजस्थानी विभाग (Department of Rajasthani)

संस्कृत विभाग (Department of Sanskrit)

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	सुश्री हेमलता बोलिया	पीएच.डी.
सह आचार्य	श्रीमती कुसुम चौधरी	पीएच.डी.

जैनविद्या एवं प्राभत विभाग (Department of Jainology & Prakrit)

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	एच.सी. जैन	पीएच.डी.

उर्दू विभाग (Department of Urdu)

सहायक आचार्य एवं प्रभारी	रईस अहमद	पीएच.डी.

इतिहास विभाग (Department of History)

सह आचार्य	श्रीमती मीना गौड़	पीएच.डी.
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	श्रीमती दिग्विजय भटनागर	पीएच.डी.

दर्शनशास्त्र विभाग (Department of Philosophy)

आचार्य	एस.आर. व्यास	पीएच.डी.
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	सुश्री निर्मला जैन	पीएच.डी.

दृश्यकला विभाग (Department of Visual Arts)

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	हेमन्त द्विवेदी	पीएच.डी.
सह आचार्य	मदनसिंह राठौड़	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	डी.वी. वशिष्ठ	पीएच.डी.

अर्थशास्त्र विभाग (Department of Economics)

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	श्रीमती अंजू कोहली	पीएच.डी.
आचार्य	श्रीमती फरीदा शाह	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती अरूण प्रभा चौधरी	पीएच.डी.

राजनीति विज्ञान विभाग (Department of Political Science)

आचार्य	श्रीमती जेनब बानू	पीएच.डी.
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	संजय लोढ़ा	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	जी.एस. कुम्पावत	पीएच.डी.

लोक–प्रशासन (Public Administration)

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	सी.आर. सुथार	पीएच.डी.

भूगोल विभाग (Department of Geography)

आचार्य	श्रीमती हेमलता जोशी	पीएच.डी. (अवकाश पर)
आचार्य	एल.सी. खत्री	पीएच.डी., पी.जी.डी.जे.
आचार्य	श्रीमती साधना कोठारी	पीएच.डी.
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	एन.एस. राठौड़	पीएच.डी.
सह आचार्य	इशाक मोहम्मद कायमखानी	पीएच.डी.

समाजशास्त्र विभाग (Department of Sociology)

सह आचार्य	बलबीर सिंह	पीएच.डी., एलएल.बी.
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	श्रीमती मोनिका नागौरी	पीएच.डी.

मनोविज्ञान विभाग (Department of Psychology)

आचार्य	सी.पी. जोशी	पीएच.डी. (अवकाश पर)
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	श्रीमती विजया लक्ष्मी चौहान	पीएच.डी.

पुस्तकालय विज्ञान विभाग (Department of Library Science)

सहायक आचार्य एवं प्रभारी	टी.डी. तिलवानी	पीएच.डी.

संगीत विभाग (Department of Music)

महिला अध्ययन केन्द्र (Centre for Women's Studies)

निदेशक	श्रीमती विजया लक्ष्मी चौहान	पीएचश्डीश

स्नातकोत्तर पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम (P.G. Diploma in Journalism)

समन्वयक	प्रो. जैनब बानू	पीएच.डी.

भाषा प्रयोगशाला (Language Laboratory)

मानद् निदेशक	श्रीमती सीमा मलिक	पीएच.डी.

जनसंख्या अध्ययन में डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम

निदेशक	श्रीमती मोनिका नागौरी	पीएच.डी.

विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन
(University Employment & Advisory Bureau)

निदेशक	एन.एस. राठौड़	पीएच.डी.

मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र (Centre for Human Rights Studies)

समन्वयक	प्रो. अंजू कोहली	पीएच.डी.

बौद्ध अध्ययन एवं अहिंसा केन्द्र (Centre for Buddhist Studies & Non-Violence)

निदेशक	एच.सी. जैन	पीएच.डी.

कम्प्यूटर एप्लीकेशन केन्द्र (Centre for Computer Application)

समन्वयक	प्रो. अन्जू कोहली	पीएच.डी.

रेमेडियल कोचिंग केन्द्र (Remedial Coaching Centre)

समन्वयक	एल.सी. खत्री	पीएच.डी.

प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (Competitive Examination Coaching Centre)

समन्वयक	संजय लोढ़ा	पीएच.डी.

प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र – अनु.जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. एवं माइनोरीटीज हेतु
(Competitive Examination Coaching Centre for SC, OBC and Minorities)

समन्वयक	इशाक मोहम्मद कायमखानी	पीएच.डी.

शारीरिक शिक्षा में निष्णात (Master of Physical Education)

अध्यक्ष	एस. आर. व्यास	पीएच.डी.

योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा संचालित)
P.G. Diploma in Yog Education (University Sports Board)

समन्वयक	दीपेन्द्र सिंह चौहान	पीएच.डी.

I. मुख्य पाठ्यक्रम

कला स्नातक (B.A.)

	1. पाठ्यक्रम	2. प्रवेश पात्रता	3. अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	4. पाठ्यक्रम की अवधि	5.प्रवेश क्षमता
1.	कला स्नातक (B.A.)	पूर्व स्नातक / 10+2 / इन्टर / कला/विज्ञान/वाणिज्य	४८%	तीन वर्ष	४००
2.	कला ऑनर्स स्नातक B.A. Honours	पूर्व स्नातक/१०+२/इन्टर कला/विज्ञान/वाणिज्य	50%	तीन वर्ष	
	संस□त – Sanskrit	,,	,,	,,	६०
	राजनीति शास्त्र – Pol. Sc.	,,	,,	,,	६०
	अर्थशास्त्र – Economics	,,	,,	,,	६०
	अंग्रेजी – English	,,	,,	,,	६०
	इतिहास – History	,,	,,	,,	६०
	समाजशास्त्र – Sociology	,,	,,	,,	६०
3.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक (B.Lib. & Inf.Sc.)	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	५० सामान्य सीट रू.६०००/– ५ पेमेन्ट सीट १२,०००/– प्रश्वश + Local Fund
4.	कला निष्णात (M.A.) अर्थशास्त्र	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48%	दो वर्ष (ऐच्छिक विषय)	४०
5.	कला निष्णात (M.A.) राजनीति विज्ञान	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48%	दो वर्ष (ऐच्छिक विषय)	४०
6.	कला निष्णात (M.A.) लोक प्रशासन	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48%	दो वर्ष (ऐच्छिक विषय)	४०
7.	कला निष्णात (M.A.) समाजशास्त्र	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48%	दो वर्ष (ऐच्छिक विषय)	४०
8.	कला निष्णात (M.A.) भूगोल	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48%	दो वर्ष (ऐच्छिक विषय)	४०

१श पाठ्यक्रम	२श प्रवेश पात्रता	3* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	४श पाठ्यक्रम की अवधि	५श प्रवेश क्षमता
9. कला निष्णात (M.A.) मनोविज्ञान	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	२०
10. कला निष्णात (M.A.) संस्भत साहित्य	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	४०
11. कला निष्णात (M.A.) प्राभत साहित्य	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	४०
12. कला निष्णात (M.A.) हिन्दी साहित्य	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	४०
13. कला निष्णात (M.A.) राजस्थानी साहित्य	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	४०
14. कला निष्णात (M.A.) उर्दू साहित्य	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	४०
15. कला निष्णात (M.A.) अंग्रेजी साहित्य	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	४०
16. कला निष्णात (M.A.) चित्रकला	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	१२
17. कला निष्णात (M.A.) इतिहास	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	४०
18. कला निष्णात (M.A.) दर्शनशास्त्र	स्नातक उपाधि (१०+२+३)	48% (ऐच्छिक विषय)	दो वर्ष	४०

१श पाठ्यक्रम	२श प्रवेश पात्रता	3* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	४श पाठ्यक्रम की अवधि	५श्प्रवेश क्षमता
19. एम.फिल. अर्थशास्त्र	कला निष्णात (अर्थशास्त्र)	55%**	एक वर्ष	***
20. एम.फिल. राजनीति विज्ञान	कला निष्णात (राजनीति विज्ञान)	55%**	एक वर्ष	***
21. एम.फिल. भूगोल	कला निष्णात (भूगोल)	55%**	एक वर्ष	***
22. एम.फिल. मनोविज्ञान	कला निष्णात (मनोविज्ञान)	55%**	एक वर्ष	***
23. एम.फिल. संस्भत साहित्य	कला निष्णात (संस्भत)	55%**	एक वर्ष	***
24. एम.फिल. प्राभत साहित्य	कला निष्णात (प्राभत)	55%**	एक वर्ष	***
25. एम.फिल. हिन्दी साहित्य	कला निष्णात (हिन्दी)	55%**	एक वर्ष	***
26. एम.फिल. उर्दू साहित्य	कला निष्णात (उर्दू)	55%**	एक वर्ष	***
27. एम.फिल. अंग्रेजी साहित्य	कला निष्णात (अंग्रेजी)	55%**	एक वर्ष	***
28. एम.फिल. इतिहास	कला निष्णात (इतिहास)	55%**	एक वर्ष	***
29. एम.फिल. समाजशास्त्र	कला निष्णात (समाजशास्त्र)	55%**	एक वर्ष	***
30. एम.फिल. दर्शनशास्त्र	कला निष्णात (दर्शनशास्त्र)	55%**	एक वर्ष	***
31. एम.फिल. राजस्थानी	कला निष्णात (दर्शनशास्त्र)	55%**	एक वर्ष	***
32. विद्यावाचस्पति	एम.ए.	55%**	दो वर्ष	शोध निर्देशकों की उपलब्धता के आधार पर

* अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

** एम.फिल. व विद्यावाचस्पति में अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु 50%अंक।

- प्रति संकाय सदस्य तीन छात्र।

II. पूर्णकालीन डिप्लोमा (नियमित) पाठ्यक्रम
(Full-Time Regular Diploma Course)

१श	पाठ्यक्रम	२श प्रवेश पात्रता	3* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	४श पाठ्यक्रम की अवधि	५श प्रवेश क्षमता
१	डिप्लोमा इन फैशन मरकेन्डाइजिंग एण्ड रेडिमेड गारमेन्टस् Dip. in Fashion Mercandising & Readymade Garments	१०+२	45%	एक वर्ष	२०
२	डिप्लोमा इन टेक्सटाईल डिजाइनिंग Diploma in Textile Designing	१०+२	45%	एक वर्ष	२०
३	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता (P.G. Diploma in Journalism)	स्नातक/१०+२+३	45%	एक वर्ष	३०

III. पूर्णकालीन स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रम
(Full-Time Self-Sufficient Courses)

	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	शुल्क**
A.	**स्नातक उपाधि**					

	बेचलर ऑफ दृश्य कला (Bachelor of Visual Arts)	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य (१०+२+३)	48%	चार वर्ष	२०	रुश्१००००/– प्रश्वश

	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	शुल्क**
B.	**स्नातकोत्तर उपाधि**					
२श	कला निष्णात (कंठ संगीत) M.A. (Vocal Music)	स्नातक (१०+२+३)	48%	दो वर्ष	२०	रुश्५०००/– प्रश्वश
३श	स्नातकोत्तर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (M.Lib & Inf.Sc.)	स्नातक (१०+२+३) एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नात्तक उपाधि	45%	एक वर्ष	१५ सामान्य सीट ५ पेमेन्ट सीट	रूश्१००००+ Local Fund & रुश १८००० + L.F.
4.	शारीरिक शिक्षा में निष्णात (M.P.Ed)	स्नातक (१०+२+३) या शाश्शि में पीश्जीश डिप्लोमा	45%	दो वर्ष	३०	रुश ३०,००० प्रश्वश
C.	**स्नातकोत्तर डिप्लोमा**					
५श	जनसंख्या अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PG Dip. Course in Population Studies	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	३०	रुश्५०००/– प्रश्वश
६श	योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (P.G. Diploma in Yoga Education)	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य (१०+२+३)	45%	एक वर्ष	३०+१० (१० स्ववित्त पोषित सीट)	रुश्११०००/– १६०००/– प्रश्वश
७श	P.G. Diploma in Remote Sensing and Geographical Information System	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	50%	एक वर्ष	२०	रुश्१५०००/– प्रश्वश + रुश्१००००/– लेब फीस

	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	शुल्क**
८श	व्यवसायिक परामर्श एवं मनोचिकित्सा में पीश्जीश डिप्लोमा P.G. Dip. in Counseling & Psychotherapy	स्नात्तकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, सोशियल वर्क, एमबीबीएस/बीएचएमएस/बीएएमएस	४८%	6 माह	१५+५ (५ स्ववित्त पोषित सीट)	रूश १५०००/– रूश २५०००/–
९श	मनोवैज्ञानिक परिक्षण मे पीश्जीश डिप्लोमा P.G. Dip. in Psychological Testing	स्नोत्तकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, सोशियल वर्क, एमबीबीएस/बीएचएमएस/बीएएमएस	४८%	6 माह	१५+५ (५ स्ववित्त पोषित सीट)	रूश १५०००/– रूश २५०००/–
१०श	वित्तीय बाजार में में डिप्लोमा Dip. in Financial Market	किसी भी संकाय में स्नातक	४८%	एक वर्ष	३०	रूश ७०००/– + Local Fund
११श	पूंजी बाजार में डिप्लोमा Dip. in Capital Marketing	किसी भी संकाय में स्नातक	४८%	एक वर्ष	३०	रूश ७०००/– + Local Fund

IV. स्व–वित्त पोषित (अंशकालीन) पाठ्यक्रम
Self-Sufficient Courses (Part-Time)

	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	शुल्क**
१.	P.G. Diploma in Good Governance and Democratic Decentralization	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य (१०+२+३)	45%	एक वर्ष	२०	रु.५,०००/– प्रति वर्ष + Local Fund
२.	P.G. Diploma in Heritage, Tourism and Museology	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य (१०+२+३)	45%	एक वर्ष	२०	रु.८,०००/– प्रति वर्ष + Local Fund
३.	P.G. Diploma Course in The Thought & Contribution of Jawaharlal Nehru	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य (१०+२+३)	45%	एक वर्ष	२०	Only Local Fund Fees
४.	Diploma in Community Health Economics	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य (१०+२+३)	45%	एक वर्ष	३०	रु.५,०००/– प्रति वर्ष + Local Fund
५.	Diploma in Environmental Economics	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य (१०+२+३)	45%	एक वर्ष	३०	रु.५,०००/– प्रति वर्ष + Local Fund
६.	मानवाधिकार में डिप्लोमा Diploma in Human Rights	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य (१०+२+३)	45%	एक वर्ष	२०	रु.५,०००/– प्रति वर्ष + Local Fund
७.	पालि, बौद्ध एवं अहिंसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम Diploma in Pali, Buddhism & Non-Violence.	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य (१०+२+३)	45%	एक वर्ष	३०	रु.५,०००/– प्रति वर्ष + Local Fund

V. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम
(Certificate Courses)

	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	शुल्क**
१श	अंग्रेजी भाषा प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम Certificate Course in English Language	इंटर (१०+२)	45%	एक वर्ष	६०	At Par with First Year Arts
२श	जनसंख्या एवं परिवार कल्याण प्रमाण–पत्रीय पाठ्यक्रम Certificate Course in Population and Family Welfare Studies	स्नातक (१०+२+३)	45%	छः माह	६०	रु३५०००/– p.a.
३श	श्रमण परम्परा और सम–सामयिक मूल्य प्रमाण–पत्रीय पाठ्यक्रम Certificate Course in Shramana Tradition & Contemporary Values	इंटर (१०+२)	45%	एक वर्ष	६०	Rs.5000/- p.a.
४श	Certificate Course in WEB Journalism	स्नातक (१०+२+३)	45%	एक वर्ष		Rs.3000/- p.a.
५श	Certificate Course in Yog Training	इंटर (१०+२)	33%	छः माह	४०+१०***	Rs.5000/- p.a.
६श	Certificate Course on Nehru's Thought, Contribution and Relevance	स्नातक (१०+२+३)		एक वर्ष	२०	Local Fund Fee

* अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

** In addition to local fund fee.

*** विदेशी छात्रें के लिये।

सूचना : *पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों के साथ प्रवेश नहीं दिया जायेगा।*

टिप्पणी :

१॰ (i) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान **निष्णात सांख्यिकी** (M.A./M.Sc. Statistics) **पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जायेंगे।**

(ii) **सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रें के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी** (M.A./M.Sc. Statistics) **के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रें को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जायेगा, जिन्होंने बीश्एश्/बीश्एससीश् स्नातक उपाधि एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।**

२॰ ऑनर्स पाठ्यक्रम में कम से कम पांच विद्यार्थियों का प्रवेश होना आवश्यक है।

३॰ विशेष आरक्षण :**

(i) पुस्तकालय विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु आठ स्थान सुरक्षित है। इनमें प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जायेगा। इस श्रेणी में केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतनिक पूरा किया है। विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिये जायेंगे कि अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करेंगे। एक स्थान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके लिए प्रार्थना पत्र किसी साधिकार अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

(ii) पुस्तकालय विज्ञान स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु पांच स्थान आरक्षित है। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जायेगा। इस श्रेणी में उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतनिक पूरा किया है। पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिये जायेंगे कि कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करना होगा।

(iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा में ४२% प्राप्तांक रखी गई है।

४श ओपन स्कूल की १०+२+३ की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु योग्य माने जायेंगे, यदि वे उक्त परीक्षा में पांच विषयों में उत्तीर्ण होंगे एवं न्यूनतम अर्हक योग्यता रखते हों।

५श माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में व्यवसायिक पाठ्यक्रम (१०+२) के उत्तीर्ण विद्यार्थी केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के योग्य होंगे। प्रवेश के समय उनके कुल प्राप्तांकों में से सैद्धान्तिक एवं सैद्धान्तिक सत्रंक का योग करते हुए उन्हें वरीयता में सम्मिलित किया जायेगा।

(क) प्रथम वर्ष कला २०११ परीक्षा के लिए

अनिवार्य विषय : १श सामान्य हिन्दी २श पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय : निम्नलिखित विषयों में से केवल तीन विषयों का चयन करना होगा। एक वर्ग में से एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकता। कोष्ठक में विषयवार उपलब्ध स्थान अंकित है।

वर्ग : 1. अर्थशास्त्र (120)/संस्भत साहित्य (60)/संगीत (20)/सिंधी (20)

2. भूगोल (120)/राजस्थानी साहित्य (30)/दर्शनशास्त्र (30)/महिला अध्ययन (30)

3. राजनीति विज्ञान (120)/उर्दू साहित्य (30)/चित्रकला (20)/सांख्यिकी/जनसंख्या अध्ययन (20)

4. मनोविज्ञान (25)/प्राभत साहित्य (30)/इतिहास (120)/वन संसाधन एवं उनके उपयोग

5. लोक प्रशासन (60)/हिन्दी साहित्य (120)/गृह विज्ञान/ग्रामीण विकास एवं विस्तार/प्रयोजनमूलक हिन्दी (फंक्शनल हिन्दी)

6. समाजशास्त्र (120)/अंग्रेजी साहित्य (60)/गणित

टिप्पणियाँ :

(i) विद्यार्थी द्वारा कुल ३ विषयों का चयन किया जाना है। उपर्युक्त वर्गों में से एक वर्ग में एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकेगा।

(ii) (क) नियमित विद्यार्थी दो से अधिक प्रयोगशाला के विषय नहीं ले सकेगा।

(ख) प्रयोगशाला के संचालित विषय है – संगीत, भूगोल, चित्रकला एवं मनोविज्ञान।

(iii) दो साहित्य से अधिक साहित्य विषय नहीं चुने जा सकते हैं।

(iv) कला महाविद्यालय, उदयपुर में सांख्यिकी, वन संसाधन एवं उनके उपयोग, ग्रामीण विकास एवं विस्तार, गृह विज्ञान, गणित, सिंधी, जनसंख्या अध्ययन और महिला अध्ययन विषय के शिक्षण की वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। अतः विद्यार्थी इन विषयों को छोड़कर अपने विषय चुनें।

(v) चुने गये तीन विषयों में भी प्रवेश योग्यता क्रम एवं विषय के निर्धारित स्थानों के अनुसार देय होगा। अन्तिम प्रवेश सूची में उल्लिखित विषय ही स्वीभत माने जायेंगे।

(vi) मनोविज्ञान विषय लेने वाले विद्यार्थी वर्ग ४ के अतिरिक्त वर्ग ५ के विषय भी नहीं ले सकेंगे।

(ख) द्वितीय वर्ष कला २०११ के लिए

अनिवार्य विषय : (i) सामान्य अंग्रेजी

(i) ऐलिमेन्ट्री कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन

ऐच्छिक विषय : प्रथम वर्ष कला २०१० में लिये गये विषय

(i) द्वितीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के समय नियमित विद्यार्थी चाहे तो एक वैकल्पिक विषय का परिवर्तन कर सकता है, यदि वह प्रथम वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण है तथा उसके द्वारा चुने गये वर्ग का विषय उस महाविद्यालय में नियमित अध्यापन किया जा रहा है। नया चुना हुआ विषय इस वर्ष के लिए निर्धारित ग्रुप समूह के अनुसार होगा।

(ii) द्वितीय वर्ष में परिवर्तित विषय के अध्ययन, नियमानुसार परीक्षा आदि की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।

(ग) तृतीय वर्ष कला २०११ परीक्षा के लिए

ऐच्छिक विषय : द्वितीय वर्ष कला २०१० में लिये गये विषय

(घ) बी.ए. ऑनर्स (B.A. Hons.) त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम – २०११ परीक्षा के लिए

	बीएश ऑनर्स (विषय)	**स्थान**
1.	संस्भत	60
2.	अर्थशास्त्र	60

3.	राजनीति विज्ञान	60
4.	अंग्रेजी साहित्य	60
5.	इतिहास	60
6.	समाजशास्त्र	60

यह पाठ्यक्रम तीन वर्षो का है। इसमें मुख्य विषय (Main Subjects) के साथ किसी अन्य वर्ग में से एक अन्य गौण विषय (Subsidiary Subject) और लिया जा सकता है।

(ङ) स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (B.Lib & Information Sc.)

एक वर्षीय पाठ्यक्रम

P-I : Foundation of Library and Information Science
P-II : Knowledge Organization Information Processing (Theory)
P-III : KO, Inf. Proc & Ret : Classification of Documents (Practical)
P-IV : KO, Inf. Proc & Ret : Classification of Documents (Practical)
P-V : Information Technology (Basics) & Library Automation
P-VI : Management of Library & Information Centers / Institutions
P-VII : Information Sources & Services (Theory)
P-VIII : Information Sources & Services (Practical)

(च) स्नातकोत्तर (M.A.) द्वि–वर्षीय पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर (M.A.) शिक्षण निम्नांकित विषयों में होता है –

(i) ***सामाजिक विज्ञान संकाय विषय :*** अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान ।

(ii) ***मानविकी विषय :*** संस्भत, प्राभत, हिन्दी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी, चित्रकला, इतिहास एवं दर्शनशास्त्र।

(iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातकोत्तर (M.Lib.) (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

(छ) एमफिलश (M.Phil.) – एक वर्षीय पाठ्यक्रम : इन विषयों में संचालित हो रहा है –

(i) ***सामाजिक विज्ञान :*** अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान।

(ii) ***मानविकी संकाय विषय :*** संस्भत, प्राभत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, दर्शनशास्त्र एवं राजस्थानी।

(ज) विद्यावाचस्पति (Ph.D.)

विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु निम्नांकित विषयों में शोध कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है – अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, संस्भत, जैनविद्या एवं प्राकृत, राजस्थानी, इतिहास, चित्रकला, दर्शनशास्त्र एवं लोक प्रशासन।

विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, उदयपुर
University College of Law, Udaipur

प्राधिकारी

अधिष्ठाता	प्रो. शरद श्रीवास्तव
संकायाध्यक्ष	प्रो. विजय श्रीमाली
सहायक अधिष्ठाता छात्र–कल्याण	डॉ. कला मुणेत
कार्यक्रम अधिकारी – राष्ट्रीय सेवा योजना	डॉ. शिल्पा सेठ
प्रॉक्टर	डॉ. आनन्द पालीवाल
खेल प्रभारी	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान

संकाय सदस्य

सहायक आचार्य	कला मुणेत	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	आनन्द पालीवाल	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	सुनील आसोपा	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	श्रीमती राजश्री चौधरी	पीएच.डी.
सहायक आचार्य	शिल्पा सेठ	पीएच.डी.

पूर्णकालीन पाठ्यक्रम (नियमित) (Full-Time) एवं स्व–वित्त पोषित

	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता
1.	विधि स्नातक त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम	स्नातक (१०+२+३) या स्नातकोत्तर उपाधि (१०+२+३) स्नातक	45% for Gen. 40% for SC/ST/OBC (क्रीमिलेयर को छोड़कर)	तीन वर्ष	१८० (६० स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

		उपाधि के साथ				सीटों सहित)

	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता
2.	विधि निष्णात द्वि–वर्षीय पाठ्यक्रम	विधि स्नातक (१०+२+३)	55% for Gen. & OBC 50% for SC/ST	दो वर्ष	४०+१० (१० पेमेंट सीट)

पीश्जीश डिप्लोमा (नियमित)

3.	श्रम विधि, श्रम कल्याण एवं कार्मिक प्रबन्ध में डिप्लोमा (एक वर्षीय)	विधि स्नातक (10+2+3) अथवा स्नातकोत्तर उपाधि (१०+२+३ स्नातक उपाधि के साथ) – समाजशास्त्र/ अर्थशास्त्र/सामाजिक कार्य/ मनोविज्ञान/लोक प्रशासन या अनुप्रायोगिक अर्थशास्त्र /बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के साथ एमश्कॉमश्/ एमश्बीश्एश्/एमश्एचश्आरश्एमश्/ कंपनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा	48% for Gen. and Pass Marks for SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर)	एक वर्ष	६०

स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रम

	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	शुल्क (वार्षिक)
1.	विधि निष्णात एवं	विधि स्नातक	50% for	तीन वर्ष	Open	Open Seat

	प्रबन्ध अध्ययन एकीभत त्रि– वर्षीय पाठ्यक्रम (LL.M. - M.B.A. Three Years Integrated Course)	(१०+२+३) (त्रि–वर्षीय)	Gen. SC/ST/OBC (क्रीमिलेयर को छोड़कर)		Seats-25 Payment Seats-05	36,000/- Payment Seat 50,000/- + Local Fund

	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश क्षमता	शुल्क (वार्षिक)
2.	कला एवं विधि स्नातक एकीभत पंचवर्षीय पाठ्यक्रम (B.A. - LL.B. Five Years Integrated Course)	Senior Sec. (१०+२)	45% for Gen. & 40% for SC/ST/OBC (क्रीमिलेयर को छोड़कर)	पांच वर्ष	Open Seats-50 Payment Seats-10	Open Seat 12000/- Per Sem.+L.F. Payment Seat 24000/- per Sem. + Local Fund
	डिप्लोमा					
1.	कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा (Diploma Course in Company Law & Secretarial Practice)	एमश्कॉमश या विधि स्नातक (१०+२+३)	48% for Gen. & Pass Marks for SC/ST/OBC (क्रीमिलेयर को छोड़कर)	एक वर्ष	30	Rs.5000/- + Local Fund
2.	अपराध विज्ञान एवं सामाजिक–आर्थिक अपराध विषय में डिप्लोमा (Diploma Course in Criminology & Socio-Economic Crimes)	विधि स्नातक (१०+२+३) अथवा सामाजिक विज्ञान में स्नात–कोत्तर या श्रम विधि, श्रम कल्याण एवं कार्मिक प्रबंध	48% for Gen. & Pass Marks for SC/ST/OBC (क्रीमिलेयर को छोड़कर)	एक वर्ष	30	Rs.5000/- + Local Fund

		में डिप्लोमा अथवा कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा उपाधि के साथ।				
पाठ्यक्रम		**प्रवेश पात्रता**	**अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक**	**पाठ्यक्रम की अवधि**	**प्रवेश क्षमता**	**शुल्क (वार्षिक)**
3.	बौद्धिक सम्पदा विधि में डिप्लोमा (Diploma in Intellectual Property Law)	किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि स्नातक (१०+२+३) LL.B. or Post Graduate in any Stream.	48% for Gen. & Pass Marks for SC/ST/OBC (क्रीमिलेयर को छोड़कर)	एक वर्ष	Open Seats-25 Payment Seats-05	Open Seat 10,000/-+L.F Payment Seat 15,000/- + Local Fund
4.	बैंकिंग विधि में डिप्लोमा (Diploma in Banking Law)	किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि स्नातक (१०+२+३) LL.B. or Post Graduate in any Stream.	48% for Gen. & Pass Marks for SC/ST/OBC (क्रीमिलेयर को छोड़कर)	एक वर्ष	Open Seats-25 Payment Seats-05	Open Seat 10,000/-+L.F. Payment Seat 15,000/- + Local Fund

नोट :

1. विधि निष्णात (LL.M.) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विधि संकाय के पाठ्यक्रम (Syllabus) १९९२ और १९९३ परीक्षाओं में प्रकाशित पृष्ठ संख्या ७१ (2) (b) पर दिये गये रियायती नियम निरस्त कर

दिये हैं।

2. (1) LL.B. (2) LL.M. (3) BA, LL.B. Five Years Integrated Course (4) LL.M., M.B.A. Three Years Integrated Course में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा निर्धारित है।

3. B.A., LL.B. Five Years Integrated Course और LL.M., M.B.A. Three Years Integrated Course में प्रवेश एवं विस्तृत जानकारी और विवरणिका हेतु अधिष्ठाता कार्यालय से सम्पर्क करें।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) को आरक्षण विश्वविद्यालय नियमानुसार लागू होगा।

17. शैक्षणिक सत्र 2010–2011

क्र.सं.	विभिन्न प्रवृत्तियाँ	निर्धारित दिनांक
1.	शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ	1 जुलाई, 2010
2.	अध्यापन आरम्भ	
	(अ) स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) एवं विधि द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	1 जुलाई, 2010
	(ब) स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं विधि प्रथम वर्ष	1 जुलाई, 2010
	(स) संकाय/विषय परिवर्तन	प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन की अवधि में तथा 15.7.2010 तक जो भी बाद में हो
3.	मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान	31 जुलाई, 2010
4.	सभी कक्षाओं में स्थानों की रिक्तता आदि के आधार पर प्रवेश की अंतिम तिथि	5 अगस्त, 2010
5.	छात्रसंघ चुनाव	अलग से आदेश जारी किये जायेंगे
6.	कैरियर गाइडेन्स प्रोग्राम	15 अगस्त से 5 सितम्बर, 2010
7.	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	15 सितम्बर, 2010
8.	गांधी जयन्ति व्याख्यान	2 अक्टूबर, 2010

विश्वविद्यालय की सत्र 2010-2011 की परीक्षा प्रारम्भ की प्रस्तावित तिथियां

1- dyk & izFke] f}rh; o"kZ & ekpZ 2011 f}rh; lIrkg
okf.kT; & f}rh; o"kZ
foKku & izFke] f}rh;] r`rh; o"kZ
ch-ch-,- e-], y-,y-ch-

2- okf.kT; & izFke] r`rh; o"kZ & vizSy 2011 izFke lIrkg
,e-,- mRrjk)Z
,e-dke- iwokZ)Z
,e-,l lh- iwokZ)Z @mRrjk)Z

3- dyk & r`rh; o"kZ & ekpZ 2011 r`rh; lIrkg
,e-,- iwokZ)Z

4- ,e-dke- mRrjk)Z & ekpZ 2011 prqFkZ lIrkg

uksV%

¼d½ ijh{kk izkjEHk dh ;s izLrkfor frfFk;k¡ gSaA ijh{kk le; & lkfj.kh ijh{kk izkjEHk frfFk ls 15 fnu iwoZ izLrkfjr dh tk;sxhA 'kS{kf.kd {kf=kksa @B;~Øeksa dh ijh{kk frfFk;k¡ Hkh ekpZ&vizSy 2011 esa ?kksf"kr dh tk;sxhA

¼[k½ izFke o f}rh; o"kZ dyk Lo;aikBh ijh{kkfFkZ;ksa ds dfri; fo"k;ksa dh ijh{kk;sa ekpZ 2011 ds f}rh; lIrkg ls izkjEHk gksxhA

¼x½ jkT; ljdkj }kjk fdlh frfFk dks vodk'k ?kksf"kr djus ds vyokok vifjgk;Z dkj.kksa ls Hkh ijh{kk dh frfFk;ksa esa ifjorZu fd;k tk ldrk gSA

¼?k½ Lukrd o LukrdksRrj Lrj dh lHkh izk;ksfxd ijh{kk;sa 10 Qjojh 2011 ls 05 ekpZ 2011 ds e/; lEcfU/kr egkfo|ky;ksa esa vk;ksftr djokbZ tk;sxhA

9.	अन्य सह–शैक्षणिक गतिविधियां तथा सांस्भतिक सप्ताह एवं विश्वविद्यालय स्तरीय केन्द्रीय **'समवेत'** कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह आदि	दशहरा–दीपावली के मध्य समस्त गतिविधियॉ दिसम्बर के अंत तक समाप्त हो जावें।
10.	दीपावली अवकाश	1 नवम्बर, 2010 से 10 नवम्बर,2010 तक
11.	सिविल सर्विसेज परीक्षाओं हेतु व्याख्यानमालाओं का आयोजन	शीतकालीन अवकाश से कम से कम 10 दिन पूर्व
12.	शीतकालीन अवकाश 31 दिसम्बर, 2010 तक	25 दिसम्बर, 2010 से
13.	शैक्षणिक भ्रमण	31 जनवरी, 2011 तक
14.	राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, रोवर स्काउट गाईड के शिविरों का आयोजन	31 जनवरी, 2011 तक
15.	प्रायोगिक परीक्षाएँ	10 फरवरी, 2011 से 5 मार्च, 2011 तक
16.	वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ	मार्च, 2011 द्वितीय सप्ताह
17.	सत्र का अंतिम कार्य दिवस	30 अप्रैल, 2011
18.	परीक्षा परिणामों की घोषणा	15 जून, 2011
19.	नवीन सत्रारम्भ	1 जुलाई, 2011

टिप्पणियाँ

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।

2. स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में दिनांक 1.7.2010 तक बिना अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हुए छात्रों को अस्थाई प्रवेश दे दिया जायेगा तथा दिनांक 1.7.2010 से नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में अंकित की जायेगी तथा उसी तिथि से उपस्थिति की गणना की जायेगी।

3. सभी प्रवेश योग्य छात्रों को दिनांक 29.6.2010 तक महाविद्यालय कार्य दिवसों में वांछित फीस आदि कार्यालय में एक अण्डरटेकिंग आवेदन–पत्र के साथ जमा करवाना होगा। अण्डरटेकिंग एवं प्रवेश नवीनीकरण का प्रपत्र विश्वविद्यालय की विवरणिका सहित विद्यार्थी रु.100/– देकर महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त करें। दिनांक 29.6.2010 के बाद प्रवेश नवीनीकरण कराने वाले गत वर्ष के नियमित विद्यार्थियों को अधिष्ठाता के निर्देशानुसार विलम्ब शुल्क जमा कराना होगा।

4. प्रवेश सूची के अन्तर्गत सूचित अभ्यर्थियों द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि (नोटिफाइड डेट) तक निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित न होने तथा शुल्क जमा नहीं कराने पर ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

5. समस्त प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट होने के उपरान्त एवं प्रवेश हेतु और कोई भी आवेदन पत्र उपलब्ध कक्षा/वर्ग में नहीं हो और यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रह जाये तो विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के उपलब्ध रिक्त स्थानों की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर, इन स्थानों पर प्रवेश के लिए नवीन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

   इस सूचना में रिक्त स्थानों की संख्या जिस कक्षा/वर्ग में ये स्थान रिक्त है, तथा नवीन आवेदन–पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। यदि इन स्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थान भी उपलब्ध हो, तो उनका विवरण भी अंकित किया जायेगा।

   इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त समस्त नए आवेदन पत्रों में से प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों को कक्षा/वर्ग में उपलब्ध स्थानों पर वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

6. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को **उनके लिए आवंटित नियतांश (कोटा) पूरा न होने की स्थिति में सामान्य प्रवेश विश्वविद्यालय के**

नियमों के अनुसार सुनिश्चित किये जायेंगे।

19. महत्वपूर्ण दूरभाष

			कार्यालय	आवास
1.	कुलपति	श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, I.A.S.	2470597	2471844 (Fax) 2470259
2.	कुलसचिव	श्री एच.एल. कुणावत	2470166	-
3.	वित्त नियंत्रक	श्रीमती मंजूबाला जैन	2470621	2461383
4.	परीक्षा नियंत्रक	श्री एच.एल. कुणावत	2470166	-
5.	उप–कुलसचिव (गोपनीय)	डॉ. आर.सी. कुमावत	2471372	2419066*
6.	उप–कुलसचिव (परीक्षा)	श्री हरकेश मीणा	2470749	2471957*
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	डॉ. जी.एल. वसीटा	2470863	--
8.	वि. वि. अभियन्ता	श्री ए. एस. खान	2471900	2471643
1.	अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन	प्रो. आई. वी. त्रिवेदी	2470707	2414627*
2.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण एवं सांस्भतिक गतिविधियाँ	प्रो. विजयालक्ष्मी चौहान	2414366	9414167445
3.	संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, **विज्ञान महाविद्यालय**	प्रो. मधुसूदन शर्मा	2413955	2522119*
4.	संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, **वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय**	प्रो. डी.एस.चुण्डावत	2411408	2414030
5.	अधिष्ठाता, सा.वि.मा. महाविद्यालय **एवं संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान**	प्रो. अन्जू कोहली	2470143	2411149*
6.	संकायाध्यक्ष, मानविकी	प्रो. शरद श्रीवास्तव	2470143	2422364
7.	संकायाध्यक्ष एवं निदेशक, **प्रबन्ध अध्ययन संकाय**	प्रो. करूणेश सक्सेना	2470208	2803421*
8.	संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	प्रो. विजय श्रीमाली	2470958	2488252*
9.	अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय	प्रो. शरद श्रीवास्तव	2470143	2422364

10.	ऑफिसर इंचार्ज, केन्द्रीय पुस्तकालय	प्रो. एम. भटनागर	2470602	2441250
11.	निदेशक, कम्प्यूटर सेन्टर	प्रो. के. वेणुगोपालन	2471370	2451308*
12.	मुख्य वार्डन, छात्रावास	प्रो. डी. एस. चुण्डावत	2411408	2414030*
13.	अध्यक्ष, क्रीड़ा मंडल	प्रो. एस.आर. व्यास	2417308	9413318923
14.	सह–अधिष्ठाता, विज्ञान महाविद्यालय	प्रो. ए.के. गोस्वामी	2413955	2416092*
15.	सह–अधिष्ठाता, सा.वि.मा.महाविद्यालय	प्रो. फरीदा शाह	2470143	2451782*
16.	सह–अधिष्ठाता, वा. एवं प्र.अ.	–		
	महाविद्यालय			
17.	मानद निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र	प्रो. विजयालक्ष्मी चौहान	2471272	2560445*
18.	समन्वयक, मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र एवं समन्वयक कम्प्यूटर एप्लीकेशन सेन्टर (सा.वि.मा. महाविद्यालय)	प्रो. अन्जू कोहली	2470143	2411149*
19.	प्रोजेक्टर अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा	डॉ. विजय पारिक	2470643	2463764*
20.	समन्वयक, पी.जी. डिप्लोमा पत्रकारिता पाठ्यक्रम	प्रो. जैनब बानू	2470143	2454215*
21.	निदेशक, बौद्ध अध्ययन व अहिंसा केन्द्र	डॉ. एच.सी. जैन	2470143	2490231
22.	निदेशक, वि.नि. एवं मार्गदर्शन	डॉ. एन.एस. राठौड़	2470143	2426548*
23.	निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	डॉ. मोनिका नागोरी	2470117	2410185*
24.	विभागाध्यक्ष, भू–विज्ञान विभाग	प्रो. पी.सी. औदिच्य	2414366(Ext-410)	2461071
25.	विभागाध्यक्ष, फॉर्मेसी विभाग	डॉ. सी. पी. जैन	2470192	2561669*
26.	समन्वयक, अनु.जाति व जनजाति **प्रकोष्ठ एवं रेमेडियल कोचिंग केन्द्र**	प्रो. एल.सी. खत्री	2471949	2467676*
27.	समन्वयक, प्रतियोगिता परीक्षा **प्रशिक्षण केन्द्र**	डॉ. संजय लोढ़ा	2470143	2470607*
28.	समन्वयक, इन्टरनेट केन्द्र	प्रो. के. वेणुगोपालन	2413955	2451308*
29.	समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्रो. फरीदा शाह	2470143	2451782

30.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, **केन्द्रीय पुस्तकालय**	डॉ. यू.के. अग्रवाल	2470602	2524178*
31.	सचिव, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल	डॉ. दीपेन्द्र सिंह	2417308	914281130
32.	समन्वयक, प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण **केन्द्र, अजा/जजा, अशपिश्वश व अल्पसंख्यक**	डॉ. आई.एम. कायमखानी	2470143	2410014*
33.	अन्तर्राष्ट्रीय, विद्यार्थी परामर्शदाता	डा. रेणू जटाना	2412009	2460357
34.	सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण **(विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय)**	डॉ. आर.एस. चौहान	2413955	2412650*
35.	सहायक अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण **(विशविश वाणिज्य एवं प्रश अश महाविद्यालय)**	डॉ. पी.के. सिंह	2412009	2471758*
36.	सहायक अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण (वि.वि. सा.वि. एवं मा. महाविद्यालय)	डॉ. दिग्विजय भटनागर	2470143	2420652*
37.	सहायक अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण **(विशविश विधि महाविद्यालय)**	डॉ. कला मुणेत	2470958	2423276*
38.	प्रॉक्टर (वि.वि. सा.वि.मा. महाविद्यालय)	डॉ. एम. एस. राठौड़	2470143	2460385*
39.	प्रॉक्टर (वि.वि. विज्ञान महाविद्यालय) एवं संयोजक, IPR Cell	डॉ. एम.एस. शेखावत	2413955	9414737092
40.	प्रॉक्टर (वि.वि. विधि महाविद्यालय)	डॉ. आनन्द पालीवाल	2470958	9414162176
41.	प्रॉक्टर (वि.वि. वा. प्र.अ. महाविद्यालय)	डॉ. अशोक नागर	2412009	9414811064
42.	संयोजक (बी.बी.एम. पाठ्यक्रम)	ओ. पी. जैन	2412009	2419513
43.	वार्डन, महाराणा भूपाल छात्रावास	डॉ. घनश्यामसिंह राठौड़	9414352604	
44.	वार्डन, रामानुजन छात्रावास	डॉ. अनिल कोठारी	9828267678	
45.	वार्डन, डॉ. डी.एस. कोठारी, **शोध छात्रवास**	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान	9414281130	
46.	वार्डन, महर्षि दयानन्द सरस्वती **कन्या छात्रवास**	डॉ. जी.एस. कुम्पावत	9414289793	
47.	वार्डन, गार्गी कन्या छात्रावास	डॉ. मंजू बाघमार	2561102	9414758977
48.	मैनेजर, कमला नेहरू कन्या छात्रावास	डॉ. मौसुमीकर पिल्लई	9829332041	
49.	मैनेजर, विश्वविद्यालय अतिथि गृह	डॉ. दुर्गासिंह राठौड़	2411798	9414160086
50.	**पूछताछ – परीक्षा**	**2470749**		
51.	**प्रशासनिक कार्यालय (ई.पी.ए.बी. एक्स)**	**2471035** **2470918** **2470509**		

* **व्यक्तिगत टेलीफोन**

20- विश्वविद्यालय फेक्स नं. 0294-2471150

21. INTERNET CENTRE

The University has a campus network of computers known as Sukhadia University Network (SUNet) connecting all University Departments, constituent colleges, various units and centres, hostels etc. situated in the both campuses of the university. The University Internet Centre located in the Vigyan Bhavan Block-A is responsible for operation and maintenance of the University network. The campus network is a 1000/100Mbps network with about 600 computers using Optical Fiber Cable back bone connectivity to all main buildings and Wireless connectivity between the campuses. The University has also installed Wi-Fi network connectivities in almost all main buildings. The campus network of the University is fully protected and secured using "CyberRoam" (firewalls and Intruder detection system). The network is also protected from external computer viruses using on-line subscription to latest network antivirus software. Following facilities are available to the students and staff of the University.

Internet Access

The university has a 10Mbps leased line Internet connectivity at the University Internet Centre with BSNL India under UGC Infonet programme. In addition to this main connectivity, 2Mbps BSNL broadband Internet connectivities are added to the campus network. Internet access is available to all the regular students, research students and faculty members for academic purposes through the campus network from computers installed in the departments, libraries, colleges, offices and hostels.

The undergraduate, post graduate and research students can access Internet for educational and research purpose from following locations :

1. e-library, University Central Library
2. e-library, College of Science
3. e-library, College of Commerce and Management studies
4. e-library, College of Social Sc. & Humanities

Internet access facilities are also available at college of Law, Vigyan Bhawan Block-A and B, Pharmacy building and hostels for the students.

Internet facilities available in the department can also be used by the post graduate and research students.

E-Journal access

Access to about 5000 electronic research journals under UGC Infonet

23. EPABX TELEPHONE FACILITY

NEW CAMPUS TELEPHONE NUMBER LIST

EPABX LINES : 2471035, 2470918

EPABX will be operated only during office hours

I. UNIVERSITY ADMINISTRATIVE BLOCK

A. Vice-Chancellor's Secretariat

1.	Vice-Chancellor	100,102
2.	Retiring Room	101
3.	PS to Vice-Chancellor	102
4.	Meeting Hall	103

B. Post-Graduate Studies

1.	Dean, P.G. Studies	110

C. Registrar Office

1.	Registrar	140
2.	Deputy Registrar (GAD)	111
3.	Asstt. Registrar (Estt.)	126
4.	PA to Registrar	120
5.	General Section	124
6.	Meeting Section	127
7.	Recruitment Section	128
8.	Computer Room	122
9.	SC/ST Cell	126/300

D. Comptroller Office

1.	Comptroller	150
	PA to Comptroller	150
2.	Dy. Comptroller	151
3.	Accounts Officer (Tender)	175
4.	Accounts Officer (Bill)	171
5.	Internal Audit	152
6.	Section Officer (Planning)	153
7.	Section Officer (PF)	165
8.	Section Officer (Bill)	166
9.	Section Officer (Comp.)	168
10.	Section Officer (Cash)	178
11.	Cheque Section	169
12.	Pension Cell	123, 173
13.	Store	177

E. Examination

1.	Controller of Examination	130
2.	Science & Comm. Faculty	131
3.	Asstt. Registrar (Degree)	137
4.	Asstt. Registrar (Exam.)	133
5.	Accounts (Exam.)	135
6.	Asstt. Registrar (Exam.)	136
7.	Asstt. Registrar (Secy.)	143
8.	Asstt. Registrar (Secy).	144
9.	Section Officer (Secy.)	145
10.	UG/PG Arts Faculty (Secy.)	146
11.	Examination Store	138
12.	Section Officer (Exam.)	132
13.	Education Faculty (Exam.)	134
14.	Result Incharge	285

F. Library

1.	Dy. Librarian	180
2.	P.A. to Librarian	184
3.	Computer Room (Librarian)	185
4.	Periodical	186
5.	Book Issue Counter	189

G. Miscellaneous

1.	Pool Office	121
2.	EPABX Operator	90
3.	NTSA Office (Central)	191
4.	NTSA Office (Admn)	192
5.	Sahayak Karmachary Union	195

H. Estate Office

1.	University Engineer	390
2.	Estate Office	393

II. Law College

1.	Dean	400
2.	PA to Dean	400
3.	Head, Law Deptt.	410
4.	Asstt. Registrar	402
5.	Section Officer	403
6.	Library	404
7.	A.D.S.W.	408

III. University College of Social Sciences & Humanities

A. Office

1.	Dean	200
2.	PA to Dean	200
3.	Chairman (Social Science)	232
4.	Chairman (Humanities)	330
5.	Assoc. Dean	210
6.	Asstt. Registrar	306
7.	Section Officer	203
8.	Exam. Control Room	205
9.	Store	305

B. Departments

1.	Head, Visual Arts	370
2.	Head, Economics	301
3.	Head, English	220, 237
4.	Language Lab. English	225
5.	Head, Geography	230
6.	Head, Hindi	250
7.	Head, History	240
8.	Head, Library Science	260
9.	Head, Music	270
10.	Head, Philosophy	280
11.	Head, Political Science	290
12.	Head, Jainology & Prakrit	310
13.	Head, Psychology	320
14.	Head, Sanskrit	340
15.	Head, Sociology	350
16.	Head, Urdu	360
17.	Head, Pub. Admn.	193

C. Miscellaneous

1.	Library	204
2.	A.D.S.W.	240
3.	Physical Education	380
4.	Director, Women Studies	385
5.	Adult Education	386
6.	Information Bureau	398
7.	Proctor	260
8.	Warden (Shikshak Sadan) Dr.G.S. Kumpawat	291

D. Population Research Centre

1.	Director	450
2.	P.R.C. Office	453

E. Competitive Examination Centre

1.	Dr. Sanjay Lodha	292
2.	Dr. I.M. Kayamkhani	201

F. Human Rights Centre 301

G. Diploma Journalism 208

H. Vigyan Bhawan Campus 281, 282

INTERNET 283

I. SC/ST Cell

Prof. L.C. Khatri 300

J. Computer Application Centre

Prof. Anju Kohli 301

SCIENCE COLLEGE EPABX TELEPHONE NUMBER LIST

EPABX LINES : 2413955, 2412009, 2414366, 2412715

EPABX will be operated only during office hours

IV. University College of Science

A. Office

1.	Dean	200
	PA to Dean	200
2.	Asstt. Registrar	202
3.	Office	203, 288
4.	Library	204
5.	Examination Room	206

B. Department of Botany

1.	Head	210
2.	Office	213
3.	Prof. N.C. Aery	217
4.	Prof. K.G. Ramawat	214
5.	Prof. S.S. Katewa (Head)	216
6.	Prof. S.D. Purohit	284

C. Department of Chemistry

1.	Head	220
2.	Office	223
3.	Prof. B.L. Hiran (Head)	224
4.	Prof. A.K. Goswami	225
5.	Dr. R.S. Chauhan	225
6.	Polymer Science	229

D. Department of Mathematics & Statistics

1.	Head	230
2.	Office	233
3.	Dr. V.L. Mandowara	234
4.	Dr. M.S. Dulawat (Head)	231

E. Department of Physics

1.	Office	243
2.	Prof. K. Venugopalan	247
3.	Prof. R. Pandey (Head)	244
4.	Prof. B.L. Ahuja	290
5.	Dr. S.N.A. Jaffery	148
6.	Internet Centre	249
7.	Store	155

F. Department of Zoology

1.	Prof. M.S. Sharma (Head)	280
2.	Prof. Maheep Bhatnagar	250
3.	Office	253

G. Department of Geology

1.	Office	413
2.	Prof. A.C. Avadich (Head)	410
3.	Prof. P. Kataria	415
4.	Library	414

H. General Facilities

1.	NTSA	209
2.	Estate Office	281
3.	Games	287
4.	Employment Office	227
5.	Workshop	122, 168
6.	Office Computer Centre	273
7.	Girls Hostel Warden	113, 110

V. University College of Commerce & Management Studies

A. College Office

1. Dean 301
2. PA to Dean 302
3. Section Officer 303
4. Library (Astt. Lib) 304
5. Library Hall 304
6. Office 306
7. Cash Section 307
8. Store 308
9. Examination Control Room 309

B. Department of Accountancy and Statistics

1. Head 321
2. Office 322
3. Prof.G. Soral (Head) 323
4. Sh. B.L. Heda 324
5. Dr. C.M. Jain 326
6. Dr. O.P. Jain 326
7. Computer Lab 305

C. Department of Business Administration

1. Head 311
2. Office 312
3. Prof. K.C. Sodani 313
4. Prof. D.S. Chundawat 311
5. Prof. Vijay Shrimali 315
6. Dr. Rajeshwari Narendran (Head) 317
7. Dr. Manju Baghmar 319
8. Dr. B.L. Verma 320

D. Department of Banking & Business Economics

1. Head 331
2. Office 332
3. Prof. I.V. Trivedi 333
4. Dr. (Mrs.) Renu Jatana 334
5. Dr. P.K. Singh 335
6. Dr. Mukesh Mathur (Head) 336
7. Dr. Ashok Kumar Nagar 337

E. Self-Finance Course

1. BBM 318

VI. Guest House Office

1. Manager 175
2. Office 178

VII. Girls' Hostel

1. Warden 110
2. Hostel Office 113

VIII. Dean Student's Welfare

1. DSW Office 285

24. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के दूरभाष

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	कार्यालय	आवास
1.	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	2524006	—
2.	विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर	2450403	9413026703
3.	विद्याभवन गोविन्दराम सेक्सरिया शिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	2451814	9352511784
4.	भूपाल नोबल्स स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उदयपुर	2412981	9414165092
5.	भूपाल नोबल्स स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	2422934	9414158352
6.	गुरू नानक कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	2462239	9829792018
7.	भूपाल नोबल्स शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर	2428469	9414825333
8.	पेसिफिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उदयपुर	5132456	9414168690
9.	राजस्थान महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	2523338	9414157007
10.	निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	2417732	9460558991
11.	हाड़ी रानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर (उदयपुर)	02906—230563	—
12.	पं. उदय जैन महाविद्यालय, कानोड़ जिला उदयपुर	02957—233236	9414683080
13.	जवाहर विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानोड़ (उदयपुर)	02957—233220	9784582151
14.	जे.आर. शर्मा पी.जी. महाविद्यालय, झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर	02959—270025	9784295797
15.	सेठ मंगलचन्द चौधरी राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड	02974—222253	—
16.	श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	02962—254022	9414585049
17.	हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा	02962—244162	—
18.	डॉ. नागेन्द्र सिंह विधि महाविद्यालय, भारतीय विद्या मंदिर, बांसवाड़ा	02962—243639	250740
19.	भारतीय विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बांसवाड़ा	02962—243751	993890471

20.	मा.बा.द. राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा	02965–275276	9784553173
21.	महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	01472–241041	9829782101
22.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	01472–243301	–
23.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़	01477–221559	–
24.	श्री सांवरियाजी राजकीय महाविद्यालय, मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़	01470–248612	–
25.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	01478–222012	–
26.	महिला विद्या मंदिर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रतापगढ़	01478–223077	9461024787
27.	श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	02964–232523	9413118418
28.	वीर काली बाई राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर	02964–233980	9414331874
29.	महंत श्री रघुनंदनदास शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, डूंगरपुर	02964–232481	9660923931
30.	राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर	02966–252731	9413830251
31.	सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द	02952–221840	–
32.	सेठ मथुरादास बिनानी, राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा जिला राजसमन्द।	02953–234630	–
33.	नित्य लिलास्थ तिलकायत श्री गोविन्दलाल जी महाराज राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा, (राजसमन्द)	02953–231602	–
34.	राजकीय महाविद्यालय, आमेट, जिला राजसमन्द	02908–231030	941464818
35.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिरोही	02972–221684	221685
36.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिरोही	02972–221275	9929998133
37.	राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज, जिला सिरोही	02976–222569	9829996907

38.	गुरु पुष्कर जैन महाविद्यालय, गोगुन्दा (उदयपुर)	02959–280001	9414472914
39.	आर.एम.वी. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर	2422955	–
40.	राणा प्रताप शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, भीण्डर (उदयपुर)	02957–220919	–
41.	रविन्द्रनाथ टैगोर पी.जी. महाविद्यालय, कपासन (चित्तौड़गढ़)	01476–231411	9828058477
42.	शहीद रूपाजी कर्पाजी महाविद्यालय, बेगूं (चित्तौड़गढ़)	01474–220877	9785940910
43.	महाराणा प्रताप महाविद्यालय, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	01475–236477	9413108214
44.	गीतांजलि तकनीकी अध्ययन संस्थान, डबोक (उदयपुर)	2657075	–
45.	ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, उदयपुर	2471965	9001999453
46.	वर्धमान विधि महाविद्यालय, उदयपुर	2526981	9460267113
47.	आर.एन.टी. विधि महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	01472–250244	9887829603
48.	भूपाल नोबल्स विधि महाविद्यालय, उदयपुर	2417211	9928400014
49.	जे.आर. महाविद्यालय, रेलमगरा (राजसमन्द)	02952–267766	9414342805
50.	राणा प्रताप कन्या महाविद्यालय, भीण्डर (उदयपुर)	02957–220807	9460729936
51.	एस.पी. महाविद्यालय, बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़)	01473–264025	9352091409
52.	राजकीय महाविद्यालय, खैरवाड़ा (उदयपुर)	02907–280078	–
53.	अनुष्का विधि महाविद्यालय, उदयपुर	2811395	9414263458
54.	बुद्धा तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान, उदयपुर	2482814	9887755002
55.	महावीर राष्ट्रीय महाविद्यालय, फतहनगर (उदयपुर)	02955–220809	9829035414
56.	श्रीनाथ शिक्षा महाविद्यालय, मावली (उदयपुर)	02955–263765	2465534
57.	जे.आर. महाविद्यालय, पिण्डवाडा (सिरोही)	02971–224712	9414829642
58.	स्व. पी.पी. महाविद्यालय, परतापुर (बांसवाड़ा)	02963–221366	9928078806
59.	वीजन कॉमर्स महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	01472–249605	9414109779

60.	पेसीफिक कॉलेज ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, उदयपुर	2494510	9414162135
61.	शिव नारायण चौबीसा कॉलेज, सिमलवाड़ा (डूंगरपुर)	240572	232554
62.	मेवाड़ गर्ल्स महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	01472–248358	9252666950
63.	मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज ऑफ टीचर्स एज्यूकेशन, चित्तौड़गढ़	01472–248358	9414796788
64.	एडवेन्ट इंस्टीट्यूट विज्ञान एवं तकनीकी, उदयपुर	08058798655	9414158606
65.	महाराजा कॉलेज ऑफ आर्टस् एण्ड एज्यूकेशन, देबारी (उदयपुर)	0294–2491531	9460322199
66.	स्वामी विवेकानन्द कॉलेज, वल्लभनगर (उदयपुर)	02957–240890	9414832244
67.	श्री तेजेन्द्र प्रसाद सेकण्ड्री टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आबूरोड	02974–228561	9414642088
68.	सिद्धेश्वर विनायक आर्टस् कॉलेज, धरियावद (उदयपुर)	220529	–
69.	श्रद्धालय जनजाति बी.एड कॉलेज, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	01475–213475	9214344786
70.	महर्षि टेक्निकल एण्ड एज्यूकेशन कॉलेज, धरियावद (उदयपुर)	3097594	9414165458
71.	विवेकानन्द कॉलेज, घाटोल (बांसवाड़ा)	02961–235028	9983430775
72.	श्री भष्णा कॉलेज, उदयपुर	2418746	9413422600
73.	सर्वपल्ली डॉ. राधाभष्णन कॉलेज, बागीदौरा (बांसवाड़ा)	2968–220933	9413118251
74.	महिला महाविद्यालय, सागवाड़ा (डूंगरपुर)	2966–254666	9783797907
75.	वागड कॉलेज, देवला, कोटड़ा (बांसवाड़ा)	2963–238831	9982217711
76.	ऐश्वर्या बी.एड. कॉलेज, उदयपुर	2471965	9414166336
77.	अरिहन्त महिला बी.एड. कॉलेज, सहेली मार्ग, उदयपुर	3203399	9252013009
78.	टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, झाड़ोल (फ.), उदयपुर	2959–220128	9414160991
79.	श्रीमती चन्द्रावल गुप्ता महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आबूरोड (सिरोही)	2974–225369	9413121952
80.	महर्षि महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कांकरोली (राजसमन्द)	2952–290162	9929607862
81.	महाबलिदानी पन्नाधाय महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, देलवाड़ा	2953–289277	9414403034

(राजसमन्द)

82.	नोबल बी.एड. कॉलेज, खैरवाड़ा (उदयपुर)	9414785170	—
83.	गुरूकुल महिला बी.एड. कॉलेज, सिरोही	02972—224406	9413373551
84.	श्रीनाथ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़)	01473—264025	9413832343
85.	चाणक्य कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, बड़ी रोड, उदयपुर	2803498	9414166372
86.	आर.एन.टी. कॉलेज ऑफ बी.एड., चित्तौड़गढ़	01472—247814	9414466321
87.	विवेकानन्द कॉलेज ऑफ बी.एड., डबोक (उदयपुर)	0294—6451477	9828058477
88.	मीरां महिला बी.एड. कॉलेज, चित्तौड़गढ़	01472—243830	9414436596
89.	जे.आर. शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, झाड़ोल (फ.), उदयपुर	02959—220039	9414829642
90.	एम.बी. महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, डूंगरपुर	02964—235074	9352573310
91.	महात्मा गांधी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बांसवाड़ा	9667433239	9414290763
92.	श्रीनाथ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, मावली, (उदयपुर)	2463299	9352390298
93.	वाग्वर गर्ल्स कॉलेज, सागवाड़ा (डूंगरपुर)	02966—254136	—
94.	गुरूकुल आर्टस् कॉलेज, डूंगरपुर	234900	9414723670
95.	गुरूकुल डिग्री कॉलेज, आसपुर (डूंगरपुर)	9414326828	—
96.	श्रीमती सुशीला देवी स्मृति कॉलेज, बिछीवाड़ा (डूंगरपुर)	02964—292149	9413801220
97.	बी.एन. गर्ल्स कॉलेज, राजसमन्द	02952—230707	9983344504
98.	प्रगति संस्थान, डूंगरपुर	02964—231122	9414307235
99.	अरावली महाविद्यालय, बांसवाड़ा	02962—255544	9414788601
100.	महाराणा कुम्भा महाविद्यालय, केलवाड़ा (राजसमन्द)	9950924466	—
101.	राजकीय महाविद्यालय, कोटडा (उदयपुर)	02958—290055	—
102.	राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरोही	02972—222078	960171973
103.	सागर बी.एड. महाविद्यालय, खैरवाड़ा (उदयपुर)	02907—222256	9413886567

104.	आर.पी. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भीण्डर (उदयपुर)	02957—220919	9414682331
105.	वैदान्त भैरव महाविद्यालय, भदेसर (चित्तौड़गढ़)	01470—243788	9166357011
106.	न्यू लूक कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा	2962—254023	9414101023
107.	ए. पी. सी. महाविद्यालय, प्रतापगढ़	01478—221236	9824747053
108.	तेजस्विनी कन्या महाविद्यालय, परतापुर (बांसवाड़ा)	9950346226	—
109.	श्री दत्तात्रेय महाविद्यालय, कांकरोली	2952—231577	9680262109
110.	महर्षि दधिचि महाविद्यालय, राशमी (राजसमन्द)	8107145924	—
111.	श्री भष्णा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, भीमल (उदयपुर)	9352390298	9413174921
112.	अरावली शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, ;त्णज्णण के पासद्ध उदयपुर	2471442	9413093939
113.	आदिनाथ महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	2482315	9414166372
114.	अरावली विज्ञान एवं प्रबन्ध महाविद्यालय, उदयपुर	0294—2650616	—
115.	प्रताप शोध संस्थान, उदयपुर	2417230	9414758265
116.	विवेकानन्द महाविद्यालय, आंजना (बांसवाड़ा)	9928168242	—
117.	महाराणा प्रताप महाविद्यालय, पालोदा (बांसवाड़ा)	9414600382	—
118.	संत मावली कन्या महाविद्यालय, पालोदा (बांसवाड़ा)	—	9414725288
119.	राजस्थान डिग्री महाविद्यालय, मंगलवाड़ (चित्तौड़गढ़)	01470—246091	—
120.	जे.आर. महाविद्यालय, आबू पर्वत (सिरोही)	02959—270026	9414829642
121.	जे.आर. महाविद्यालय, ऋषभदेव (उदयपुर)	0259—270026	9414343371
122.	एस.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, (एस.एस. शि. संस्थान) उदयपुर	2462515	9413318042
123.	महावीर बी.एड. महाविद्यालय, डांगापाड़ा (बांसवाड़ा)	02962—215163	9982926996
124.	कला आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	0294—2441010 / 2412345	
125.	महावीर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	0294—2465838	9414168838
126.	ज्योतिबा फूले शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	0294—2491560	9414168050

127.	स्कोलर एरिना कन्या बी.एड. महाविद्यालय, उदयपुर	3260742	9460401533
128.	मंत्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कमली नोहरा, उदयपुर	0294–2810957	9414830551
129.	आर.एन.टी. शिक्षक एवं शिक्षा महाविद्यालय, कपासन (चित्तौड़गढ़)	01476–231726	9828058477
130.	इण्डो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, उदयपुर	2811829	9414934042
131.	राजकीय महाविद्यालय, भीम (राजसमन्द)	9460523234	–
132.	श्री द्वारकाधीश इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साइंस, प्रतापपुरा, कांकरोली (राजसमन्द)	2952–230906	9352663700
133.	श्री द्वारकाधीश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रतापपुरा, कांकरोली (राजसमन्द)	2952–230907	9414859357
134.	वागड़ श्री कॉलेज, बांसवाड़ा	2962–254283	9828645434
135.	भगवती महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,चितौड़गढ	1472–246561	9314121906
136.	अंकुर बी.एड. कॉलेज, नाथद्वारा (राजसमन्द)	2953–2710093	9414385519
137.	वीसड्म शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुल्ला तलाई, उदयपुर	2430371	9828271785
138.	कृष्णा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सिसारमा, उदयपुर	2811028	9636482088
139.	एस.एस.कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, उमरड़ा,(स्वामी शरणम् शि. सं.),उदयपुर	9829046988,	9460084076
140.	महर्षि इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन, सुन्दरवास, उदयपुर	2415899	9461384751
141.	महारानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, देबारी, उदयपुर	3298007	–
142.	श्री राम कॉलेज ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, आयड़, उदयपुर,	2412405	9413480476
143.	ज्योति शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, फतहपुरा, उदयपुर	251336	9413832882
144.	विद्याभवन गांधीयन इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन, रामगिरी, बड़गांव, उदयपुर	2411015	9414157015
145.	संजीवनी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, काया, उदयपुर	9928334880	–
146.	भारतीय विद्याभवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बांसवाड़ा	2962–2410050	9414217225
147.	राजेन्द्र मुनी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, माउंट आबू (सिरोही)	2974–235379	9571425124

148.	यू.एस.बी. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, आबू रोड़, (सिरोही)	2974–294753	9001134307
149.	श्रीनाथजी बी.एड़. कॉलेज, आमथला, आबू (सिरोही)	2974–228482	9413656238
150.	सिद्वेश्वर विनायक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धरियावद (प्रतापगढ़)	–	9352377560
151.	राजदेव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सिसारमा, (उदयपुर)	2430891	9414313194
152.	रामकिशन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	2464735	9414168050
153.	मॉ वैष्णोदेवी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	–	9309372790
154.	चुण्डा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ढ़ीकली, उदयपुर	2481720	9413833109
155.	तक्षशीला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, चिरवा, उदयपुर	9314715821	9460800559
156.	विद्याभारती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मावली (उदयपुर)	–	9309285223
157.	अनेकात सेवा संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सलुम्बर, (उदयपुर)	–	9783272800
158.	अरावली शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, एकलिंगपुरा, (उदयपुर)	2650615	9414684138
159.	मेवाड़, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगरार, (चितौड़गढ़)	1471–291148	9460179787
160.	मातेश्वरी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	2418295	9460030331
161.	मॉडर्न सांवलिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, छोटी सादड़ी, (चितौड़गढ़)	–	9414857959
162.	श्रद्वालय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रावत भाटा (चितौड़गढ़)	1475–270089	9214344786
163.	एशियन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, बड़ी रोड़, उदयपुर	2452096	9461016228
164.	हाड़ीरानी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शोभागपुरा (उदयपुर)	2440608	9461384746
165.	बाहुबली शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बड़वाई, डुंगला (चितौड़गढ़)	2957–220259	9314167748
166.	रोबीन्द्रनाथ ठाकुर बी.एड. कॉलेज, तुलसीदास जी की सराय, देबारी, उदयपुर	6508636	9414730682
167.	संस्कार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवगंज (सिरोही)	–	928013517
168.	संत मीरा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नाथद्वारा (राजसमन्द)	9251226662	9878870606
169.	प्रेम शान्ति निकेतन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर	2461421	9314490676

उपरोक्त महाविद्यालयों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमाणित होने के अधीन ैनइरमबज जव ।चचतवअंसद्ध है।